हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 अक्टूबर, 2017 (प्रथम बैठक)

खण्ड–3, अंक–2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 24 अक्टूबर, 2017

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	4
हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा दशमेश वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चौरमार खेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन	20 (1)
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	20 (2)
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	38
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	46
निजी सदस्य विधेयक की सूचना/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विभिन्न मामलों का उठाना	62
दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को डि–नोटिफाई करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 पर चर्चा की स्वीकृति	64
भूतपूर्व सांसद/भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव तथ हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनंदन	94 (1)
दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को डि–नोटिफाई करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 पर चर्चा की स्वीकृति (पुनरारम्भ)	94 (2)
बैठक का समय बढ़ाना	156
दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को डि–नोटिफाई करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 पर चर्चा की स्वीकृति (पुनरारम्भ)	157
वाक आउट	160 (1)

दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को डि–नोटिफाई करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 पर चर्चा की स्वीकृति (पुनरारम्भ)	160	(1)
बैठक का समय बढ़ाना	164	(1)
दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को डि–नोटिफाई करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 पर चर्चा की स्वीकृति (पुनरारम्भ)	164	(2)
वाक आउट	166	(1)
वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना	166	(1)
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	166	(2)
वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांग पर चर्चा तथा मतदान	167	(1)
दिनांक 24.10.2017 को सदन की द्वितीय बैठक के समय में परिर्वतन	177	

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 24 अक्टूबर, 2017 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर – 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है ।

To Solve the Saline Water Problem

***2153. Shri Tek Chand Sharma:** Will the Agriculture Minister be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to solve the saline water problem of villages Kabulpur Bangar, Firojpur Kalan, Jakhopur, Ladhiyapur, Bijopur, Sikrauna, Bhanakpur, Harphala, Mohla of Prithala Constituency; and

(b) if so, the time by which the said problem is likely to be solved ?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड) : श्रीमान्, सूचना सदन के पटल पर रखी है ।

सूचना

1. केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (सी0एस0एस0आर0आई0), करनाल के वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों तथा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों की टीम द्वारा प्रभावित गांवों का दौरा किया गया ।
2. टीम द्वारा प्रस्तुत की गई सम्भाव्यता रिर्पोट के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में लगभग एक मीटर की गहराई पर 10–30 सै0मी0 मोटी कठोर कंकर की परत है । कथित परत मशीनों द्वारा सतह निकासी पाईप प्रभावी तौर से बिछाने में बाधा उत्पन्न करेगी । यह सतह पाईपों के बिछाये जाने के बावजूद भी लवणों के पर्याप्त निक्षालण को भी बाधित करेगी । प्रभावित क्षेत्र में नहरी पानी की पर्याप्त आपूर्ति नही है जो कि इस प्रणाली में लवणों के निक्षालण के लिए आवश्यक है ।
3. टीम द्वारा की गई सिफारिशः–

- प्रभावित गांवो में जल भराव तथा मृदा लवणता के नियन्त्रण के लिये छिछले नलकूपों जैसे अन्य विकल्पों को तलाशा जाये ।
- बेहतर जल स्तर नियन्त्रण के लिये प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले मुख्य गोच्छी नाले को गहरा तथा साफ करना ।

4. भविष्य में छिछले नलकूपों को लगाने का विकल्प तलाशा जायेगा ।
5. नाला नं0 2 की आंतरिक सफाई का कार्य मुख्य मन्त्री घोषणा कोड संख्या 10178 दिनांक 18–5–2015 के तहत किया गया तथा यह कार्य सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 5–12–2016 को सम्पन्न किया गया । अब नाला पुरी तरह से कार्यान्वित तथा निकासी के लिए सक्षम है ।
6. सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग द्वारा गोच्छी नाले की गाद निकालने तथा सफाई का कार्य करने के लिए मुख्य मन्त्री की घोषणा के कोड नं0 18409 दिनांक 24–4–2017 के अनुसार 165.00 लाख रूपये का प्रस्ताव सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति हेतू भेजा गया है । जरूरी स्वीकृति मिलने के उपरान्त यह कार्य किया जायेगा ।

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में अपने क्षेत्र की एक समस्या की बात कर रहा हूं । वैसे तो हमारी सरकार ने किसानों के हित में काफी कार्य किये हैं लेकिन मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या पर थोड़ा–सा प्रकाश डालना चाहता हूं । दिनांक 18.5.2015 को सी.एम. अनाउंसमैंट नंबर 10,178 के अनुसार वहां पर दिनांक 5.12.2016 को काम सम्पन्न हो गया है । इसके बाद 24.4.2017 को इस काम के लिए 1.65 करोड़ रूपये की सी.एम. अनाउंसमैंट की गई जिसका नंबर 18,409 था । मेरे क्षेत्र के 8–10 गांवों की 2500 एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर अगर कभी ज्यादा बरसात हो जाए तो खेतों में पानी खड़ा हो जाता है और उस रूके हुए पानी से वहां पर गेहूं या चावल की फसल नहीं हो पाती है । मैंने अपने क्षेत्र का यह प्रश्न दो साल पहले भी सदन में उठाया था परंतु इसका कोई ठोस समाधान नहीं हो सका । वहां पर सी.एस.एस.आर.आई. की टीम भी जाकर उस भूमि का निरीक्षण कर चुकी है । इसके बावजूद भी इस समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ । इसकी वजह से वे 8–10 गांव भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं । अतः मैं आपके

माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसका जल्दी से जल्दी कोई सौल्यूशन किया जाए ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अभी बताया कि उन्होंने यह सवाल दो साल पहले भी सैशन में उठाया था और उसके बाद केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल की टीम वहां पर गई थी । उसने पाया कि वहां पर एक मीटर की गहराई पर एक 10–20 सैंटीमीटर मोटी कंक्रीट की परत है जिसके कारण बरसात का पानी नीचे जमीन में नहीं जा पाता । वहां पर इसके समाधान के लिए दो उपाय किये जा सकते थे – पहला वहां पर एक नाला है और अगर वह पूरी तरह से साफ हो जाए तो उससे पानी की निकासी की जा सकती है । उस नाले को वर्ष 2016 में साफ कराया गया था । अब माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के माध्यम से इसको साफ करवाने के लिए 1.65 करोड़ रूपये मंजूर हुए हैं । कंक्रीट परत के कारण इसका सब–सरफेस ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से समाधान किया जाना संभव नहीं है । इसके समाधान के लिए सैलो ट्यूबवैल्ज का उपयोग अवश्य किया जा सकता है । मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम इनके क्षेत्र में सैलो ट्यूबवैल्ज लगाकर उस जमीन को खेती करने के योग्य बनाएंगे । इसके अतिरिक्त हम उस क्षेत्र से गुजरने वाले नाले की सफाई करवाकर पानी की निकासी का प्रबंध करेंगे । इस समस्या के समाधान के लिए हमने अब तक केवल एक ही उपाय का प्रयोग किया था लेकिन अब हम इसके लिए दोनों उपायों को प्रयोग करेंगे ।

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सरकार को इसका समाधान निकालने की बात कहते हुए ऑलरेडी तीन साल निकल चुके हैं और वहां के किसानों की हालत दिन–ब–दिन बदतर होती जा रही है क्या आप इसका कोई टाइम बाउण्ड अवधि भी बता सकते हैं कि ये शैलो टयूबवैलस कब तक लग जायेंगे?

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लगभग 3 करोड़ रूपये वहां के इलाके की तरक्की के लिए खर्च किए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार ने वहां पर टीम भेजी हुई है और सर्वे भी करवाया है। यथाशीघ्र बरसात के सीजन से पहले ही वहां पर पानी न खड़ा हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे। माननीय सदस्य इस बात की चिंता न करें।

.....

Problem of Drinking Water

***2171. Shri Jasbir Singh Deswal**: Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that underground water in 11 districts of the State is not fit for drinking; if so, the steps taken by the Government to solve the said problem?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डा0 बनवारी लाल हरियाणा) : श्रीमान् जी, इस बारे में एक बयान सदन के पटल पर रखा गया है।

बयान

श्रीमान् जी, जिला सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, गुरूग्राम और फरीदाबाद के प्रमुख भागों में भूमिगत जल पीने योग्य नही है। इसलिए, इन जिलों के ऐसे क्षेत्रों के लिए सतही जल और रैनीवैल आधारित जलघरों को प्रस्तावित तथा निर्मित किया जाता है।

.....

जसबीर सिंह देशवाल : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब सदन के पटल पर रखा गया है उसमें जिला सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, गुरूग्राम और फरीदाबाद के मुख्य भागों का जिक्र है लेकिन जीन्द जिले का कहीं भी जिक्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जीन्द जिले के सफीदों निर्वाचन क्षेत्र के 29 गांवों में भूमिगत पानी पीने योग्य नहीं है, जिसका कोई भी जिक्र नहीं है। सफीदों क्षेत्र के पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में 20 टयूबवैलस लगभग 1000, 1200 या 1400 फीट पर लगने हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर मंजूर भी हो चुके हैं। ये टयूबवैलस कब तक लग जायेंगे? क्योंकि टयूबवैलस लगाने की जो स्पीड है वह बिल्कुल ही नाम मात्र की है। विभाग का मैकेनिकल विंग जिसका ऑफिस अम्बाला में है वह एक महीने में केवल दो से चार ही टयूबवैलस लगा पाता है। इस तरह से जो 20 टयूबवैलस सरकार से मंजूर हो गए हैं उसमें काफी समय लग जायेगा। इस संबंध में विभाग के मुख्य अभियंता से भी निवेदन किया था कि यदि पब्लिक हैल्थ विभाग सीधे तौर पर प्राईवेट मशीनें लेकर, ठेके पर या किराये ट्यूबवैल्स पर लगवा

दें तो इस समस्या का समाधान जल्दी हो जायेगा। माननीय मंत्री जी 20 ट्यूबवैल्स कितने समय में लग जायेंगे यह बताने की कृपा करें।

डॉ0 बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 11 जिलों में ज्यादातर पानी पीने योग्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तीन तरीके से पानी की सप्लाई दी जाती है। पहला तरीका कैनाल बेस्ड वॉटर से, दूसरा अंडर ग्राउण्ड बेस्ड टयूबवैल से और तीसरा तरीका रैनीवैल बेस्ड पानी की सप्लाई दी जाती है। हमारे पास जहां पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं हैं वह सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, जीन्द, सोनीपत, कैथल, महेन्द्रगढ़, पानीपत और रेवाड़ी वहां कैनाल बेस्ड के तहत पानी की सप्लाई दी जाती है। दूसरा जहाँ पानी पीने लायक है वह अम्बाला, यमुना नगर, करनाल, कुरूक्षेत्र, कैथल, पानीपत और जीन्द जिलें हैं वहां पर अंडर ग्राउण्ड टयूबवैल के जरिए पानी की सप्लाई दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो यमुना नदी के किनारे नूंह, सोनीपत और पलवल हैं वहाँ पर रैनीवैल बेस्ड के तहत पानी की सप्लाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस निर्वाचन क्षेत्र के 22 गांवों के लिए 15 योजनाओं के तहत जिसकी कुल लागत 1373.70 लाख रूपये बनती हैं उसमें से वितरण में सुधार कार्य, जलघरों की वृद्धिकरण एवं सुधारीकरण कार्य, बूस्टर एवं नलकूप लगाने इत्यादि के कार्य प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30.09.2017 तक 26.02 लाख रूपये खर्च भी किए जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि टयूबवैलस लगाने में देरी हो रही है, इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि विभाग को आदेश दे दिए गए हैं कि प्राईवेट एजेंसी से सरकारी रेट पर टयूबवैलस लगवाएं ताकि इन गांवों के लोगों को पानी की सुविधा जल्दी मिल सके।

श्री जसबीर सिंह देशवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा असली प्रश्न यह है कि जो सरकार से 20 टयूबवैलस हमारे हल्के में मंजूर हुए हैं उनको लगाने में कितना समय लग जायेगा?

डॉ0 बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि ये ट्यूबवैल्स जल्दी ही लगवा दिए जायेंगे और विभाग को भी आदेश दे दिए गए हैं कि प्राईवेट एजेंसी से भी सरकारी रेट पर टयूबवैलस लगवा दें।

.....

Repair of Roads

***2215. Shri Umesh Aggarwal**: Will the PW (B&R) Minister be pleased to state:-

(a) the amount spent by the Government on the repair/construction of roads in Gurugram Assembly Constituency during the last three years alongwith the details of the such roads;

(b) the details of the roads alongwith the distance which needs immediate repairs in the said area togetherwith the time by which these roads are likely to be repaired: and

(c) the WhatsApp number (s) on which the complaints regarding repairs of roads can be made ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : (क) गुरूग्राम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा सड़कों की मरम्मत/निर्माण पर 7982.34 लाख रू0 की राशि खर्च की गई व हुडा द्वारा रू0 10298.22 लाख की राशि खर्च की गई। सड़कों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ख) सड़कों का विवरण जिनकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है, अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है। सड़क की दूरी/लम्बाई व मरम्मत की समय सीमा भी प्रत्येक सड़क के विरूध दर्शाया हुआ है, जिसकी मरम्मत की जानी सम्भावित है।

(ग) सड़क की मरम्मत/निर्माण की शिकायत हरियाणा सरकार द्वारा प्रारम्भ किए एक नए वेब पोर्टल 'हरपथ' पर दर्ज की जा सकती है।

अंनुलग्नक "क"

Municipal Corporation Gurugram and HUDA

Detail of the amount spent by MCG & HUDA on repair/ construction of road in gurugram assembly consistency during the last three year (Rs. In lakhs)

Sr. no.	Year	Amount Spent by MCG	Amount Spent by HUDA
1	2014-2015 (01-10-14 to 31.3.15)	3215.89	499.32
2	2015-2016 (01-04-15 to 31.3.16)	682.09	572.89
3	2016-2017 (01-04-16 to 31.3.17)	2559.45	468.33
4	2017-2018 (01-04-17 to 30.9.17)	1524.90	17.25
5	Special repair of master roads by HUDA as per detail attached	----	8740.43
GRAND TOTAL		**7982.33**	**10298.22**

अंनुलग्नक "ख"

The details of roads alongwith the distance which needs immediate repairs in Gurugram Constituency

Sr. No.	Name of Work	Approx. Length (in meter)	Name of Department responsible for repair of roads	Time by which the roads are likely to be repaired
1	Special repair of 10 mtr wide balance road in sector 4, Gurugram	17344	MCG	April, 2018.
2	Special repair of internal roads 10mtr wide in sector 7, Gurugram	4535	MCG	April, 2018.
3	Repair of damaged bituminous road sector-14 Gurugram	10175	MCG	April, 2018.
4	Repair of damaged bituminous road sector-17 Gurugram	14036	MCG	April, 2018.
5	Repair of damaged bituminous road sector-12A Gurugram	1646	MCG	April, 2018.
6	Reconstruction of damaged bituminous road with BM BC at Sector 44	4500	MCG	April, 2018.
7	Reconstruction of damaged bituminous road with BM BC at Sector 56	13600	MCG	April, 2018.
8	Construction of road and drainage work at sheetla mata mandir from Atul Kataria Chowk to sector 5	3100	MCG	April, 2018.
9	Improvement of road from sector-5 chowk to Rezangla Chowk by providing BM, BC & M-40 on Sheetla Mata Road/Rezangla road, Gurugram	3850	MCG	April, 2018.
10	Upgradation of Old Delhi road from Mahavir chowk to Dundehera border	7500	MCG	April, 2018.
11	Work of Improvement of Gurgaon Pataudi Rewari (Amount : Rs. 11,65,51,000/-)	7200	B&R (as deposit work of MCG)	31.10.2017

12	work of Improvement of road from Gurugram to Khandsa village(Amount : Rs. 8,46,29,814)	2795	B&R (as deposit work of MCG)	7.1.2018
13	Sector 29	2800	HUDA	03 Months
14	Sector 30/31 & 40/41	1750	HUDA	06 Months
15	Sector 39/40	110	HUDA	2 Months
16	Sector 44/45	1300	HUDA	03 Months
17	Sector 52 Internal Road	3000	HUDA	03 Months
18	Master road between Sec-7,7 Extn/ 9 & 4/9A Gurugram needs immediate special repair. These master roads are likely to be transferred to GMDA. However, a rough cost estimate for special repair of these master roads is under process of approval and work shall be executed after approval of estimates.	4650	HUDA	06 Months

---

श्री उमेश अग्रवालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में एम.सी. ने गुरूग्राम की सड़कों पर केवल 79.82 करोड़ रुपए ही खर्च किये हैं, जबकि पिछले वर्ष एम.सी. ने गुरूग्राम की सड़कों के पुनर्निर्माण करने के लिए 100 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस 100 करोड़ रुपए के टेंडर का क्या हुआ ? कितना काम उसके तहत अलॉट किया गया ? इसके बारे में भी मंत्री महोदया बताएं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इन्होंने एक वाट्स–एप नम्बर जारी करने के लिए कहा था, उसके बारे में बताएं ? अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. की एक ही सड़क है जोकि एम.सी.जी. से ली हुई है, इसलिए शायद स्थानीय निकाय मंत्री जी जवाब दे रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया जी से उस 100 करोड़ रुपए के टेंडर के बारे में भी जानना चाहता हूं।

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी को बताना चाहूंगी कि वे अनुलग्नक 'ए' को विस्तार से देखें, उसमें दिया गया है कि वर्ष 2014–2015 के अंदर amount Spent by MCG वह 3215.89 लाख रुपए था, 2015–2016 के अंदर वह अमाउंट 682.09 लाख रुपए था और 2016–2017 में जोकि पिछले वर्ष से संबंधित है इसमें 2559.45 लाख रुपए का काम हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक 100 करोड़ रुपए का टेंडर किस काम के लिए या किस सड़क के लिए अलॉट किया गया था उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप उसकी डिटेल अलग से बताएंगे तो हम उसकी पूरी जानकारी आपको दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक वाट्स–अप नम्बर की बात है तो हमारे विभाग के द्वारा ऐसा कोई वाट्स–अप नम्बर जारी नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जिस दिन हरियाणा डिजिटल समिट का आयोजन किया गया था तो उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 'हरपथ' नामक एक वेब–पोर्टल लांच किया था। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगी कि इस एप के माध्यम से पूरे हरियाणा स्टेट से 1143 कम्प्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें से 427 कम्प्लेंट्स रिजॉल्व हो गई हैं और 317 कम्प्लेंट्स रिजेक्ट हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–ही–साथ मैं यह भी बताना चाहूंगी कि 'हरपथ' एप पर हमें गुरूग्राम से 125 कम्प्लेंट्स रिसीव हुई हैं, जिनमें 32 कम्प्लेंट्स को हमने रिजॉल्व कर दिया है और 25 कम्प्लेंट्स को हमने रिजैक्ट कर दिया है।

श्री श्याम सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के के कुछ गांव हैं जहां पर रेलवे ने पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क दबा ली है और रेलवे ने उन्हें दूसरा रास्ता दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, उस रास्ता पर रेलवे, पी.डब्ल्यू. और नगर–निगम कोई भी सड़क नहीं बनाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा कि उस सड़क से 40 गांवों का रास्ते जाता है और वह सड़क 15 सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है।

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानीय साथी से बताना चाहूंगी कि ये मुझे उस सड़क के बारे में अलग से लिखकर दें क्योंकि ये सड़क अलग एरिया से संबंधित है और मैं इसकी पूरी डिटेल लेकर इस समस्या को रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी अपनी जानकारी के लिए एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जो अखबारों में जो वाट्स–अप नम्बर की बात कही गई थी, क्या वह बात गलत है ? उसके बारे में अखबारों में छपा था कि लोग वाट्स–अप के ऊपर तुरन्त सड़क की शिकायत कर सकते हैं और उस सड़क को 24 घंटों के अंदर ठीक कर दिया जायेगा। अगर वह बात गलत है तो मंत्री जी हमें बता दें ?

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस बात को क्लियर कर दिया है कि

नगर–निगम द्वारा ऐसा कोई वाट्स–अप नम्बर जारी नहीं किया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

.....

To Develop the HUDA Sectors

***2211. Shri Tejpal Tanwar:** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the sectors are likely to be developed by HUDA in Tauru for which the land has been acquired?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, ब्यान सदन के पटल पर रखा है।

बयान

चूंकि सैक्टर–7, 8 और 11, तावडू के विकास हेतू अर्जित की गई 350 एकड़ से अधिक भूमि के नियोजन को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, अतः इन सैक्टरो को विकसित किए जाने की समय अवधि इस समय इंगित नहीं की

जा सकती ।

.....

श्री तेजपाल तंवर : अध्यक्ष महोदय, 18 अक्तूबर, 2013 को तावडू में 7, 8 और 11 तीन सैक्टर विकसित करने के लिए हुडा द्वारा भूमि अधिग्रहण की गई थी । जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई थी उनको मुआवजा भी दे दिया गया है लेकिन वहां पर सैक्टर विकसित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है । अध्यक्ष महोदय, यदि वहां पर हुडा जल्द सैक्टर विकसित कर देगा तो इससे जनता को फायदा होगा और लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह मिल जायेगी । मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तावडू में कब तक हुडा के ये तीनों सैक्टर विकसित कर दिए जायेंगे ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि तावडू में हुडा के सैक्टर विकसित करने के लिए ले आउट प्लान एक महीने में तैयार हो जायेगा और एक साल के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करके वहां प्लॉट अलोट कर दिए जायेंगे ।

श्री तेजपाल तंवर : अध्यक्ष महोदय, एक साल का समय तो बहुत ज्यादा हो जायेगा। वहां जल्द से जल्द लोगों को सारी प्रक्रिया पूरी करके प्लाट अलोट किए जायें ।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वहां पर सारी प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम एक साल का समय लगेगा । उससे पहले वहां प्लॉट अलॉट होना पौसिबल नहीं है । (विघ्न)

.....

To Install Sub-Surface Drainage System

***2180. Shri Anoop Dhanak**: Will the Agriculture Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact that approximately 400 acreage of land is affected with water logging in village Sabarwas of Uklana Assembly Constituency; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to install sub surface drainage system to solve the problem of water logging togetherwith the time by which it is likely to be installed ?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) श्रीमान् जी, हॉ ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है क्योंकि 1000 एकड से कम क्षेत्र भूमि पर सब–सरफेस ड्रैनेज सिस्टम व्यवहार्य नही है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने उकलाना विधान सभा क्षेत्र में सेम की समस्या के बारे में सवाल पूछा है और हम मानते हैं कि वहां पर सेम की समस्या है लेकिन माननीय साथी ने सेम के बारे में जो आंकड़े दिए हैं उनमें कुछ अंतर है । हमारे विभाग की सर्वे टीम वहां 17 तारीख को जाकर सर्वे करके आई थी और हल्का पटवारी भी वहां गया था । सर्वे टीम की रिपोर्ट के मुताबिक वहां सेम की

समस्या रहती है लेकिन बिजाई होने के बाद सेम की समस्या कम होकर 20 से 25 एकड़ भूमि पर ही रहती है । सर्वे टीम ने यह भी रिपोर्ट दी है कि 250 एकड़ भूमि में जल स्तर 3 से 5 एकड़ रहता है । इस बारे में विभाग ने जवाब दिया है कि सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम एक हजार एकड़ से कम पर लगाना संभव नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विभाग के उत्तर से आगे जाते हुए बताना चाहूंगा कि मैंने विभाग को आदेश दिया है कि सेम से प्रभावित कितना भी छोटा एरिया हो वहां पर छोटी मशीनें लगाकर समस्या का समाधान किया जाये । क्योंकि आज के दिन सेम की समस्या को दूर करने के लिए छोटी मशीनें अवेलेबल हो गई हैं । मैं माननीय सदस्य को आश्वास्त करता हूं कि इनके निर्वाचन क्षेत्र में छोटे लैवल का सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम लगाकर सेम की समस्या दूर करेंगे ।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी समय सीमा बतायें कि वहां कब तक सेम की समस्या का समाधान कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी हम समय सीमा तय नहीं कर सकते। क्योंकि हरियाणा में अभी छोटी मशीनें अवेलेबल नहीं हुई हैं । महाराष्ट्र आदि कुछ राज्यों में छोटी मशीनें उपलब्ध हो गई हैं और जल्द ही हमें भी ये मशीनें उपलब्ध हो जायेंगी ।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि हमारे एरिया में सेम की समस्या का समाधान आने वाले बजट सत्र से पहले कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले बजट सत्र से पहले इनकी यह समस्या दूर कर दी जाये ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सेम की समस्या के समाधान के बारे में आश्वासन दिया है । मेरे क्षेत्र में भी सेम की समस्या है ।

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, मंत्री जी ने कहा है कि छोटी मशीनें आने के बाद पूरी स्टेट में इस समस्या का समाधान कर दिया जायेगा ।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में रजबाहे नम्बर–4 की बहुत बुरी हालत है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उस रजबाहे की रिहबिलीटेशन करवायेंगे ताकि वहां पर लोगों को पानी मिल सके ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह सवाल अलग विभाग से संबंधित है । इस समय एग्रीकल्चर विभाग से संबंधित प्रश्न पर चर्चा चल रही है । जिस समय सिंचाई विभाग से संबंधित प्रश्न आयेगा उस समय माननीय साथी अपना यह सवाल पूछ लें मैं अवश्य इसका जवाब दूंगा ।

.....

To Open a Government Girls College

*__2234. Shri Ved Narang__: Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that there is no Government Girls College in Barwala City; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Girls College in Barwala City under the "Beti Bachao Beti Padhao Yojna"; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) श्रीमान् जी; जबकि बरवाला में कोई राजकीय कन्या महाविद्यालय नहीं है, राजकीय महाविद्यालय में पढ़ रहे 1624 छात्रों में से 916 छात्राएं है।

(ख) नहीं श्रीमान् जी, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वेद नारंग जी ने बरवाला शहर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने बारे सवाल पूछा है । हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बहुत चिंतित है और यही कारण है कि 10 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 कन्या महाविद्यालयों की आधारशिला एक साथ रखी है जो 50 साल की उम्र के हरियाणा में एक क्रीतिमान स्थापित हुआ है । बरवाला शहर में अभी अलग से कन्या महाविद्यालय नहीं है लेकिन वहां पर को–एजुकेशन महाविद्यालय है जिसमें इस समय बच्चों की संख्या 1624 है और इसमें 916 छात्राएं हैं। उस महाविद्यालय में कन्याओं की संख्या काफी मात्री में है। बरवाला के

आस–पास हिसार में दो कन्या महाविद्यालय हैं । इसके अतिरिक्त आदमपुर, हांसी, नलवा और नारनौंद में भी कन्या महाविद्यालय हैं । यदि माननीय सदस्य बरवाला में अलग से कन्या महाविद्यालय बनवाना चाहते हैं तो ये भवन उपलब्ध करवा दें हम वहां कन्या महाविद्यालय बनाने बारे विचार कर लेंगे ।

श्री वेद नारंग : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति चिंतित है और इसलिए पूरे प्रदेश में कन्या महाविद्यालय खोले जा रहे हैं लेकिन हमारे बरवाला शहर के साथ पक्षपातपूर्ण रैवया अपनाया जा रहा है । माननीय मंत्री जी ने जो हिसार, हांसी, नारनौंद, नलवा आदि के कन्या महाविद्यालय गिनवाये हैं ये सभी बरवाला से 30–40 कि.मी. की दूरी पर पड़ते हैं । यदि सरकार बरवाला क्षेत्र के ग्रामीण आंचल की महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती है तो मंत्री जी वहां भी कन्या महाविद्यालय बनवायें ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में बताया है कि यदि माननीय सदस्य बरवाला में अलग से कन्या महाविद्यालय बनवाना चाहते हैं तो ये भवन उपलब्ध करवा दें हम वहां कन्या महाविद्यालय बनाने पर विचार कर लेंगे । इस समय बरवाला में को–एजुकेशन महाविद्यालय है जिसमें 1624 छात्र हैं जिनमें 916 छात्राएं हैं । यदि माननीय साथी वहां कन्या महाविद्यालय वायबल मानते हैं तो ये भवन उपलब्ध करवा दें हम उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री वेद नारंग : अध्यक्ष महोदय, भवन का क्या मतलब है ? भवन उपलब्ध हम करवायेंगे या सरकार करवायेगी ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भवन का मतलब भूमि से है । माननीय सदस्य भूमि उपलब्ध करवा दें, भवन तो सरकार ही बनायेगी ।

डा. पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, लाडवा के अंदर भी कोई कन्या महाविद्यालय नहीं है । हम वहां जमीन उपलब्ध करवा देंगे और भवन भी उपलब्ध करवा देंगे क्या मंत्री जी लाडवा में कन्या महाविद्यालय बनवायेंगे ?

श्री वेद नारंग : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भवन और भूमि में क्या फर्क है ? क्या विपक्ष का सदस्य भूमि या भवन मैनेज करवा सकता है?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य वेद नारंग जी को बताना चाहूंगा कि भवन और भूमि में अंतर यह है कि भवन भूमि के उपर बनता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सैनी साहब, आप प्लीज, बैठें ।

.....

Shortage of Doctors

2161. Shri Balwan Singh Daulatpuria: Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government Hospitals of Fatehabad District; if so, the time by which it is likely to be met out together with the details thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हां, श्रीमान जी, दिनांक 18.10.2017 को चिकित्सा अधिकारियों के 129 स्वीकृत पदों में से 67 भरे थे तथा 554 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों में से 29 को 60 दिन में फतेहाबाद में कार्यग्रहण करने के लिए कहा गया है।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया: अध्यक्ष महोदय, 29 में से अभी तक केवल 4 डॉक्टरों ने ही ज्वॉइन किया है और फतेहाबाद नेशनल हाईवे पर होने के साथ–साथ जिला मुख्यालय भी है। वहां पर सरकारी अस्पताल में कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। वहां पर रोड एक्सीडैंट्स बहुत होते रहते हैं तथा हैड इंजरी होती रहती है इसलिए वहां पर एक न्यूरो सर्जन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक न्यूरो सर्जन अवश्य नियुक्त किया जाये। फतेहाबाद में 16 डिस्पैंसरीज ऐसी हैं जहां पर एक भी डॉक्टर नही है वे डिस्पैंसरीज केवल नर्सों के सहारे चल रही हैं। फतेहाबाद में केवल एक फिजीशियन है और एक सर्जन है इसलिए जिला मुख्यालय पर इनकी संख्या बढ़ाई जाये। इसी प्रकार से लैब टैक्नीशियन तथा फार्मासिस्ट के पद भी खाली पड़े हैं उनको भी भरा जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो 29 डॉक्टर नियुक्त किये हैं वे कब तक ज्वाइन कर लेंगे, इनको टाईम बाउंड किया जाये क्योंकि वे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हमने जो नई नियुक्तियों के आदेश जारी किये हैं उनको सिर्फ एक सप्ताह हुआ है तथा ज्वॉइनिंग का टाईम 60 दिन का होता है। जो डॉक्टर नियुक्त हुये हैं वे कहीं न कहीं पर काम कर रहे हैं और उनको वहां से रिजाइन करके आना पड़ता है तथा कहीं पर बॉड भर रखा है वह भी छोड़ कर आना होता है इसलिए इसके लिए हमें 60 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। इस बार हमें उम्मीद है कि सभी डॉक्टर्स ज्वॉइन कर लेंगे तथा हमारी एक भी पी.एच.सी. खाली नहीं रहेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने अम्बाला जिले में 30 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र जारी किये हैं तथा भिवानी में 60 डॉक्टर्स को नियुक्त पत्र जारी किये हैं। इसी प्रकार से चरखी दादरी में 10 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र जारी किये हैं तथा फतेहाबाद में 29, हिसार में 38 तथा झज्जर में 39 डॉक्टर्स को नियुक्ति आदेश दिये गये हैं। जीन्द में 49 तथा कैथल में 25 डॉक्टर्स को नियुक्ति के आदेश जारी किये गये हैं। इसी प्रकार से करनाल में 15 तथा कुरूक्षेत्र में 23 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र जारी किये हैं। मेवात में 32, नारनौल में 27 तथा पलवल में 38 डॉक्टर्स को नियुक्त पत्र जारी किये हैं। इसी तरह से पानीपत में 20, रेवाड़ी में 25, रोहतक में 9, सिरसा में 24, सोनीपत में 32 तथा यमुनानगर में हमने 28 डॉक्टर्स को नियुक्ति आदेश जारी किये हैं। इस प्रकार से कुल मिला कर 554 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं। अगर उनमें से कुछ डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनसे आगे वेटिंग लिस्ट में से दूसरे डॉक्टर्स को मौका दिया जायेगा। मैं सदन की जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त हम जल्दी ही 200–300 डॉक्टर्स की और भर्ती करने जा रहे हैं । हमारा प्रयास यही है कि हमारी डॉक्टर्स की एक भी पोस्ट खाली न रहे और सभी पदों के लिए हम डॉक्टर्स की भर्ती कर लें।

.....

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी लहरी सिंह सदन की कार्यवाही देखने के लिए स्पीकर गैलरी में उपस्थित हैं, मैं सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा दशमश वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चौरमार खेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

इसी प्रकार से दशमेश वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चोरमार खेड़ा, जिला सिरसा के शिक्षकगण और विद्यार्थी सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं मैं सदन की तरफ से उनका भी हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो डॉक्टर्स की भर्ती का ब्यौरा दिया है यह खुशी की बात है कि इस बार काफी संख्या में पी. जी. डॉक्टर्स भर्ती हुये हैं। उसके सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले स्टेशन देने के लिए अगर काउंसलिंग कर ली जाये तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स ज्वाइन कर सकते थे। मेरे पास नारनौल से एक दम्पत्ति डॉक्टर्स श्री सुरेन्द्र मित्तल और उनकी पत्नी डॉ. मेघा मित्तल का प्रतिवेदन है जो जयपुर में एक बड़े अस्पताल में कार्यरत हैं, सरकार ने उनको एक को सिवानी में नियुक्त किया है तथा दूसरे को हिसार में नियुक्त कर दिया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उनको दोनों को ही नारनौल में नियुक्त कर दिया जाये तो वे पति–पत्नी दोनों ज्वॉइन करने को तैयार हैं। अगर इसी प्रकार से डॉक्टर्स को काउंसलिंग करके ज्वाइन करवाया जायेगा तो ज्वाइन करने वाले डॉक्टर्स की संख्या बढ़ सकती है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हमने सभी डॉक्टर्स से 3–3 च्वॉयस मांगी थी और हमारी कोशिश यही रही है कि हम उनको उनकी च्वॉयस के स्टेशन पर ही एडजैस्ट करें फिर भी अगर कहीं पर इस प्रकार की दिक्कत आ रही है तो हम उनको भी ठीक कर देंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स ज्वाइन करें । पहले डॉक्टर्स को होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त नहीं किया जाता था लेकिन हमने यह निर्णय लिया है कि जिसके तहत डॉक्टर्स के सभी पदों को भरने के लिए होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति देने के लिए रिलैक्सेशन दे दी जाती है।

श्री राजदीप सिंह फोगाट : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दादरी को जिला बने लगभग डेढ़ साल हो गया है जिसकी मुख्यमंत्री जी ने डेढ़ साल पहले घोषणा की थी लेकिन आज तक वहां सामान्य अस्पताल में सी.एम.ओ. नहीं बैठा है। मैंने इसके बारे में मंत्री जी को भी लिखकर दिया था कि

वहां के सामान्य अस्पताल में सी.एम.ओ. को नियुक्त किया जाए । क्योंकि सी.एम. ओ. से संबंधित सभी कार्य हमें भिवानी में जाकर करने पड़ते हैं । इसलिये आपसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वहां पर सी.एम.ओ. को लगाने का प्रबंध करने का कष्ट करें ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि भिवानी में हमने 60 डॉक्टर्ज की नियुक्ति की है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि तोशाम हल्के के अन्दर जो सी.एच.सी. हैं उनमें 90 से ज्यादा डॉक्टर्ज की नियुक्ति होनी चाहिए लेकिन आज वहां की सी.एच.सी. में 30 डॉक्टर्ज भी नहीं हैं । अतः आपने वहां पर 60 में से कितने डॉक्टर्ज नियुक्त किये हैं क्योंकि तोशाम की सी.एच. सी. फस्ट रिपेरर यूनिट मानी जाती थी । क्या अब आपने उसका दर्जा वापिस कर लिया है ? अगर उसका दर्जा वापिस कर लिया है तो आप हमें बता दें ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, किसी भी सी.एच.सी. में 90 डॉक्टर्ज होना मुमकिन नहीं है । अभी मेरे पास पूरी डिटेल नहीं है । मैंने जिले का जो डाटा है, वह सदन को बता दिया है और माननीय सदस्या तोशाम सी.एच.सी. का जो यह दर्जा वापिस करने की बात कह रही हैं यह हमारी सरकार की नीति नहीं है । यह इनकी सरकार की नीति हुआ करती थी । हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं । हम कोई भी दर्जा वापिस नहीं करना चाहते । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप बैठिये । अभी बहुत ज्यादा प्रश्न रह रहे हैं अभी तक एक ही प्रश्न हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, चरखी–दादरी के सामान्य अस्पताल में सी.एम.ओ. लगाने की बात कही गई है । उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वह नियुक्ति हम जल्दी ही करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ एस.एम.ओज. की सी.एम.ओ. के पद पर प्रमोशन हुई हैं उनमें से हम चरखी दादरी में भी सी.एम.ओ. लगाने जा रहे हैं ।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपने अब तक आठ प्रश्न पूछे हैं क्या आप एक ही प्रश्न में सारे प्रश्न पूछेंगी ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी हमारी पूरी बात का जवाब दे दें ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपका प्रश्न बिल्कुल अलग हैं इसलिये मंत्री जी इसका जवाब कैसे देंगे । आपने जो डॉक्टरों की संख्या बताई है वह बिल्कुल अलग है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से यह पूछा है कि हमारे तोशाम हल्के में इन्होंने डॉक्टर्ज की कितनी नियुक्तियां की हैं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने तो जिला वाईज सारा डाटा बता दिया है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि तोशाम की सी.एच. सी. में 60 डॉक्टर्ज में से कितनी नियुक्तियां की हैं ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मंत्री जी ने तो जिला वाईज सारा डाटा बता दिया है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने तोशाम हल्के का डाटा नहीं बताया है । मैं जो उनसे पूछ रही हूं उसका तो मंत्री जी ने जवाब दिया ही नहीं है । या फिर मंत्री जी यह कह दें कि हमने उस सी.एच.सी. का दर्जा वापिस ले लिया है । मुझे मंत्री जी कुछ तो बताएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि डॉक्टर्ज की कमी को पूरा करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है लेकिन बहुत बार नये डॉक्टर्ज ज्वाइन नहीं करते । मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि हमारे यहां पर जो रिटायर्ड डॉक्टर्ज हैं जोकि खास तौर से स्पैशलाईज्ड डॉक्टर्ज हैं उनकी संख्या कितनी है या जो डॉक्टर्ज और आना चाहते हैं जिन्होंने किन्हीं कारणों से पहले ज्वाइन नहीं किया । क्या मंत्री जी हमें बताएंगे कि रिटायरमेंट के बाद वह कितने डॉक्टर्ज को नियुक्ति दे रहे हैं । ताकि जो स्टेट में डॉक्टर्ज की कमी है उस कमी को पूरा किया जा सके ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमने अपने प्रदेश में डॉक्टर्ज की रिटायरमैंट की आयु 65 वर्ष कर दी थी और उससे पहले जो डॉक्टर्ज रिटायर होकर चले गये थे हमने उनको भी मौका दिया था कि वह आकर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें काफी रिटायर्ड डॉक्टर्ज ने आकर दोबारा ज्वाइन किया है और कुछ डॉक्टर्ज की और भी एप्लीकेशन्ज आई हुई हैं जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं और जिन–जिन डॉक्टर्ज की एप्लीकेशन्ज आएगी उनको भी हम कंसीडर करेंगे । हमने

उसमें यह भी प्रावधान किया है कि वह डॉक्टर रिटायरमेंट के बाद जहां भी सैटल होना चाहता है हम उसको वहीं के अस्पताल में नियुक्ति दे रहे हैं ।

श्री हरिचन्द मिड्ढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में भी डॉक्टर्ज की बहुत कमी है इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि सभी जगह डॉक्टर्ज की कमी को पूरा किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : मिड्ढ़ा साहब, उसका जवाब तो मंत्री जी ने दे दिया है कि काफी डॉक्टर्ज की भर्ती कर दी गई हैं और अगर वे डॉक्टर्ज ज्वाइन नहीं करेंगे तो 300 डॉक्टर्ज की और भी भर्ती की जाएगी ।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में पी.एच.सी. भुलवाना, पी.एच.सी. डिगौट, पी.एच.सी. टप्पा, और सी.एच. सी. सौंध में कोई भी डॉक्टर्ज नहीं हैं तो सरकार उनमें कब तक डॉक्टर्ज का प्रबंध कर देगी ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने उसका जवाब दे तो दिया है ।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक भी डॉक्टर्ज नहीं है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी वहां दवाई दे रहे हैं । एक भी पी.एच.सी. में काम नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : उदयभान जी, आप बड़े सीनियर मैंबर हो इसका जवाब मंत्री जी ने दे दिया है । अभी 60 दिन का समय है । अगर वह डॉक्टर्ज 60 दिन के अन्दर ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनको उसके बाद ज्वाइन कराएंगे । या फिर नई भर्ती करेंगे । इस संबंध में मंत्री जी ने साफ जवाब दे दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हमारा तो कोई जवाब दे ही नहीं रहे हैं वह तो कुछ और कह रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी डॉक्टर्ज नहीं दे सकते तो फिर इन सभी पी.एच.सीज. को बन्द कर दें ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बताया कि जिन पी.एच.सीज. में पहले कोई भी डॉक्टर नहीं था, उनमें हमने सबसे पहले डॉक्टर्ज लगाए हैं। अब डॉक्टर्ज ज्वॉयन करते जा रहे हैं और स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया में समय तो लगता ही

है। हमने माननीय सदस्य श्री उदय भान जी के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पी.एच. सीज. में भी डॉक्टर्ज लगाए हैं।

श्री कुलदीप बिश्नोईः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे आदमपुर हल्के में मेडीकल फैसिलिटीज के अभाव में बहुत सी जाने जाती हैं। मेरे हल्के में एंबुलेंस की कमी है तथा डाक्टर्ज की कमी है और जब मैं इसके बारे में सदन में आवाज उठाता हूँ तो घुमाफिराकर हर बार एक जैसा ही जवाब दे दिया जाता है और हकीकत में कुछ नहीं किया जाता। मैं इस संबंध में कई पत्र माननीय मंत्री जी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख चुका हूँ लेकिन उनका रिजल्ट आना तो दूर की बात मुझे पत्र के जवाब तक नहीं मिले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने तथा स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर्ज ने पिछले 3 साल के भाजपा शासन काल में कितनी विजिट मेरे आदमपुर हल्के के हस्पतालों में की है। अगर विजिट की है तो कोई रिजल्ट क्यों नहीं सामने निकलकर आये हैं? अगर विजिट नहीं किए हैं तो उसके क्या कारण रहे हैं? क्या सरकार आदमपुर हल्के को हरियाणा से बाहर का कोई हल्का मानती है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि यदि माननीय मंत्री जी मेरे हल्के में विजिट करना चाहते हैं तो कृपया मुझे वह तारीख बता दें ताकि मैं भी माननीय मंत्री जी के साथ विजिट पर जा सकूं ?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, यह कोई अनिवार्य नहीं है कि हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री एक–एक अस्पताल का दौरा करे लेकिन इतना जरूर है कि एक निश्चित व्यवस्था के तहत पूरे प्रदेश के अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखा जाता है और जहां तक सुधार की बात है तो हम इस संबंध में पूरी तरह से सचेत हैं?

श्री कुलदीप बिश्नोईः अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार को सत्ता में आये तीन साल का समय हो चुका है लेकिन आज तक भी मेरे आदमपुर हल्के में ऐबूलेंस की कमी है तथा डॉक्टर्ज की कमी बनी हुई है?

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, वैसे हल्के में तो विधायक की उपस्थित ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहूँगा कि उन्हें उनके हल्के के अस्पतालों में सुविधाओं से मतलब है या केवल मेरी विजिट करवाना ज्यादा जरूरी समझते हैं?

श्री कुलदीप बिश्नोईः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने हल्के में स्थित हस्पताओं में सुविधाओं की कमियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बार–बार चिट्ठियां लिखी है लेकिन उनका जब कोई उत्तर प्राप्त ही नहीं होता तो ऐसी हालत में अगर माननीय मंत्री जी की विजिट होकर कोई सुविधा मिल जाये तो इसमें बुरा क्या है?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता के मद्देनज़र मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के हस्पतालों में जहां–जहां पर भी कोई कमी होती है, उन कमियों को मैनेज करने के लिए बाकायदा तौर पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है और जो कमियां होती है उनको तुरन्त प्रभाव से दूर किया जाता है। हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों के हस्पतालों को एक–एक डॉयरेक्टर के जिम्मे लगाया हुआ है। डॉयरेक्टर रेगुलरली हस्पतालों को विजिट करते हैं और उसकी रिपोर्ट मुझे देते हैं। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं भी जरूरत के हिसाब से समय–समय पर हस्पतालों की विजिट करता हूँ।

श्री कुलदीप बिश्नोईः अध्यक्ष महोदय, आज फिर मेरे प्रश्न का उचित जवाब नहीं मिल पाया है। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि कुलदीप बिश्नाई जी यह चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी इनके हल्के में विजिट करें और हस्पतालों की छत पर रखी पानी की टंकियों को चैक करें। (हंसी एवं विघ्न)

.....

Appointment of Security Guards

*** 2178. Shri Ranbir Gangwa**: Will the Agriculture Minister be pleased to state &

(a) whether the security guards have been appointed in Haryana Agriculture University, Hisar under outsourcing policy;

(b) whether an amount of rupees 10 thousand (non-refundable) has been taken from the applicants/appointees as referred to in part (a) above; if so, the details thereof; and

(c) the number of ex-serviceman and civilians given appointment?

कृषि मंत्री (ओम प्रकाश धनखड़) : (क) हां जी, श्रीमान।

(ख) हां जी, श्रीमान । जैसा कि एजेन्सी –मैसर्स सिक्योरिटी एड इंटेलिजेंस सर्विसेज (आई) लिमिटेड, नई दिल्ली, जिसको चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, ने मुख्य कैंपस, निदेशक फार्म, आरडीएस फार्म तथा कौल व बावल कैम्पस सहित सुरक्षा सेवा के लिए तीन महीने अर्थात 02.09.2017 से 01.12. 2017 की अवधि के लिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग–1 के तहत अनुबंधित किया है, ने सूचित किया है कि 10,000/–रूपये केवल असैनिक नागरिकों से भर्ती एवं प्रशिक्षण शुल्क हेतु (किस्तों के आधार पर) लिये गये हैं और भूतपूर्व सैनिकों को उनकी भारतीय सेना में लम्बी सेवा को देखते हुए इस शुल्क से छूट दी गई है। विश्वविद्यालय के अधिकारी इस मामले पर विचार कर रहे है और इस मामले में उचित कार्यवाही करेंगे।

(ग) हां जी, श्रीमान । आज की तारीख के अनुसार उपर्युक्त सुरक्षा एजेंसी ने 235 सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता के मुताबिक 108 भूतपूर्व सैनिक और 127 असैनिक नागरिकों को सेवा में उपलब्ध कराया है ।

अध्यक्ष महोदय, श्री रणवीर सिंह गंगवा जी ने अपने इस प्रश्न के माध्यम से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने बारे, इन पदों के आवेदकों से 10000 रूपये की नॉन रिफंडेबल राशि लेने बारे तथा आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कितने भूतपूर्व सैनिकों तथा असैनिक नागरिकों की नियुक्ति की गई, के बारे मे पूछा है। इस प्रश्न के प्रथम सवाल का उत्तर यह है कि भर्ती हुई है और दूसरे सवाल के उत्तर में बताना चाहूंगा कि यह भर्ती मैसर्ज सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसिज (आई) लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा की गई है जिन्होंने सैनिक और गैर सैनिक दोनों भर्तियां की हैं। जो सैनिक भर्ती किए गए उनसे कोई किसी प्रकार की कोई राशि नहीं ली गई

लेकिन जो असैनिक नागरिक भर्ती किए गए उनसे ट्रेनिंग के नाम पर 10000 रूपये की राशि ली गई है। वैसे एक बात मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे ही माननीय सदस्य के सवाल से 10000 रूपये की राशि लेने की बात सरकार के ध्यान में आई है तभी तुरन्त प्रभाव से विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संबंध में उचित कार्रवाई के आदेश दे दिए गए है क्योंकि जब कोई बीड या टैंडर होता है तो उसमें सभी प्रकार की सेवा शर्तों का जिक्र होता है लेकिन चूंकि मैसर्ज सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसिज लिमिटेड के साथ हुए टैंडर में इस प्रकार की कोई राशि चार्ज करने की सेवा शर्त नहीं थी, इसलिए इस तरह की राशि चार्ज करना उचित नहीं माना जा सकता है और निःसंदेह जांच के बाद कार्रवाई जरूर की जायेगी। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितने भूतपूर्व सैनिकों तथा असैनिक नागरिकों को नियुक्ति दी गई तो उस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि इस एजेंसी के द्वारा 235 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की गई है जिसमें 108 भूतपूर्व सैनिक हैं और 127 असैनिक नागरिक हैं।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष जी, मुझे माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं था । हिसार की एच.ए.यू. में अनुबंध आधार पर लगे हुए सिक्योरिटी गार्ड्स माननीय सदस्य डॉ. कमल गुप्ता के रैजीडैंस के नजदीक लम्बे समय तक धरना देकर बैठे रहे । जहां तक उन असैनिक नागरिकों की बात है तो उनको रोजगार की बड़ी समस्या है । उन बेचारों ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए 10 हजार रूपये भी जमा किये थे और पूर्व सैनिकों ने ये रूपये जमा करने से इंकार कर दिया था और वे लोग धरने पर बैठ गये । इसके बाद विश्वविद्यालय के वी.सी. साहब ने उनसे बात करके 5 हजार रूपये सैटल किये लेकिन उन्होंने यह राशि देने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठे रहे । इसके बाद स्वयं मैं और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी वहां पर गये । हमने एच.ए.यू. के वी.सी. से बात की और वी.सी. ने उन पूर्व सैनिकों को कहा कि आप 5 हजार रूपये की बजाय अढ़ाई हजार रूपये जमा करवा दें । सरकार का मंत्री जी से माध्यम से जवाब आया है कि उस अनुबंध के अंतर्गत 10 हजार रूपये देने जैसी कोई बात नहीं थी । उन बेचारे बेरोजगार नौजवानों से 10–10 हजार रूपये ले लिये गये और यह भी संभव है कि उन्हें अगले ही महीने नौकरी से हटा दिया जाए । अध्यक्ष जी, उन बेचारों को तनख्वाह तो 8–9 हजार रूपये दी जाती है और उनसे प्रशिक्षण शुल्क के नाम पर 10–10 हजार रूपये लिये जाते हैं ।

इसके अतिरिक्त मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि ये 10 हजार रूपये नॉन रिफंडेबल हैं । अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों से उस कम्पनी ने पैसे लिये हैं क्या सरकार उनको पैसे वापस दिलाने का काम करेगी ? इसके अतिरिक्त मुझे धरने पर बैठे हुए लोगों ने बताया है कि इस आउटसॉर्सिंग कम्पनी का मालिक है

वह *** का आदमी है और वह सरकार की शह पर पैसा कमा रहा है । यह बात वहां धरने पर बैठे लोगों के बीच में चल रही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य द्वारा कहा गया यह शब्द रिकॉर्ड न किया जाए ।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, यह बात वहां धरने पर पूर्व सैनिक कह रहे हैं । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने कम्पनी के अनुबंध में इस प्रकार की कोई शर्त न होते हुए भी उन लोगों से पैसा दिलवाने का काम किया क्या सरकार उनके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी ? (विघ्न)

श्री श्याम सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को सदन में केवल तथ्यों के आधार पर ही बात करनी चाहिए । (विघ्न)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है । मैंने कहा है कि मैं धरने की जगह पर गया था और वहां पर धरना दे रहे पूर्व सैनिकों ने मुझे जो बताया वह बात मैंने यहां सदन में कही है । मैं स्वयं तो इस बात को जानता ही नहीं हूं । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष जी, किसी भी बात पर *** का नाम ले देते हैं । मुझे यह समझ नहीं आता कि इनको *** से क्या फोबिया है । (विघ्न)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य डॉ. कमल गुप्ता को बताना चाहता हूं कि इन्होंने तो वहां धरने पर जाना भी उचित नहीं समझा जबकि वहां पर वे लोग बैठे थे जिन्होंने हमारे देश के रक्षा क्षेत्र में सेवा की है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गंगवा जी, इस तरह से कोई भी आदमी किसी भी सदस्य का नाम किसी गलत कार्य में ले सकता है । ऐसे तो कोई सदस्य यह भी कह देगा कि आपके लीडर ऑफ अपोजीशन ने पैसे लिये हैं ।

.....

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।**

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के सवाल का जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया था कि जो पैसे लिये गये हैं वे वापस कराये जाएंगे लेकिन माननीय सदस्य को सरकार पर कुछ छींटाकशी करनी थी । उस छींटाकशी में इन्होंने खुद कहा कि वह *** का आदमी है और फिर कहा कि यह मुझे लोगों ने बताया है । अतः मेरी भी आपसे विनती है कि इस शब्द को सत्र की कार्यवाही से निकाला जाए । इन्होंने सदन में बिल्कुल गलत बात कही है । (विघ्न)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष जी, मैंने यह बात नहीं कही आप चाहे तो इसके लिए रिपोर्ट निकलवा सकते हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गंगवा जी, यह छोटी बात नहीं है । आप इस हाउस के एक ऑनरेबल मैम्बर हैं, इसलिए आप उसी हिसाब से अपनी बात रखिये क्योंकि लोग तो पता नहीं क्या–क्या बातें करते हैं । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, *** का नाम बुराई में नहीं है । (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : मंत्री जी, कृपया प्रश्न का जवाब दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. तो सारी जगह है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : दांगी जी, मैंने प्रश्न का जवाब दे दिया है। (शोर एवं व्यवधान) आर.एस.एस. तो सब जगह है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष महोदय, आर. एस.एस. के कारण ही कांग्रेस पार्टी की 400 सीटों में से सिर्फ 40 सीटें ही आई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने पहले ही कम्पलीट जवाब दे दिया है कि यह मामला जानकारी में आ गया है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी ने कहा है कि हमारी जानकारी में आते ही उस पर इन्क्वॉयरी करवा दी गई है।

.....

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।**

इन्क्वॉयरी में जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे साफ जवाब मंत्री जी क्या दे सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, जो पैसे ले लिए गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, मंत्री जी ने कह दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी जोर–शोर से यह बात उठाते थे कि जो आउटसोर्सिंग की नीति है उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता आने पर बंद कर देंगे। अब ऐसा कोई भी महकमा नहीं है जिसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जा रही हो। अध्यक्ष महोदय, संविधान के तहत आउटसोर्सिंग में भी 50 प्रतिशत आरक्षण एस.सी./बी.सी. का होना चाहिए। सरकार अपने चेहतो को सिफारिश के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार आउटसोर्सिंग की भर्ती में भी आरक्षण देने का काम करेगी? क्या इस बात का सरकार ध्यान रखेगी कि जो आरक्षण संविधान के तहत मिला हुआ है उसके तहत ही भर्ती की जाए? और जो कर्मचारी पहले लगे हुए हैं उन पर भी इस नीति का अनुसरण किया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : गंगवा जी, यह अलग प्रश्न है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अलग से प्रश्न पूछना चाहिए था।

Supply Electricity in Dhanis

***2194. Dr. Abhe Singh Yadav**: Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) the number of electrified Dhanis in district Mahendergarh;

(b) the number of Dhanis connected with AP supply line only;

(c) the number of PAT transformers installed and functional in Nangal Chaudhary Constituency; and

(d) whether there is any policy of the Government to connect the Dhanis having more than 100 population with DS supply lines ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान जी,

(क) जिला महेन्द्रगढ़ में 7388 विद्युतीकृत ढ़ाणियां मौजूद हैं।

(ख) ए.पी. फीडर के साथ 4214 विद्युतीकृत ढ़ाणियां जोड़ी गई हैं।

(ग) नांगल चौधरी निर्वाचन क्षेत्र में 24 पी.ए.टी. ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं और कार्य कर रहे हैं।

(घ) अपने स्वयं के खर्च पर डी.एस. फीडर पर किसी भी आाबादी वाली ढ़ाणियों को स्थानांतरित करने के लिए नीति पहले से ही मौजूद है।

.....

डॉ0 अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ की जो ढाणियों की फिगर माननीय मंत्री जी ने दे रखी है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि दो तरह की ढाणियां हैं एक ढाणी जो चकबंदी से पहले अस्तित्व में आई थी, जिनकी चकबंदी के रिकॉर्ड में फिरनी कटी हुई है। दूसरी ढाणियां ये हैं जो लोगों ने खेतों में अपने मकान बना लिये हैं और वह 5–5, 6–6 या 7–7 घरों की ढाणियां बन गई हैं। अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नांगल चौधरी में रैली थी, तो उस समय मैंने प्रार्थना की थी कि उन ढाणियों में पानी की सप्लाई दी जाये। अध्यक्ष महोदय, सौ से ज्यादा जनसंख्या वाली ढाणियों में पानी की सप्लाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से नाबार्ड प्रोजैक्ट के माध्यम से दे दी गई। अध्यक्ष महोदय, अब वहां पर बिजली नहीं है और बिजली की हालत यह है कि उनकी बिजली की लाइन ए.पी. लाइन से जोड़ी हुई है। ए.पी. लाइन का शिड्यूल घरेलू लाइन से अलग होता है। मान लो दिन में किसी फिडर से ए.पी. लाइन में बिजली दी जाती है तो अगर हम ए.पी लाईन की

बात करें तो वहां पर रात को बिजली नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, हम आज हरियाणा की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और हम आज 2021 में खड़े हैं, अगर आज हमारे प्रदेश के बच्चे लालटेन और लैम्प में पढ़ते हैं तो यह हमारे लिए बहुत गंभीर और विचारणीय मामला है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मंत्री महोदय बता रहे हैं कि यह अपने खर्चे पर ढाणियों को बिजली कनेक्शन देने की पॉलिसी है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह संभव नहीं है कि सारी ढाणियां अपने पैसे इकट्ठा करके बिजली कनेक्शन ले। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह भी है कि हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने 4214 ढाणियों को ए.पी. फीडर से कनेक्ट कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब इन्होंने पहले जो फीगर दिए हैं तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक 3154 ढाणियां डोमेस्टिक सप्लाई से कनेक्टिड हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जब पहले से इतनी ढाणियां सरकारी खर्चे पर फीडर से कनेक्टिड हैं तो बाकी के ढाणियों के लिए उनको खुद खर्चा देने की बात है तो यह तर्कसंगत नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इन्होंने जो ढाणियों की संख्या बताई है वह इतनी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि हमारे हल्के में 100 से ज्यादा आबादी वाली 70 ढाणियां हैं, जिनको फीडर से कनेक्ट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना यह है कि कम–से–कम उन ढाणियों को तुरंत डौमैस्टिक सप्लाई से कनैक्ट कर दिया जाए, जिनकी संख्या 100 से अधिक है या जो चकबंदी से पहले ऐग्जिस्ट करती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका एक समाधान भी मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां ट्यूबवैल की जो ए.पी. लाइन्स हैं, उनमें काफी सारी लाइनें बेकार पड़ी हुई हैं, क्योंकि पहले वहां के कुओं में पानी था इसलिए यह लाइनें खींची गई थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि अब ट्यूबवैल का पानी ड्राई हो गया है और वे लाइनें इसी तरह से खाली पड़ी हुई हैं। अगर हम उन लाइनों को सिफ्ट करके डोमेस्टिक सप्लाई में कनेक्ट कर दें तो बहुत कम खर्चे में काम हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम–से–कम जिन ढाणियों में 100 से ज्यादा आबादी है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग रहते हैं उन ढाणियों को सरकारी खर्चे पर कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे अभी इसी हाउस में स्वीकार करने की घोषणा करेंगे।

श्रीमती लतिका शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि यह मेरे कालका विधान सभा क्षेत्र मोरनी में 110 ढाणियों का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि इसके लिए सरकार ने 2.15 करोड़ रुपए सैंक्शन किये थे, उसके बाद 2 बार टेंडर कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन दोनों बार मोरनी की 110 ढाणियों में बिजली की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी ही गंभीर समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मोरनी में कहीं 10 लोग रहते हैं तो कहीं पर 20 लोग रहते है इसलिए इस विषय पर जरूर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, आप जवाब दें ? (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इससे रिलेटेड एक मामला मेरे पास भी है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे बड़े भाई ने..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय विधायक जी किसानों को नकली बता रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी यहां पर खड़े होकर किसानों की बात कर रहे हैं और यहां से बाहर निकल कर उन्हें नकली किसान बताते हैं। क्या इन्होंने असली किसानों का पैटेंट करवाया हुआ है कि ''तुम्हारा प्यार, प्यार और हमारा प्यार, पंगा''। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को यह बताना चाहूंगा कि हम इतने कमजोर नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को बताना चाहूंगा कि ये किसान की बातें न करें, ये किसान वाले नहीं, मुर्गी वाले हैं।

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अभय सिंह चौटाला जी को बताना चाहूंगा कि हम इनके जैसे बड़े किसान नहीं हैं, हम तो छोटे किसान हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये तो खेतों में कभी गए ही नहीं, लेकिन हमने तो खेतों में काम भी किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार वेदीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जिन्हें नकली किसान बता रहे थे, उनमें महेल सिंह डाडलू इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 6

बार इन लोगों का इकट्ठा खाना हुआ, जिसमें श्री अशोक अरोड़ा को निमंत्रण आया, श्री जसविन्द्र सिंह डिले को निमंत्रण आया और उस समय श्री अजय सिंह चौटाला ने जो पद यात्रा की थी, वे भी उस खाने में शामिल हुए और श्री महेल सिंह जी से ये दांत घिसाई लेकर आए, उस समय तो श्री महेल सिंह डाडलू एक किसान थे और आज माननीय विधायक जी उनको नकली किसान बता रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी को बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहले हरियाणा के किसानों से और इस सदन से माफी मांगे क्योंकि इन्होंने किसानों के बारे में गलत बात कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महीपाल जी, आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं इनकी पोल यहीं पर खोलूंगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं इनकी ऐसी पोल खोलूंगा कि ये कुछ भी नहीं बोल पायेंगे। (शोर एवं व्यवधान) इनका मेरे पास ऐसा इलाज है। (शोर एवं व्यवधान) मैं इनका वहम यहीं पर इसी सदन में निकालूंगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं इनकी यहीं पर इसी हाउस में तसल्ली करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : माननीय स्पीकर साहब, मेरा श्री अभय सिंह चौटाला को चैलेंज हैं कि ये जो कुछ भी कहना चाहते हैं विधान सभा के अंदर भी और विधान सभा के बाहर भी वह निश्चिंत होकर कहे। मैं इनके हरेक आरोप के बारे में अपनी स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में सक्षम हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बेदी जी, आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : माननीय स्पीकर साहब, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि जो अभी श्री अभय सिंह चौटला जी ने मुझे बोला है कि वे यहां पर मेरा वहम निकालेंगे। इनसे यह पूछा जाये कि ये मेरा किस बात का वहम निकालेंगे। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने शाहाबाद के अंदर भी ऐसा ही बोला था। इसलिए इनसे इस बारे में स्थिति स्पष्ट करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं इनको फिर से कह रहा हूं कि मैं इनका वहम यहीं पर निकालूंगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं इनका वहम थोड़ी देर में ही निकालूंगा। इनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी कृपया करके बैठ जायें और इस सवाल का जवाब आने दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : माननीय स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से श्री अभय सिंह चौटाला जी को यह कहना चाहता हूं कि इनकी पार्टी द्वारा जिन चोरों को टिकट दिया जाता है इनको पहले उनका वहम निकालना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, यह क्या तरीका है। आप मंत्री जी को बिठायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बेदी जी, आप भी कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) जो सवाल चल रहा है उसका जवाब आने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, आप इनको बिठायें। ऐसे सदन की कार्यवाही नहीं चलती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप थोड़ा कड़क भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से इनकी तरफ से भी उसी लहजे में बात हो जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : माननीय स्पीकर साहब, इनका परिवार जेल में पड़ा है और ये हमारा वहम निकालने की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बेदी जी, आप प्लीज बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपको बार–बार कह रहा हूं कि आप इनको बिठायें। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप अपनी तरफ से धमकी दे देते हो जिसके जवाब में दूसरी तरफ से भी वैसी ही धमकी मिलती हैं। इसी कारण से सारा माहौल खराब हो जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, आप सत्ता पक्ष के सभी लोगों को बैठने के लिए कहें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, पहले आप बैठ जायें मैं उनको भी बिठा रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : स्पीकर सर, इस प्रकार से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। विपक्ष के नेता इस प्रकार से एक सम्मानित मंत्री को नहीं धमका सकते हैं। यह पूरी तरह से गलत और अलोकतांत्रिक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है असीम जी, आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढ़ाण्डा : स्पीकर सर, विपक्ष के नेता को अपने इस व्यवहार के लिए सदन में माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महीपाल जी, कृपया करके आप भी बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेज पाल तंवर : स्पीकर सर, विपक्ष के नेता से सदन में उनके एक मंत्री के प्रति व्यवहार के लिए माफी मंगवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तेज पाल जी, आप भी कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, पहले मंत्री जी से माफी मंगवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नसीम जी, पहले तो आप यह बतायें कि आप मंत्री जी से किस बात की माफी मंगवाना चाहते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मंत्री जी ने बिना किसी ठोस सबूत के मेरे ऊपर लांछन लगाई है इसलिए उसके लिए मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप एवं अपनी पार्टी के सभी सदस्य कृपया करके अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर खड़े होकर सरकार विरोधी नारेबाज़ी करने लगे।)

श्री अध्यक्ष : मैं इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्यों से बार–बार यही कहना चाहता हूं कि वे कृपया करके अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान) नसीम जी, माफी मांगने का काम आप लोग कर रहे हैं इसलिए आपको ही माफी मांगनी पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान) अभय सिंह जी बैठ गये हैं इसलिए मैं आप सभी से भी रिकवैस्ट करता हूं कि अब आप भी अपन–अपनी सीटों पर बैठ जायें।

श्री श्याम सिंह राणा : स्पीकर सर, पहले आप विपक्ष के नेता से सदन में माफी मंगवायें उसे बाद ही सदन की कार्यवाही को आगे चलायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राणा जी, आप भी कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) जो मेरी परमिशन के बिना बोल रहे हैं उनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्यगण, कृपया करके अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपसे केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो सत्ता पक्ष के लोग एक–एक करके खड़े होकर मुझे डिस्टर्ब करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनका यह तरीका सही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपका यह तरीका सही नहीं है। अगर सत्ता पक्ष के सदस्य किसी बात के विरोधस्वरूप खड़े हो जाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आपकी पार्टी के माननीय सदस्यगण भी खड़े हो जायें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस प्रकार से सदन की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, क्या सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों का तरीका सही है? (शोर एवं व्यवधान) मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो तरीका इन्होंने अपना रखा है और जो तरीका ये अपना रहे हैं क्या यह सही है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, पहले माननीय मंत्री जी से माफी मंगवायें उसके बाद ही हम सदन की कार्यवाही को चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप कृपया करके बैठ जायें। नसीम जी, आप भी बैठें। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Criteria to Declare of Dark Zone Area

***2230. Shri Ram Chand Kamboj**: Will the Agriculture Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Rania Block has been declared dark zone; if so, the criteria thereof; and

(b) the total number of blocks declared dark zone in the Haryana State?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) हां श्रीमान्जी, किसी खण्ड को 'ओवर–एक्सप्लॉयटिड' (पहले 'डार्क जोन') वाला क्षेत्र तभी घोषित किया जाता है जब उस खण्ड में भू–जल का विकास 100 प्रतिशत से अधिक रहा हो।

(ख) मार्च 2013 के भू–जल संसाधन आंकलन के अनुसार, हरियाणा राज्य में कुल 64 खण्डों को 'अत्याधिक दोहन' वाले क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

.....

Development of International Horticulture Market

***2206. Shri Kuldeep Sharma**: Will the Agriculture Minister be pleased to state the status of development of International Horticulture (fruit & vegetable) Market in Ganaur, district Sonipat together with the amount spent for its development

since 2014 till to date along with the time by which it is likely to be completed and made operational?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ब्यौरा

गन्नौर में अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी मण्डी के विकास के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा मार्केट कमेटी, गन्नौर के माध्यम से 537 एकड़–5 कनाल– 16 मरला भूमि का अधिग्रहण 04.02.2008, 14.11.2008, 14.06.2013 तथा 13.08.2013 को किया गया था। इसमें से 163 एकड़ भूमि च्स्च। के अंतर्गत थी, जिसकी अधिसूचना 02.08.2016 को रद्द करवा दी गई थी। समय–समय पर कुल 161.51 करोड़ रुपये की राशि ग्राम पंचायतों तथा निजी भू–स्वामियों को मुआवजे के तौर पर आबंटित की गई। वर्ष 2014 से अब तक कुल 28.43 करोड़ रुपये की लागत से चारदिवारी, प्राइमरी प्रोसैसिंग यूनिट, कवर्ड शैड, आंतरिक सड़कें, जल आपूर्ति, सीवरेज एवं विद्युतिकरण जैसी सुविधाएं प्रथम चरण में प्रदान कर दी गई है। अभी इस मार्केट के पूरा होने तथा परिचालित होने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

.....

Repair of Water Tank

*__2196. Shri Makhan Lal Singla__ : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the dilapidated water tank of water works in village Nahrana of Sirsa Constituency; if so, the time by which it is likely to be repaired?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डा0 बनवारी लाल हरियाणा) : हां, श्रीमान जी, क्योंकि इस मामले का प्रस्ताव विचाराधीन है, अतः इस बारे वर्तमान में कोई समय निर्धारित नहीं की जा सकती।

Implementation of Dr. Ambedkar Medhavi Chhattar Yojna

***2190. Smt Geeta Bhukkal**: Will the Minister of State for Welfare of Scheduled Caste and Backward Classes be pleased to state the :-

(a) the status of implementation of Dr. Ambedkar Medhavi Chhatar Yojna;

(b) the present criteria and number of scholarships given ; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the number and amount of scholarship?

सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) :श्रीमान जी, सूचना विधानसभा सदन के पटल पर रखी है ।

सूचना

(क) डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के कियान्वयन की स्थिति क्या है:–

डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत अनूसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, धुमन्तु/अर्धधुमन्तु जातियों के मेधावी छात्रों को 8000/–रूपये से 12000/–रूपये दसवीं, बारहवीं और स्नातक स्तर की परीक्षा पास करने उपरान्त क्रमशः ग्यारहवीं, स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के छात्रो के मामले में उनको दसवीं कक्षा पास करने के उपरान्त 11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिॅकेट कोर्सो के प्रथम वर्ष में दाखिले उपरान्त 8000/–रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

वर्ष 2015–16 में स्कीम में अधिक छात्रों को लाभ प्रदान करने के लिए प्राप्त अंकों की प्रतिशतता को घटाकर संशोधन किया गया। स्कीम के अर्न्तगत प्रतिवर्ष मास सितम्बर व अक्टूबर में विभिन्न प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाकर योग्य छात्रों से ऑन लाईन आवेदन पत्र मांगे जाते हैं । एक अप्रैल, 2011 से प्रोत्साहन राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाती है।

(ख) वर्तमान मानदण्ड क्या है तथा कितनी छात्रवृति दी गई :

1. छात्र अनूसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, धुमन्तु/अर्धधुमन्तु जाति अथवा पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिए।

2. छात्र को निम्न तालिका के कॉलम ;पद्ध से ;पपपद्ध में दर्शाई गई कक्षा निर्धारित अंको की

प्रतिशतता प्राप्त करने पर कॉलम ;अद्ध अनुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है :

क0 स0	प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतू पास की जाने वाली परीक्षा (i)	प्रोत्साहन राशि हेतू आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता		कोर्स जिनमें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी (iv)	प्रोत्साहन राशि की दर (राशि रू0में) (v)
		शहरी (ii)	ग्रामीण (iii)		
1. अनूसूचित जाति, विमुक्त जाति, धुमन्तु/अर्ध धुमन्तु एवं टपरीवास जातियों के छात्रों हेतू					
	मैट्रिक	70	60	11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिले उपरान्त	8000
	10+2	75	70	ग्रेजुऐशन के प्रथम वर्ष में दाखिले उपरान्त : 1. आर्टस, कॉमर्स, साईस व सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष 2. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज 3. एम0बी0बी0एस0 तथा अलाईड मैडिकल कोर्सज का प्रथम वर्ष	 8000 9000 10000
	ग्रेजुऐशन	65	60	पोस्ट ग्रेजुऐशन का प्रथम वर्षः 1. आर्टस, कॉमर्स, साईस 2. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी/ व्यवसायिक कोर्सिज 3. एम0डी/एम0एस0, अलाईड मैडिकल कोर्सज	 9000 11000 12000
2. अन्य पिछड़े वर्ग (ब्लाक–ए) के छात्रों हेतू					
	मैट्रिक	70	60	11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिले उपरान्त	8000
3. अन्य पिछड़े वर्ग (ब्लाक–बी) के छात्रों हेतू					
	मैट्रिक	80	75	11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिले उपरान्त	8000

वर्तमान में प्रोत्साहन राशि उन्हीं छात्रों को प्रदान की जाती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नही है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा छात्रो की परिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से 3.60 लाख रूपये बढ़ाने का अनुमोदन कर दिया गया है ।

वर्ष 2016–17 में अनूसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के 22040 छात्रो को 1617.52 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। वर्ष 2017–18 में 6556 छात्रो को 428.25 रूपये की प्रोत्साहन राशि मास सितम्बर, 2017 तक प्रदान की गई है ।

(ग) क्या छात्रवृति की सख्यां तथा राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के

विचाराधीन है:– नही, श्रीमान जी।

.....

To Widen nd Strengthen the Road

***2202. Shri Sri Krishan Hooda** : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to widen and strengthen the road from Gohana to Julana Road; if so, the details thereof together with the time by which it is likely to be widened and strengthened?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हाँ, श्रीमान् जी, वर्तमान में समय सीमा का वायदा नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुमान की प्रषासकीय स्वीकृति अभी प्रदान की जानी है।

Total number of Government Buses

***2224. Shri Naseem Ahmed**: Will the Transport Minister to pleased to State: -

(a) the total number of Government buses in the Transport Department of Haryana State:

(b) the criteria for allocation of buses to depots; and

(c) the depotwise number of Government buses of Roadways at present in the state?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण पंवार) : श्रीमान् जी,

(क) दिनांक 30.09.2017 को हरियाणा राज्य परिवहन के बस बेड़े में सरकारी बसों की संख्या 4094 है।

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक डिपो के लिए अधिकृत बसों की संख्या निर्धारित की गई है तथा बसें उन डिपुओं को आबंटित की जाती हैं जिनमें बसों की संख्या सरकार द्वारा अधिकृत बसों की संख्या से कम है।

(ग) सूचि संलग्न है।

वक्तव्य

राज्य में डिपो वार बसों की संख्या निम्नानुसार है :

क्रं0सं0	डिपो का नाम	डिपो में 30.09.2017 को बसों की संख्या
1	गुरूग्राम	209
2	रोहतक	193
3	हिसार	208
4	रेवाड़ी	158
5	भिवानी	169
6	सिरसा	182
7	फरीदाबाद	146
7 क	फरीदाबाद शहरी बस सेवा	160
8	फतेहाबाद	165
9	झज्जर	167
10	नारनौंल	153
11	चरखी दादरी	171
12	नूँह	98
13	पलवल	109
14	अम्बाला	217
15	चण्डीगढ	262
16	करनाल	183
17	जीन्द	160
18	कैथल	141
19	सोनीपत	231
20	यमुनानगर	162
21	दिल्ली	130
22	कुरूक्षेत्र	180
23	पानीपत	140

.....

Shortage of Lecturers

***2116. Smt Kiran Choudhry:** Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) Whether it is a fact that there is acute shortage of Lecturers in the Sir Chhottu Ram Women College, Sampla, Distt. Jhajjar; and

(b) If so, the total number of posts of Lecturers lying vacant in the above said Women College togetherwith the time by which the vacant posts of Lecturers are likely to be filled up?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी;

(ख) इसलिए प्रश्न का यह अंश उत्पन्न ही नहीं होता।

.....

Construction Work of Auto Market in Hansi

***2135. Smt Renuka Bishnoi**: Will the Urban Local BodiesMinister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the construction work of auto market was started during the year 1994 in Hansi but auto market has not been allotted to mechanics of Hansi so far; if so, the present status thereof; and

(b) the time by which the construction work of auto market is likely to be completed ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, आटो मार्किट की आधारशिला दिंनाक 25.01.2004 को रख दी गई थी तथा विकास कार्य रूपये 261.71 लाख की लागत से वर्ष 2005 में स्थल पर पूर्ण किए जा चुके हैं।

.....

*** 2078. Shri Karan Singh Dalal**: Will the Finance Minister be pleased to state the year-wise per capita income in the State during the last five years?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : राज्य की पिछले पांच वर्षों की प्रति व्यक्ति आय निम्न है :–

वर्ष	प्रचलित मूल्यों पर (रूपये)	स्थिर (आधार वर्ष 2011–12) मूल्यों पर (रूपये)
2012–13	121269	111648
2013–14	138300	119522
2014–15	148485	124302
2015–16 (द्रु)	162034	133591
2016–17 (अग्र)	180174	143211

.....

Water Supply upto Tails

***2052. Shri Kehar Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply the water upto the tails of the distributaries and minors of district Palwal; if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, आगरा नहर से निकलले वाले तथा पलवल जिले की भूमि को सिंचित करने वाले रजवाहों और माईनरों का प्रशासनिका और नियंत्रण, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के पास है। बार–बार अनुरोध करने के

बावजूद, उत्तर प्रदेश द्वारा इन चैनलों में पानी की आपूर्ति कम की जा रही है तथा कोई भी रोटेशनल कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। इसलिए पलवल जिले में पड़ने वाले रजवाहों और माईनरों के अंतिम छोर तक पानी पूरी तरह से नहीं पंहुचाया जा रहा है और कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

.....

Re-construction Government School Building

*__2058. Shri Om Parkash Barwa__ : Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that the building of Government school of village Bardu Puran in Loharu block of Loharu Constituency has been completely damaged; if so, the time by which it is likely to be reconstructed.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हां श्रीमान जी, विद्यालय में चार नये कमरो के पुनः निर्माण कार्य के लिए दिनांक 13.10.2017 को 20.08 लाख के बजट का अनुमोदन कर दिया गया है और यह कार्य निकट भविष्य में पूर्ण हो जायेगा।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Total Divorces in Hindu and Sikh Familes

__*499. Shri Karan Singh Dalal__ : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of divorces taken place among the Hindu and Sikh families in the State during the last two financial years togetherwith the districtwise details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : सूचना को संगृहित करने में होने वाले प्रयास एवं संसाधन इस सूचना से होने वाले लाभ के अनुरूप नहीं होंगे।

.....

To Trace the Panchayat Land

476. Shri Om Parkash Barwa: Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that the consolidation was conducted in village Allaudinpur (Bhugala) of Loharu Block in Loharu Constituency in the year 2009-10 but about 199 Kanal land of Panchayat has not been shown in the revenue record; and

(b) if so, the time by which said land of Panchayat is likely to be traced togetherwith the details thereof ?

वित्त मन्त्री (कैप्टन अभिमन्यु) :

(क) लोहारू विधान सभा क्षेत्र के लोहारू खण्ड के गांव अलाऊदीनपुर (भुगला) का चकबन्दी का कार्य 2014–15 में पूर्ण हो गया था। चकबन्दी के बाद जमाबन्दी में ग्राम पंचायत देह का 1111 कनाल 8 मरला रकबा दर्शाया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

.....

District wise List of New Pensioner

517. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Social Justice & Empowerment Minister be pleased to state the details of new old age pension beneficiaries added from April, 2015 to June, 2017 in the state together with district wise details of pending applications for old age pension ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अन्तर्गत अपैल, 2015 से जून, 2017 तक कुल 3,58,733 नये बुढ़ापा पेंशन लाभान्वितों को जोड़ा गया । दिनांक 16–10–2017 तक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के कुल 63,618 आवेदन लम्बित हैं । जिलावार नये बुढ़ापा

लाभान्वितों एवं बुढ़ापा सम्मान भत्ता के लिए लम्बित आवेदनों का जिलावार ब्यौरा अनुबन्ध ''क'' पर सलंग्न है ।

अनुबन्ध ''क''

अप्रैल, 2015 से जून, 2017 तक नये जोड़े गये बुढ़ापा सम्मान भत्ता लाभान्वितों के साथ–2 लम्बित आवेदनों का जिलावार ब्यौरा

क्रम सं0	जिला का नाम	अप्रैल, 2015 से जून, 2017 तक जोड़े गये लाभपात्र	दिनांक 16–10–2017 तक लम्बित आवेदन
1.	अम्बाला	17874	2148
2.	भिवानी	23591	4832
3.	फरीदाबाद	19503	5431
4.	फतेहाबाद	12835	3203
5.	गुरूग्राम	8773	2246
6.	हिसार	32081	4275
7.	झज्जर	13150	996
8.	जीन्द	22708	4413
9.	कैथल	20112	2801
10.	करनाल	18238	3666
11.	कुरूक्षेत्र	16866	1254
12.	महेन्द्रगढ़	19752	3249
13.	नूंह	10999	2582
14.	पलवल	13839	2239
15.	पंचकूला	6774	397
16.	पानीपत	16210	2157
17.	रिवाड़ी	12863	2295
18.	रोहतक	14167	2942
19.	सिरसा	20761	2920
20.	सोनीपत	19135	6237
21.	यमुनानगर	18502	3335
	कुल	358733	63618

नोटः–जिला चरखी दादरी के लाभपात्र को जिला भिवानी में शामिल किया गया है चूंकि नया जिला होने के कारण अभी जिला समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है ।

.....

To Metal the Unmetalled Passage

511. Shri Pirthi Singh: Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passage from village Kharal to Dhabi Tek Singh of Narwana constituency; if so, the time by which it is likely to be metalled?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : जी हां श्रीमान इस कार्य के 31.03.2018 तक पूरा होने की संभावना है।

.....

Re-Construction Works of Phirni

490. Shri Rajdeep Phogat: Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state the time by which re-construction work of phirni of village Boundkalan and Ghirkara is likely to be started?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनकड़) : श्रीमान जी, वर्तमान में गांव बोन्दकलां व घिकाडा की फिरनी के पुननिर्माण का कोई भी प्रस्ताव विचारधीन नही है।

To Fill Up the Vacant Posts of Coaches

524. Prof. Ravinder Baliala: Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the vacant posts of coaches in sports stadium of village Bhodia Khera

(b) if so, the time by which the above said posts are likely to be filled up?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) 498 कनिष्टे प्रशिक्षकों के रिक्त पदों को भरने बारे, उम्मी दवारों के चयन हेतु मांग कर्मचारी चयन आयोग को भेजी हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जब चयनित उम्मीगदवारों की सूचि भेजी जायेगी तब रिक्तs पदों को भर लिया जायेगा।

To Construction of Auditorium

538. **Shri Jasbir Singh Deswal** : Will the Art & Cultural Affairs, Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a auditorium in Sub-Division Safidon to promote Folk Art and Culture, if so, the details thereof ?

शहरी निकाय स्थानीय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : नहीं, श्रीमान् जी ।

.....

Cancer Cases in the State

484. Shri Karan Singh Dalal: Will the Health Minister be pleased to state:-

(a) the total number of cases of Cancer identified in each district of the state during the last four years; and

(b) the total deaths taken place in each district of Haryana due to cancer ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) गत् चार वर्षो के दौरान राज्य के प्रत्येक जिले में कैंसर के कुल कितने मामलों की पहचान की गई है;

- राज्य के प्रत्येक जिले में पिछले चार वर्षो के दौरान सूचित कैंसर के मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

क्रमांक	जिले का नाम	कैंसर के मामलों की संख्या की पहचान (जनवरी से दिसम्बर)			
		2013	**2014**	**2015**	**2016**
1	अम्बाला	83	154	229	400
2	भिवानी	10	149	232	186
3	फरीदाबाद	209	261	295	1609
4	फतेहाबाद	5	97	90	101
5	गुडगांव	281	135	129	76
6	हिसार	0	108	166	553
7	झज्जर	6	4	34	155
8	जीन्द	6	168	253	394
9	कैथल	14	307	211	228
10	करनाल	153	214	272	276
11	कुरूक्षेत्र	271	323	269	276
12	मेवात	96	117	131	187
13	नारनौल	88	90	110	122
14	पलवल	1	2	8	8
15	पंचकूला	86	85	95	121
16	पानीपत	42	48	110	139
17	रिवाडी	5	134	220	214
18	रोहतक	9899	8961	10326	10558
19	सिरसा	6	45	41	71
20	सोनीपत	397	299	456	490
21	यमुनानगर	59	75	20	16
	कुल	**11717**	**11776**	**13697**	**16180**

(ख) कैंसर के कारण हरियाणा के प्रत्येक जिले में कुल कितनी मौतें हुई ?

• राज्य के प्रत्येक जिले में पिछले चार वर्षों में कैंसर के कारण हुई मौतों की कुल संख्या निम्नानुसार हैः

क्रमांक	जिले का नाम	कैंसर के कारण हुई मौंतों की कुल संख्या (जनवरी से दिसम्बर)			
		2013	**2014**	**2015**	**2016**
1	अम्बाला		121	166	169
2	भिवानी	38	42	56	46
3	फरीदाबाद	49	86	103	108
4	फतेहाबाद	230	224	264	315
5	गुडगांव	120	165	177	180
6	हिसार	0	43	56	91
7	झज्जर	2	1	7	16
8	जीन्द	218	303	313	367
9	कैथल	51	58	60	69
10	करनाल	42	61	60	53
11	कुरूक्षेत्र	55	115	155	52
12	मेवात	60	89	148	105
13	नारनौल	74	86	100	106
14	पलवल	0	0	0	1
15	पंचकूला	2	1	3	2
16	पानीपत	39	43	37	74
17	रिवाडी	1	117	190	185
18	रोहतक	353	349	532	553
19	सिरसा	109	225	263	315
20	सोनीपत	242	254	327	329
21	यमुनानगर	160	332	300	532
	कुल	**1845**	**2715**	**3317**	**3668**

.....

Construction Work of Women College

477. Shri Om Parkash Barwa : Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that the construction work of

Women College at Loharu in Loharu Constituency could not be started due to dispute of site; if so, the time by which the construction work is likely to be started?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हां श्रीमान् जी, लोहारु निर्वाचनक्षेत्र में महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य स्थल के विवाद के कारण आरम्भ नहीं हो सका क्योंकि महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु किला मैदान की प्रस्तावित भूमि पशु–पालन एवं डेयरी विभाग द्वारा उच्चतर शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित नहीं की गई थी। बाद में स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रस्ताव भेजा गया कि राजकीय महाविद्यालय लोहारु की कुल 29 एकड़ भूमि में से 12 एकड़ भूमि जो कि महाविद्यालय के सामने है उसमें से 7) एकड़ भूमि महिला महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है। परन्तु शहीद भगत सिंह सोसायटी, लोहारु से महाविद्यालय भवन को किला मैदान की भूमि पर बनवाने बारे प्रतिवदेन प्राप्त हुआ। स्थल के निर्धारण हेतु मामला विचाराधीन है। जैसे ही महाविद्यालय हेतु स्थल के निर्धारण सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

.....

Compulsory Crop Insurance Scheme

518. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Agriculture Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Government has introduced compulsory crop insurance as well as voluntary crop insurance for the kharif crops 2017;

(b) if so, district wise number of farmers whose crop insurance was under the compulsory scheme and also the number of farmers who got it voluntarily; and

(c) the total premium collected for kharif season 2017-18, upto 31st July, 2017 in the State ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) हां श्रीमान् जी, राज्य सरकार खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करर ही है। यह योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य और अऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।

(ख)ब्यौरा सदन के पटल पर अनुबन्ध 'अ' पर रखा जाताहै।

(ग) खरीफ 2017 सीजन में किसानों से कुल 122.88 करोड़ बीमित राशि एकत्रित की गई।

अनुबन्ध 'अ'

खरीफ 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत जिला वार ऋणी किसान, अऋणी किसान और कुल किसानों की संख्या

क्र0 स0	जिला	ऋणी किसान	अ़ऋणी किसान	कुलकिसान
1	सिरसा	63787	36	63823
2	भिवानी	41089	187	41276
3	फरीदाबाद	3142	11	3153
4	कुरुक्षेत्र	25489	0	25489
5	कैथल	38897	0	38897
6	पंचकुला	5400	25	5425
7	रेवाडी	23054	3	23057
समूह–ा		**200858**	**262**	**201120**
8	हिसार	63800	239	64039
9	सोनीपत	32360	121	32481
10	गुरुग्राम	2560	10	2570
11	करनाल	56880	213	57093
12	अम्बाला	24840	93	24933
13	जीन्द	51560	193	51753
14	महेन्द्रगढ	3240	12	3252
समूह–ाा		**235240**	**881**	**236121**
15	फतेहाबाद	60640	227	60867

16	रोहतक	20400	77	20477
17	झज्जर	15160	57	15217
18	मेवात	2720	10	2730
19	पलवल	14400	54	14454
20	पानीपत	19200	72	19272
21	यमुनानगर	32240	121	32361
समूह–गग		**164760**	**618**	**165378**
कुल जोड़		**600858**	**1761**	**602619**

.....

Upgradation of School

512. Shri Pirthi Singh : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Government High School of Kharal of Narwana Constituency upto Government Senior Secondary School; if so, the time by which it is likely to be upgraded?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं श्रीमान जी, नरवाना निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय उच्च विद्यालय खरल को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह विद्यालय छात्र संख्या कम होने के कारण स्तरोन्नति के नार्मस पूर्ण नहीं करता है।

.....

Opening of Veterinary Hospitals

489. Shri Rajdeep Singh: Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open the Veterinary Hospital in village Loharwara, Bas, Rampura and Khatiwas of Charkhi Dadri Constituency; if so, the time by which these are likely to be opened?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी, प्रश्न ही नहीं उठता है।

.....

Repair of Hall of Stadium

523. Prof. Ravinder Baliala: Will the Sports & Youth Addairs Minister be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Governmernt to repair the hall of the newly built sports stadium in village Bhodia Khera:

(b) if so, the time by which it is likely to be repaired?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) नहीं, श्रीमान जी।

.....

Construction of Over Bridge

537. Shri Jasbir Singh Deswal : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an over bridge on the railway crossing of Haat Road in Safidon Constituency?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

Total Talak in Meo Muslim

***498. Shri Karan Singh Dalal:** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of “TALAK” (Divorce) taken place among “Meo” Muslim in the State during the last 2 financial years?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : सूचना को संगृहित करने में होने वाले प्रयास एवं संसाधन इस सूचना से होने वाले लाभ के अनुरूप नहीं होंगे।

To Metal the Un-metalled Passages

478. Shri Om Parkash Barwa: Will the PW (B&R) Minister be pleased to state---

(a) whether it is a fact that the passages from village Garva to Sudhiwas village Mandholi Kalan to Surpura Kalan and village Surpura Kalan to Gokal Pura in Loharu constituency are unmetalled; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the said passages together with the time by which the said passages are likely to be metalled ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

.....

Construction of Toilets

519. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state: Whether toilets have been constructed in the villages of Gohana Assembly Constituency under Swachh Bharat Abhiyan from April, 2015 till to date; if so, the village wise details of beneficiaries?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत अप्रैल 2015 से अब तक गोहाना विधान सभा क्षेत्र के गांवों मे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के एम0आई0एस0 के अनुसार 10655 शौचालयों का निर्माण किया गया है। गांव अनुसार विवरण पताका 'A' पर रखा गया है।

पताका-A

गोहाना विधान सभा क्षेत्र मे अप्रैल 2015 से बनाये गये शौचालयों का गांव वार लाभार्थीयों का विवरण

क्र0स0	गांव का नाम	01.04.2015 से अब तक निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
1.	भाडी	144
2.	चतीया देवा	24
3.	दूभेटा	40
4.	माजरी	55
5.	मोई	81
6.	रहमाना	96
7.	सीतावली	6
8.	बरोटा	189
9.	बीधल	257
10.	गामड़ी	293
11.	गड़ी सराय नामदार	190
12.	गड़ी उजले खान	150
13.	जौली	299
14.	कैलाना खास	0
15.	ककाना भादरी	133
16.	कासंडा	164
17.	कासंडी	71
18.	खानपुर कलां	495
19.	खेरी धमकान	246
20.	लाठ	287
21.	नागर	42
22.	नायत	80
23.	सैनीपुरा	33
24.	सरगथल	223
25.	तीहाड़ मलिक	108
26.	वजीरपूरा	0
27.	गुढ़ा	7
28.	गंगेसर	45

29.	हसनगढ	1
30.	खंडराय	450
31.	बादशाहपुर माछरी	226
32.	बघारू	545
33.	बरवासनी	396
34.	भटाना जफराबाद	99
35.	भटगांव मलीयान	445
36.	भटगांव डुंगरान	575
37.	बोहला	209
38.	चीटाना	232
39.	डोडवा	241
40.	गूहना	396
41.	हसनयारपूर तिहाड़ कंला	0
42.	हुल्लाहेड़ी	158
43.	जाजी	226
44.	जूना–1	431
45.	कारेवारी	119
46.	खीजारपूर जाट माजरा	15
47.	किलोहरद	44
48.	लूहारी टीब्बा	104
49.	माहीपूर	0
50.	माहरा	177
51.	मेहलाना	168
52.	मोहाना	376
53.	नैनातातरपूर	226
54.	पीनाना	320
55.	रोलद लतीफपूर	146
56.	सल्लापूर माजरा	104
57.	सलीमपूर तराली	45
58.	सलीमपूर माजरा	363
59.	ताजपूर तिहाड खुरद	60
कुल		**10655**

.....

Widening of Road

513. Shri Pirthi Singh: Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the

Government to widen the road from village Dhamtan Sahib to Ujhana via Kharal in Narwana constituency under Pardhan Mantri Sadak Yojna together with the time by which it is likely to be widened?

लोक निर्माण मंत्री (श्री **नरबीर सिंह)** : नहीं श्रीमान् जी ।

.....

Appointment of Veterinary Doctor

488. Shri Rajdeep Singh: Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state whether it is a fact that the construction work of the building of Veterinary Hospital in village Sarangpur of Charkhi Dadri Constituency was completed about 10 years ago; if so, the time by which veterinary doctor is likely to be appointed in the said Hospital?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग द्वारा ऐसा निर्माण कार्य नहीं करवाया गया था। प्रश्न ही नहीं उठता है।

.....

To Four Lane the Road

531. Prof. Ravinder Baliala: Will the PW (B&R) Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to four lane the road from Ratia Chungi, Fatehabad to village Hanspur; if so, the time by which it is likely to be four laned?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

Repair of Canals and Minors

479. Shri Om Parkash Barwa : Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the Canals, Minors, Sub-Minors and distributaries of Loharu constituency are likely to be repaired so that the water may be supplied upto tails?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान् जी, नहरों, माइनरों, सब–माइनरों और रजबाहों की मुरम्मत निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और कुछ मुरम्मत/पुर्नवास के कार्य पहले से ही प्रगति पर हैं। ये कार्य संचालन एवं रखरखाव (O&M) बजट के तहत पूरे किये जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये चैनल तकनीकी रूप से निर्वहन के लिए सक्षम हैं ।

.....

Re-construction Work of Road

492. Shri Rajdeep Phogat: Will the PW(B&R) Minister be pleased to state the time by which the reconstruction work of the road from Dadri to Loharu is likely to be started ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं श्रीमान् जी, दादरी से लोहारु तक की सड़क के पुनर्निर्माण के कार्य का कोई प्रस्ताव नहीं है।

.....

To Metal the Unmetalled Passage

525. Prof. Ravinder Baliala: Will the PW (B&R) Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passage from Village Bhodia Khera to village Akanwali in Ratia Constituency; if so, the time by which it is likely to be metalled?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह): नहीं, श्रीमान् जी।

निजी सदस्य विधेयक की सूचना/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विभिन्न मामलों का उठाना

11:00 बजे

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, अब आप बोलें आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैंने आपकी सेवा में एक प्राईवेट मैम्बर बिल भेजा है। आपके साथ ही साथ मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी इस बारे में लिखा है। सर, उसमें मेरा एक निवेदन है कि यह एक जनहित का मुद्दा है शराब पीकर जो लोग गाड़ी चलाते हैं जिससे एक्सीडैंट्स होते हैं जिनमें बहुत से लोगों की जान माल की हानि होती है यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उनको सदन में इस आशय का बिल लाना चाहिए कि जिससे कम से कम यह नॉन–बेलेबल औफैंस बन जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, हमने आपका यह प्राईवेट मैम्बर बिल सरकार के पास सरकार के कमैंट्स के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही वहां से सरकार के कमैंट्स प्राप्त होंगे उसके बाद यहां पर आगे की कार्यवाही कर ली जायेगी। अब आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा कालिंग अटैंशन मोशन है और आपने मुझे उस पर बोलने के लिए इजाजत दी है इसलिए मुझे बोलने दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, आपने ऐसे लोगों को बोलने का मौका दे दिया है जिनका इस विषय से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, करण सिंह दलाल जी ने ज़ीरो ऑवर में अपनी बात कही है। (शोर एवं व्यवधान) जो आपका विषय है उसके ऊपर मैं सबसे पहले आपको ही बुलवाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान) करण सिंह दलाल जी ने केवल अपने प्राईवेट मैम्बर बिल के बारे में जानकारी चाही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, हमारा काम रोको प्रस्ताव है और काम रोको प्रस्ताव का मतलब यही होता है कि सभी काम रोककर सबसे पहले उस पर ही चर्चा करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान) कल आपने क्वैश्चन ऑवर के तुरंत बाद इस पर चर्चा करवाने का आपने वायदा किया था। (शोर एवं व्यवधान) अब क्वैश्चन ऑवर समाप्त हो गया है लेकिन आपने दूसरे विषय पर चर्चा शुरू करवा दी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, आपने जो पूछा था आपको उसकी जानकारी दे दी गई है इसलिए अब आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) करण सिंह दलाल जी, कल आप सारे इस बात पर अडिग थे कि सदन के सारे के सारे काम रोककर सबसे पहले दादूपुर–नलवी नहर के विषय पर चर्चा करवाई जाये और आज जब हम इस विषय पर सदन में चर्चा करवाना चाहते हैं तो अब आप इस विषय पर चर्चा करने से बच रहे हैं। आज आप दूसरे विषय पर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने जो कालिंग अटैशन मोशन न. 32 दिया है जो Problem of pre-mature babies in the area of Mewat and Palwal Disticts के बारे में है और जो नये जन्मे बच्चों में डिसेबल्टीज़ है इसके बारे में है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार के स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, मैंने आपको पहले भी बता दिया और अब फिर से बता रहा हूं कि आपका यह कालिंग अटैंशन मोशन सरकार के पास कमैंटस के लिए भेजा हुआ है। अब आप कृपया करके बैठ जायें। जय प्रकाश जी आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं।

श्री जय प्रकाश : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज से 13 वर्ष पहले हरियाणा प्रदेश में पब्लिक हैल्थ के कर्मचारी लगे थे उनका नाम ओपनिटी रखा गया था। उनको डी.सी. रेट के हिसाब से वेतन मिलता है। उनको परमानैंट नहीं किया जाता। वे पिछले लगभग 13 साल से ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। कैथल जिले के लोगों को नारनौल–फरीदाबाद में पोस्टिंग दी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह रिकवैस्ट करना चाहता हूं कि उनके लिए कोई न कोई ऐसी पॉलिसी तो बनाई जाये जिससे उनकी ट्रांसफर कम से कम उनके गृह जिले में तो हो जाये। न तो उनको अभी तक परमानैंट किया गया है और न ही उनको पम्प ऑपरेटर का वेतन ही दिया जा रहा है। वे कम से कम 4 हजार कर्मचारी हैं और वेतन के रूप में उनको मात्र 8 हजार रूपये ही दिये जा रहे हैं। इसी प्रकार से कम्प्युटर लैब. सहायकों का मामला है। ये भी बहुत दिनों से परेशान हैं। ये वर्ष 2011 से 2014 तक सरकार के अधीन थे। उस समय डी.सी. रेट 1620 रूपये था लेकिन अब उनका डी.सी. रेट कम कर दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि

इन कर्मचारियों को भी सरकार की निर्धारित पॉलिसी के हिसाब से तनख्वाह दी जाये। ऐसे ही पिछली सरकार ने पटवारियों के मामले में एशोरैंस दिया था। ये 200 से 250 कर्मचारी हैं। इनमें मेरे हल्के के भी 8 कर्मचारी हैं। उनको सरकार ने वापिस सेवा में लेने के लिए कहा था अगर सरकार इन कर्मचारियों को सेवा में वापिस ले लेती है तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी। एक बात मैं आऊटसोर्सिंग पॉलिसी के बारे में कहना चाहता हूं कि इससे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों में बहुत भारी रोष व्यापत है। जो ठेकेदार ठेके लेते हैं और जिन लोगों को वे नौकरी पर रखते हैं वे उनसे घूस लेते हैं। मैं इसी प्रकार का एक इंस्टांस आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। सिविल हॉस्पिटल, कैथल के अंदर जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनसे ठेकेदार ने पैसे लिये हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिकवैस्ट है कि इस मामले की विजीलैंस से जांच करवाई जाये और दोषियों को दण्डित किया जाये जो बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे प्रभावित कर्मचारियों को न्याय मिल सकेगा।

दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को डि–नाटिफाई करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 पर चर्चा की स्वीकृति

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक तथा 5 अन्य विधायकों, (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू, श्री जाकिर हुसैन, श्री परमिन्दर सिंह ढुल, श्री ओम प्रकाश तथा श्री राजदीप सिंह फौगाट) द्वारा हरियाणा सरकार की ओर से दादूपुर नलवी नहर परियोजना को डीनोटिफाई करने पर स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 प्राप्त हुआ है। मैंने इसको आज की कार्यसूची में ले लिया है। प्रस्ताव सदन के पटल पर रख दिया गया है।

माननीय सदस्यगण, मुझे डॉ. रघुवीर सिंह कादियान विधायक तथा 11 अन्य विधायकों (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री कुलदीप शर्मा, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री करण सिंह दलाल, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री श्रीकृष्ण हुड्डा, श्री आनन्द सिंह दांगी, श्रीमती शकुन्तला खटक, श्री उदयभान, श्री जयवीर सिंह तथा श्री जयतीर्थ) द्वारा भी स्थगन प्रस्ताव संख्या–3 दिया गया है जो कि समान विषय पर है। ये सभी विधायक भी इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले सकते हैं।

माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती किरण चौधरी, विधायक तथा श्री जयप्रकाश विधायक की तरफ से क्रमशः स्थगन सूचना संख्या–12 एवं 35 दी गई हैं जो कि

समान विषय पर हैं ये विधायक भी इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले सकते हैं।

माननीय सदस्यगण, मैंने हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 के तहत इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया है। माननीय सदस्य दो घंटे के अन्दर–अन्दर इस बारे में सदन में अपनी बात कह सकते हैं। दो घंटे के पश्चात् इस विषय पर चर्चा स्वयं समाप्त हो जायेगी और उसके बाद आज की बैठक की कार्यसूची के अनुसार सदन की कार्यवाही शुरू हो जायेगी।

श्री अध्यक्षः अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव है–

कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित की जाए।

(प्रस्ताव पारित हुआ)

श्री अध्यक्षः अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक अपना स्थगन प्रस्ताव पढ़ेंगे।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरे साथी विधायक सरदार जसविन्द्र सिंह संधू, श्री जाकिर हुसैन, श्री परमिन्दर सिंह ढुल, श्री राजदीप सिंह फौगाट तथा श्री ओमप्रकाश, इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण जनता खेती के लिए व शहरी जनता पीने के पानी के लिए भारी संकट का सामना कर रही है। प्रदेश पहले ही एस.वाई.एल. नहर से अपने हिस्से का पानी न मिलने के कारण नुकसान भुगत रहा है, जबकि इसका लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने दादूपुर नलवी

नहर परियोजना को डी–नोटिफाई करके एक अनपेक्षित निर्णय लिया है जिससे कि किसानों का भविष्य ही खत्म हो गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से सबसे बुरी तरह प्रभावित तीन जिलों यमुनानगर, अम्बाला और कुरूक्षेत्र के किसान हैं। इस नहर के निर्माण के जो मुख्य कारण हैं उनमें प्रथम जरूरतमंद किसानों को वर्षा का पानी सिंचाई के लिए, तथा दूसरा प्रदेश में गिरते हुए जलस्तर को ऊपर उठाना है। इस पर धन उपलब्ध करवा कर सरकार ने कई कामों में भारी खर्चा भी किया है। यह आश्चर्यजनक है कि प्रदेश सरकार एस.वाई.एल. नहर द्वारा पानी न लाने का बहाना बनाती है कि यह अंतर्राज्यीय आदि विवाद है। लेकिन यह ताजुब की बात है कि हरियाणा सरकार ने दादूपुर नलवी नहर परियोजना को जो कि पूरी तरह हरियाणा प्रदेश की परियोजना है और प्रदेश के किसानों तथा जनता के हित में है उसको ही डी–नोटिफाई कर दिया। यह निर्णय जल्दी में व बिना गंभीरता के विचार किए हुए लिया गया है। यह निर्णय हरियाणा के किसानों व जनता के हित में नहीं है।

इनेलो पार्टी मांग करती है कि किसानों व जनता के हित में प्रदेश सरकार अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करे और प्रदेश की अपनी परियोजना दादूपुर नलवी नहर परियोजना को जनहित में तुरन्त पूरा करें।"

Adjournment Motion No. 3 converted into Calling Attention Notice No. 22 bracketed with Calling Attention Notice No. 13.

Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA and eleven other MLAs want to draw the kind attention of this House towards the farmers have been sitting on an indefinite dharana in Jagadhri for the past 45 days demanding release of enhanced compensation of their land acquired for the above said project in 1985 following the orders of the Punjab & Haryana High Court. But on the other hand the State Cabinet on 27th September approved the proposal of Irrigation and Water Resources Department to denotify 1019 acres acquired for the Dadupur-Nalvi irrigation scheme. To register their vociferous protest against the decision of the

Government, the senior leaders of the opposition parties held rallies in various parts of the State. They accused the Government of betraying farmers. Dadupur-Nalvi Canal project is the life-line of northern Haryana as it was dug out to recharge water table which was going down day by day, and we will ensure of its revival and early completion. The State Government has proved that it is anti-farmer by denotifying the land acquired for the canal. It is wrong decision of the Government as nearly one lac hectares of land of 225 villages of Yamunanagar, Ambala and Kurukshetra Districts would be deprived of irrigation of their crops.

The Dadupur-Nalvi Project was initiated by the Congress Government in 1985. In October, 2005, the Government restarted the project and acquired 1019 acres of land for water re-charging and irrigation through the construction of Shahbad feeder, Shahbad distributary and Nalvi distributary after spending nearly Rs. 200 crores on compensation and Rs. 111.70 crores on project reflected the failure of the BJP Government to understand the hardships of farmers whereas the State Government is committed to implement the Central Government's flagship programme ‘Har Khet ko Pani’ as the water table in Kurukshetra, Yamunanagar and Ambala Districts has depleted at an alarming level but on the other hand they decided to scrape the project

CALLING ATTENTION NOTICE NO. 12 CLUBBED WITH CALLING ATTENTION NOTICE NO. 13

Smt Kiran Choudhry, MLA wants to draw the kind attention of this house towards the decision of State Government to drop the Dadupur Nalvi Irrigation Scheme. She has stated that the regressive and anti-farmer decision of the State Government to drop the Dadupur Nalvi Irrigation Scheme which will have long-term effects on farming in the state.The decision to drop the Dadupur Nalvi Irrigation Scheme which had been evolved to carry the water from SYL Canal to irrigate and recharge the groundwater in Yamunanagar, Kurukshetra and Ambala districts, would hurt the farmers most. Worse still, it gives the impression that the State Government has given up on the SYL whose excess water this tributary was supposed to bring to the farmers. Not only that the State Government has surrendered the interests of the state and its farmers, it has decided to penalize the farmers by charging them 15 per cent interest on the compensation amount to be recovered. She calls the attention of Hon'ble Members of the House to discuss this vital issue and impress upon the State Government to inform them as to what made the State Government drop the scheme which is bound to hurt the interests of the farmers; and what made it impose 15 per cent interest on the amount to be recovered.

She calls the attention of Hon'ble Members of the House to discuss the issue and impress upon the State Government to make necessary changes for the benefit of the farmers of the state.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 35

श्री जय प्रकाश, विधायक, इस महान सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते हैं जो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है सरकार यह बताने का कष्ट करे कि दादुपुर नलवी नहर को डीनोटिफाई क्यों किया है जिन किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी अब सरकार किसानों से 15 प्रतिशत ब्याज सहित पैसा वापिस मांगेगी। किसानों को आज रोजी रोटी के लाले पड़े हुये हैं वह किसान 15 प्रतिशत सहित कैसे वापिस करेंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं जिन किसानों की जमीन एक्वायर की गई उनका 15 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाये अगर पैसा लेना है तो रवि व खरीफ की फसल उठाने के बाद पैसा किस्तों में ब्याज रहित वापिस मांगा जाये।

मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान्जी, माननीय सदस्यों ने सदन के दौरान सरकार का ध्यान दादुपुर नलवी सिंचाई योजना (जिसे बाद में योजना के रूप में कहा गया है) के लिए अधिग्रहित भूमि को निरोपित करने का निर्णय की ओर आकर्षित किया है । शुरूआत में यह बताना जरूरी है कि सरकार का निर्णय किसानों के हित तथा प्रगति के लिए लिया गया है । यह उन किसानों के लिए रास्ता बनाया गया है जो एक सिंचाई परियोजना के लिए कुल 1019 एकड़ अधिगृहत भूमि में से अपनी जमीन वापिस लेना चाहते हैं जो कभी 400 एकड़ सिंचाई के लिए सक्षम नहीं थी । एसवाईएल के विषय को छोडने की सोच एक काल्पनिक उपज है सच्चाई यह है कि एसवाईएल को छोडने का अनुमान 2004 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से लगाया जा सकता है जब परियोजना को उलटकर सभी चैनलों को कच्चा बनाने तथा बाद में 2008 में फिर राज्य सरकार के निर्णय द्वारा माईनरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को छोड दिया गया ।

(2) यह योजना को 1980 के दौरान यमुनानगर, कुरूक्षेत्र ओर अम्बाला जिलों के लिए एक सिंचाई परियोजना के रूप में बनायी गई थी । इस परियोजना की लागत 13 करोड़ रूपये थी और इसके तहत दादुपुर से यमुना के पानी की एक नहर जिसकी क्षमता 590 क्यूसिक को निकालना संभावित था । इसके फलस्वरूप यमुना नदी के पानी की इस कमी को पुरा करने के लिए अतिरिक्त पानी रावी ब्यास से मुनक पर दिया जाएगा जब भी पानी की उपलब्धता होगी । इस प्रस्तावना द्वारा शाहबाद फीडर व शाहबाद

डिस्ट्रीब्युटरी नलवी डिस्ट्रीब्युटरी और 22 न0 अन्य ऑफ टेकिंग चैनल का निर्माण करना था (अनुलग्नक–क में सूचीबद्व) । सभी चैनलों को पक्का किया जाना था । यह परियोजना 3 वर्षों मे पूरी की जानी थी । इस परियोजना के लिए कुल 2170.35 एकड जमीन (13000 रू0 प्रति एकड के हिसाब से अन्य शुल्क मिलाकर) 3.43 करोड रू0 की लागत से अधिग्रहण करनी थी । इस योजना के लागू होने के बाद कुल 347 गांवों को लाभ होना था । इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 1987–90 के दौरान 119.67 एकड भूमि अधिग्रहण की गई थी । हालांकि अगले 14 वर्ष तक शेष भूमि को अधिकृत करने के लिए आगे की कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(3) वर्ष 2004 में इस परियोजना के लिए 167.62 करोड रू0 का एक नया लागत अनुमान तैयार किया गया था । इस प्रस्ताव में पूरी सिंचाई प्रणाली को शुरूआत में कच्चा रखने का प्रावधान था और इस से केवल क्षेत्र की खरीफ आवश्यकताओं को पूरा करने और बारिश के दौरान यमुना के पानी का उपयोग करके भूजल तालिका का रिचार्ज करने के लिए चलाने का निर्णय लिया गया था, जब दादुपुर में अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगी, उस समय भूमि अधिग्रहण 3.00 लाख रू0 प्रति एकड़ तथा अन्य शुल्क की दर से प्रस्तावित किया गया था । इस परियोजना के लिए 2135.43 एकड भूमि 92. 40 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत से अधिग्रहण करनी थी । चैनलों की संख्या ओर उनकी लम्बाई पहले जितनी ही रखी गई थी। इस परियोजना के लिए प्रशासनिक रूप से मन्जूरी दे दी गई थी और 25–11–2004 को आधारशीला रख दी गई थी और बाकी जमीन के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया को पुर्नारम्भ कर दिया गया था । लेंकिन कोई काम जमीनी स्तर पर शुरू नहीं किया गया था ।

(4) यहां ध्यान देने वाला प्रथम महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मूल रूप से (सन् 1985 में) इस योजना को वर्ष भर में 590 क्युसिक बहाव वाले पक्के चैनलों के निर्माण के लिए तैयार किया जाना था तथा वर्ष 2004 में इस योजना को केवल खरीफ अवधी के लिए कच्ची नहर बनाने के लिए संशोधित किया गया। यह तथ्य स्पष्ट था कि इस योजना के लिए पानी की उपलब्धता मूल योजना की तुलना में 17 प्रतिशत से भी कम हो गई थी व (यह भी स्पष्ट था

कि वर्ष भर इस योजना में 2 महिने से अधिक पानी उपलब्ध होने की सम्भावना दादुपुर से नहीं है) ।

(5) बाद में अक्तूबर 2005 के दौरान, इस परियोजना पर फिर से पुर्नविचार किया गया ओर सरकार द्वारा 267.27 करोड रू0 की मंजूरी दी गई । इस परियोजना के प्रस्ताव के अनुसार 5.00 लाख रू0 प्रति एकड जमा व अन्य शुल्क मिलाकर कुल 160.13 करोड की लागत से 2247.53 एकड भूमि का अधिग्रहण इस योजना के निर्माण में किया जाना था । इसमें से विभाग ने केवल मुख्य चैनलों के निर्माण जैसे कि शाहबाद फिडर, शाहबाद डिस्ट्रीबयूट्री एवं नलवी डिस्ट्रीब्युटरी के निर्माण के लिए कुल 1019.30 एकड जमीन (1980 के दौरान 190.67 एकड के अधिग्रहण सहित) का अधिग्रहण किया । मूल फैसले के अनुसार इस जमीन का अधिग्रहण 75.98 करोड रू0 की लागत से हुआ । इसके अतिरिक्त आदलत के आदेश के अनुसार 116.35 करोड रू0 बढोतरी के रूप में चुकाये गये । इस प्रकार अब तक कुल 192. 33 करोड रूपयें 1019.30 एकड भूमि के मालिकों को चुकाये जा चुके है । विभाग ने भी इन तीन चैनलों के निर्माण मे 111.167 करोड रू0 खर्च किये है । इस प्रकार आज तक इस परियोजना पर कुल 303.497 करोड रू0 खर्च किये जा चुके हैं ।

(6) इस योजना को वर्ष 2008 में दूसरा बडा झटका तब लगा जब इसकी अन्य डिस्ट्रीब्युटरी ओर माईनरों के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण जिससे कि उपरोक्त 3 जिलों में 46266 हैक्टेयर (लगभग 114325 एकड) क्षेत्र को सिंचित करना था, को भूमालिकों/किसानों के प्रतिरोध के कारण रोक दिया गया क्योंकि किसानों को ऑफटेकिंग चैनलों के निर्माण के लिए अपनी जमीन देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें वर्षा के दौरान ही पानी की उपलब्धता होगी, जब उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती । इसके बारे में 22.05.2008 को उस समय की सरकार ने यह निर्णय लिया कि जमीन का अधिग्रहण माईनरों के लिए तब तक नहीं किया जाएगा जब तक किसान मांग नहीं करेंगे । इसलिए सरकार ने इन नहरों के निर्माण को छोडने का निर्णय लिया । परिणामस्वरूप, यह नहरें नहीं बन पाई जिससे योजना अधूरी रह गई और सिंचाई का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया । इस योजना के द्वारा पिछले पांच वर्षों में, वर्ष 2013 में 24 एकड़, 2014 में

305 एकड़, 2015 में 357.5 एकड़, 2016 में 334.5 एकड़ व 2017 में 199 एकड़ भूमि की सिंचाई हुई (सिंचाई का विवरण अनुलग्नक–ख में सूचीबद्व) ।

(7) इसका दुसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है के शेष 1228.23 एकड (2247.53 – 1019.30) भूमि प्राप्त करने के बिना सिंचाई का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता । इस योजना मे 92532 हैक्टेयर का सिंचाई योग्य क्षेत्र है ओर 50 प्रतिशत की सिंचाई की अपेक्षित तीव्रता के साथ, खरीफ के दौरान 46266 हैक्टेयर (114325 एकड) सिंचाई की उम्मीद थी, पिछले 5 सालों में सिंचाई की अधिकतम मात्रा 357.5 एकड रही इस प्रकार इस योजना में अनुमानित सिंचाई क्षेत्र के स्थान पर सिर्फ 1 प्रतिशत से भी कम सिंचाई होती है ।

(8) यह भी सराहने की जरूरत है कि यमुना के माध्यम से दादुपुर में अतिरिक्त पानी की उपलब्धता आमतौर पर काफी कम है । इसके अलावा यहां उपलब्ध होने पर भी 590 क्युसिक पानी शाहबाद फीडर में नहीं छोडा जा सकता क्योंकि डिस्ट्रीब्युटरी/माईनरों का निर्माण नहीं किया गया है । परिणामस्वस्प रिर्चाजिंग का भी उद्देश्य बहुत कम सीमा तक ओर बहुत छोटे क्षेत्र में पूरा हो रहा है । वर्ष 2011 में शाहबाद फीडर के पूरा होने के बाद से डिस्चार्ज के आंकडों को अनुलग्नक–ग में उपलब्ध कराया गया है। उपर दिये तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित की सराहना की जा सकती हैः–

92532 हैक्टेयर क्षेत्र में पहले इस वर्ष में 365 दिनों के लिए 590 क्युसिक पानी ले जाने के लिए योजना तैयार की गई थी । यह चैनल इस वर्ष केवल 68 दिनों के लिए 50 से 400 क्युसिक पानी ले जा रही है वह भी केवल 3 अधिग्रहित चैनलों में जिसका क्षेत्रफल 1019 एकड है ।

(9) माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं कि यह बताये कि जो योजना लगभग 357 एकड जमीन की सिचांई के लिए किसानों की लगभग 1019 एकड उपजाउ भूमि को वंचित करती है वह बेहद खराब प्रस्ताव है । यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत के नियन्त्रक ओर महालेखा परीक्षक (सी0ए0जी0) वर्ष 2011–12 की सामाजिक ओर आर्थिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र अन्डरटेंकिगस) रिपोर्ट संख्या 3 की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2013 के सम्बन्ध में अवलोकन जारी किया था कि इस परियोजना की उपयोगिता के सम्बन्ध में विभाग का उतर सही नहीं माना था

क्योंकि इस नहर से सिंचाई प्रदान करने की परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पूरा नहीं हो सका । यह पाया गया कि इस परियोजना की कल्पना, उपयोगिता के बारें में क्षेत्र के सर्वेक्षण के बिना व किसानों के विचारों का पता लगाने के बिना कल्पना की गई थी। लेखा परीक्षा ने व्यय निष्फल घोषित किया है क्योंकि सिंचाई के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका। सी0ए0जी0 की टिप्पणियों की प्रतिलिपि अनुलग्नक–डी0 में है ।

(10) इसके अतिरिक्त, जिन भूमि मालिकों की भूमि 2005 से अधिग्रहण की गई थी, वे नीचली अदालतों के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं थे ओर उन द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ में आर0एफ0ए0 दायर की गई। माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिनांक 05–05–2016 को 2887 रूपये प्रति वर्गमीटर जो कि 116.83 लाख रू0 प्रति एकड़ घटना शुल्क सहित मुआवजा प्रदान करने का अपना फैसला सुनाया । ब्याज ओर अन्य खर्चों को संज्ञान में लेने उपरान्त 167.27 एकड भूमि की 566.49 करोड रूपये की राशि देय बनती है । जोकि अन्दाजन 3.39 करोड़ रू0 प्रति एकड़ बनता है। यदि अब शाहाबाद नलवी स्कीम के लिए इस (enhancement) वृद्वि का भुगतान किया जाता है तो अन्य अधिग्रहित भूमि के लिए ब्याज वृद्धि के साथ समान मुआवजा देने के निर्णय की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता और फिर भी यह परियोजना अधूरी रहेगी । कुछ भूमि मलिको ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05–05–2016 को लागू करने के लिए निष्पादन याचिका दायर की है । राज्य द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गई थी परन्तु हरियाणा राज्य को कोई स्टे/राहत प्रदान नहीं की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य को उच्च न्यायालय में रिव्यु पेटीशन दायर करने की स्वतन्त्रता देते हुए केस को रद्व कर दिया गया।

(11) राज्य सरकार पहले से ही इस योजना पर पिछले 30 वर्षों में 303 करोड रूपयों से अधिक खर्च कर चुका है, जिसको सी0ए0जी. द्वारा निष्फल घोषित किया गया है । दूसरी तरफ किसानों ने भी 1019 एकड से अधिक उपजाउ भूमि खो दी है जो उन्हे लगभग 6 से 7 करोड रू प्रति वर्ष आमदनी होती, जोडे तो सालाना बचत मामूली दर 60000–70000 रूपये प्रति एकड । यह

भी नहीं भूलना चाहिए कि हर रेखीय अधिग्रहण से किसानों की जमीन दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है, शेष उपजाउ जमीन की खेती ओर अधिक कठिन ओर महंगी हो जाती है। परियाणामस्वरूप यह स्कीम राज्य सरकार एवं जिन किसानों की उपजाउ भूमि अधिग्रहित हुई है उनके लिए निष्फल साबित हुई है। अतः सरकार का यह निर्णय है कि जो किसान अपनी उपजाउ भूमि खो चुके थे वह अपनी इच्छानुसार वापिस ले सकते हैं, उन प्रगतिशील किसानों एवं किसान समर्थन के हित में लिया गया निर्णय है क्योंकि किसी भी किसान को अपनी जमीन वापिस लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा । इसलिए विपक्ष का यह निर्णय पूर्णतया अवसरवादी एवं उन लोगों के निहित स्वार्थ में लिया गया निर्णय है ।

(12) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 12 में उन किसानों से जोकि अपनी जमीन वापिस चाहते हैं, से 15 प्रतिशत ब्याज लेने पर भी सदन का ध्यान आकर्षित करता है । इस सन्दर्भ में, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसानों से कोई ब्याज वसूल न किया जाए । अब, यदि कोई किसान अपनी जमीन वापिस लेना चाहता है तो उसे सरकार को वास्तविक मुआवजे की राशि बिना ब्याज के अदा करनी होगी । फिर भी, यदि यह राशि 8.00 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुमानित राशि से कम है तो चुकायी जाने वाली राशि 8.00 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से चुकानी होगी ।

LIST OF CHANNELS IN DADUPUR NALVI IRRIGATION SCHEME

Sr. No.	**Villages**	**Total length (in feet)**	**Discharge at Head (in cusecs)**
1.	Shahbad Feeder	73000	590.15
2.	Shahbad Distributary	110000	317.50
3.	Nalvi Distributary	49000	172.46
4.	Samalkha Minor	80000	93.87
5.	Mehra Minor	63000	35.15
6.	Bohli Minor	95000	59.77
7.	Garhi minor	28000	20.00
8.	Mangauli Jattan Minor	48000	30.00
9.	Akalgarh minor	64000	30.83
10.	Damli Minor	21000	9.74
11.	Machhrauli Minor	45500	26.40
12.	Dhakali Minor	28500	14.28
13.	Laga Khera Disty	76000	46.92
14.	Khanpur Jattan Minor	52000	29.74
15.	Hibana Minor	50000	29.42
16.	Joga Khera Minor	44000	21.90
17.	Kamsi Minor	39000	21.93
18.	Sohata Minor	26000	7.83
19.	Bajidpur Minor	26000	29.20

20.	Dao Majra Sub minor	19000	14.20
21.	Tharauli Disty.	39000	80.02
22.	Zainpur Minor	26500	13.39
23.	Kalsana Minor	35500	14.84
24.	Tangaur Minor	28000	13.43
25.	Kurri Minor	18000	13.72

Statement showing the village wise Irrigation figures in acres :-

S. NO	Name of Village	Khariff 2013	Khariff 2014	Khariff 2015	Khariff 2016	Khariff 2017
A.	Shahbad Feeder					
1.	Bhagwanpur, Kharwan, Darajpur, Kalanpur, Guglon, Hasanpur, Mehrampur, Sudhal, Khajuri, Khera	NIL	23.00	43.50	33.50	39.00
B.	Shahbad Disty.	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
C.	Nalvi Disty.					
1	Dukheri	24	72	71	70	31
2	Nagla	NIL	23	27	21	NIL
3	Langar	NIL	32	32	32	18
4	Sabka	NIL	12	12	12	NIL
5	Pasiyala	NIL	4	5	NIL	NIL
6	Haldari	NIL	28	28	28	16
7	Chudiyala	NIL	47	61	61	46
8	Chhani	NIL	45	45	45	28
9	Chudiyali	NIL	6	18	18	15
10	Haryoli	NIL	9	9	9	Nil
11	Mohra	NIL	4	6	5	6
	Total	24	305	357.50	334.50	199.00

GAUGES OF SHAHBAD FEEDER

Year	Discharge (In Cusec)	Days
2011	100	02
2012	155 to 200	52
2013	50 to 200	43
2014	100 to 250	83
2015	50 to 225	76
2016	50 to 250	69
2017	50 to 400	68

ANNEXURE-D

2.2.8.7 **Non – revision of tender document fee**

There was no policy regarding revision of tender document fee in the Department. The Department follows the rates for sale of tender forms fixed by Public works Department (PWD) (Building and Roads) (B&R). The PWD (B&R) revised the rate for sale of tender forms in 2008 which ranged between Rs 500 and Rs 50,000 per tender. But rates were not revised by the Irrigation Department. Old rates fixed in March 1997 ranging between Rs 250 and Rs 15,000 per tender were being charged. This resulted in less generation of revenue amounting to Rs 2.34 crore in test-checked circles during 2008-12.

During the Exit Conference, the Additional Chief Secretary intimated that the rates would be revised soon.

Haryana receives 4.645 million acre feet[6] (MAF) water from Yamuna, 4.4 MAF water from Sutlej, 1.62 MAF from Ravi-Beas and 4.12 MAF from tube wells. Thus, total availability of water is 14.785 MAF against the requirement of 36 MAF.

To overcome the shortage, reduce water losses and to have equal distribution of available water among of all the areas of State, various schemes i.e, BML to Hansi Branch-Butana Branch, Kaushalya Dam, Dadupur-Nalvi Irrigation Scheme, Rahabilitation of Ottu Lake, National Capital Region (NCR). Water Supply Channel, Rehabilitation and Modernization of existing canals under AIBP, other schemes financed by (National Bank for Agriculture and Rural development)

(NABARD) etc, were executed during 2007-12 for which funds of Rs 2,742.10 crore were sanctioned and Rs 3,858.91 crore had been spent on all these schemes during the performance audit period. Shortcomings noticed in the implementation of Major and Medium Irrigation schemes are discussed below :

Major Irrigation Schemes

2.2.9.1 Unfrutitful expenditure on Dadupur-Navli Irrigation Project

Dadupur-Nalvi Irrigation Scheme was administratively approved in October 2005 for Rs 267.27 crore. According to project report, 590 cusecs of surplus water from Dadupur complex was to be carried through Shahbad feeder. On completion, the project was to provide irrigation to 92,532 hectares besides recharging of ground water. The scheme was to be completed in three phases. Phase 1 (Shahabad Feeder and Shahbad Distributary, revival of Saraswati Nadi and Rakshi Nadi and minors), Phase 2 (Nalvi Distributary and minors) and Phase 3 (minors linking to Shahbad Feeder)

6 As depicted in activities/achievement report for the year 2010-11 of the department.

The work of Phase-1 started in April 2006 and was completed in June 2008 at a cost of Rs 126.11 crore except ‘RCC Box Railway Bridge’ which was to be constructed by Railways. The Department had deposited Rs 2.47 crore till July 2010 with the Railways but the work was not started by Railways. The railways demanded (June 2011) additional amount of Rs 2.29 crore to construct the bridge which were also deposited in December 2011. However, the Railway authorites had not started the work (November 2012).

The work of phase 3 including minors of phase1 and 2 off taking from main canals was deferred due to protests by farmers as water would be available to them only during rainy season when they did not require water. In the absence of minors and distributaries channels, the main canal constructed at a cost of Rs 126.11 crore remained non-functional (November 2012) and the benefits of irrigation to 92,532 hectares as envisaged in the scheme could not be derived.

Audit observed that the project was conceived without survey of the area about the usefulness of the project and ascertaining the views of the villagers. As a result of this, the entire expenditure of Rs 126.11 crore incurred on the scheme was rendered unfruitful.

During the Exit Conference, the Department stated that the project had helped in recharging the ground water of the area. The reply was not convincing as the primary objective of the project of providing canal irrigation to 92,532 hectares of land could not be fulfilled.

2.2.9.2 (Jawahar Lal Nehru Lift Irrigation Scheme)

Jawahar Lal Nehru (JLN) Lift Irrigation Scheme envisaged extention of irrigation facilities to chronically drought affected areas and providing drinking water in Mahendergarh and Rohtak districts. In Mahendergarh district the scheme converd Mahendergarh canal and minors, Narnaul Branch and minors and Satnali Feeder and its system. Mahendergarh canal gets its share of water from JLN Feeder. In this system, 68 pump houses

to lift the water were also constructed. Important audit findings noticed are discussed below:-

- **Unfruitfull expenditure on repair and maintenance**

Satnali Feeder, having a length of 36,523 km, off takes from Mahendergarh Canal at 15,650 km. Canal runs on gravity from 0 to 23,823 km and thereafter through lift system. Eight minors off take from Satnali Feeder up to 23,823 km and 14 distributaries and minors are beyond 23,823 km.

Scrutiny of records revealed that an amount of Rs 0.51 crore was spent on rehabilitation, restoration and maintenance of nine canals during 2007-12 under Satnali Feeder which falls 23,823km, but water was not available during 2007-12 in these canals/minors due to scarcity of water in Satnali Fedeer. Only 20-120 cusecs of water was available for eight days in a circle of 32 days in this feeder up to 23,823 km only. As all the eight minors off take before 23,823 km having a capacity of 100 cusecs also run at the same time, water was not available

श्री अध्यक्षः अब इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, आपका धन्यवाद । स्पीकर सर, कल हमने आपको एक काम रोको प्रस्ताव दिया था जिस पर चर्चा करने के लिये कल हमने आपसे प्रार्थना की थी कि उस पर चर्चा की जाए । उसकी अर्जेंसी को देखते हुए सरकार भी उसका जवाब देने के लिये तैयार थी फिर भी वह कौन सा कारण था कि इस प्रस्ताव को टेकअप नहीं किया गया । आज आपने मुझे बोलने के लिये अलाउ किया है उसके लिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद । हमने यह काम रोको प्रस्ताव जनता के हित के लिये, किसान के हित के लिये दिया था । माननीय विपक्ष के नेता और विपक्ष की पार्टी ने भी इस प्रस्ताव को दिया है जिसको विपक्ष के नेता ने पढ़ा है । अध्यक्ष महोदय, इसमें आपसे मेरी सबमिशन यह है कि यह किसानों

की एक बहुत ही जरूरतमंद डिमांड थी कि तकरीबन 200 गांवों का तकरीबन 2 लाख हैक्टेयर जमीन के पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है । वहां पर पीने के लिये भी पानी नहीं है । इरीगेशन के लिये वहां कोई प्रोजैक्ट नहीं है । उन गांवों में भूमिगत पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है जिससे उन गांवों के लिये एक प्लान कंसिव हुई थी । एक योजना बनाई गई थी कि इस एरिया में एक बरसाती नदी निकाली जाए जिससे खेतों में सिंचाई भी हो जाए और इस इलाके का जो अंडर ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्जिंग करके उसका वाटर टेबल ऊपर लाया जाए । यह आपके इलाके की ही बात है । कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और शाहबाद के इसमें 200 गांव आते हैं । मेरी आपसे सबमिशन यह है कि पिछली सरकारों ने लोगों की मांग को देखते हुए और किसानों की जरूरत के हिसाब से एक प्रोजैक्ट प्लान किया था और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई थी । यह प्रोजैक्ट वर्ष 1985 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में कंसीडर हुआ था। जब वर्ष 2005 में दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तब इसमें लैंड एक्वीजिशन के लिये 200 करोड़ रूपये कम्पनसेशन दिया गया और तकरीबन 112 करोड़ रूपये की लागत से चाहे वह शाहबाद फीडर थी, या नलवी फीडर थी या इस तरह की जो फीडर थी उन सभी का सारा काम शुरू हुआ । स्पीकर सर, इसमें मेरा जो सबमिशन है वह यह है कि जब सरकार का प्लान है, सरकार का प्रोजैक्ट है, सरकार से कंसिव हुआ, सरकार ने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जिसके लिये लैंड एक्वीजिशन हुई और उसमें काम शुरू हुआ तो उसमें ऐसे समय पर हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि इनका कम्पनसेशन बढ़ाया जाए । इसमें बहुत सी वेलफेयर स्कीम्ज हैं जिसको सरकार लोगों की भलाई के लिये, जनता की भलाई के लिये और किसानों की जो माली हालत है जो बहुत डाउन चली गई है । किसान की उस माली हालत को सुधारने के लिये ही सरकार ये वेलफेयर स्कीमें चलाती है और उन पर अमल होता है । जिस ढंग से माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है और उस फैसले के ऊपर 27 सितम्बर को कैबिनेट की मीटिंग में एक फैसला लिया गया । कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी मंत्री विधान सभा की ओथ लेता है कि मैं बिना किसी भेदभाव व पक्षपात, किसी राग या द्वेष के बगैर, अपनी जिम्मेवारी व अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा । लेकिन स्पीकर सर, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है इस फैसले से भेदभाव और पक्षपात की स्मैल आती है । आज किसान मर रहे हैं। किसान की माली हालत बहुत खराब हो

चुकी है। किसान के पास लैंड होल्डिंग कम हो चुकी है। किसान के पास साधनों की कमी हो गई है। बिजली पानी उसको मिल नहीं रहा है। फसलों के अच्छे भाव नहीं मिल रहे है। मंडियों में उसकी फसलें पड़ी हुई हैं। किसान रो रहा है। आढ़ती रो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, कादियान जी सदन को बरगलाने का प्रयास कर रहे है। मैं मंडियों में रोज जाता हूँ। मंडियों में सुचारू रूप से फसलों का उठान किया जा रहा है। कादियान जी गलत आरोप लगा रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, काम रोको प्रस्ताव पर जो सरकार का जवाब आया है, यह जवाब हमें पहले भेजा जाना चाहिए था। जहां तक इस प्रस्ताव पर बोलने की बात है तो चूंकि काम रोको प्रस्ताव पर प्रथम हस्ताक्षरी मैं और मेरी पार्टी के सदस्य थे तो इस हिसाब से सबसे पहले मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था और इसके बाद मेरी पार्टी के दूसरे हस्ताक्षरियों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था। जब हमारी पार्टी के सदस्य इस पर चर्चा कर लेते तब आपको कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को बोलने के लिए समय देना चाहिए था। हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली भी मेरी इस बात की तसदीक करती है।

श्री अध्यक्षः अभय जी, मैने तो सबसे पहले आपको ही अपना स्थगन प्रस्ताव पढ़ने का मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा दिए गए काम रोको प्रस्ताव को तो आपके द्वारा दिए गए काम रोको प्रस्ताव के साथ क्लब किया गया है। काम रोको प्रस्ताव पढ़ने के लिए तो मैंने आपको ही पहले मौका दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा जो काम रोको प्रस्ताव दिया गया था, इस पर सरकार की तरफ से हमें पहले जवाब प्राप्त होना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान) यदि ऐसा संभव नहीं था तो यह तो जरूर किया जाना चाहिए था कि प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते मुझे तथा मेरी पार्टी के दूसरे हस्ताक्षरियों को इस प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया जाता?(शोर एवं व्यवधान) यह बात किसी भी सूरत में ठीक नहीं मानी जायेगी कि आप सदन के किसी भी सदस्य को बोलने के लिए खड़ा कर दो। रूल के हिसाब से काम रोको प्रस्ताव पर प्रथम हस्ताक्षरियों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए और इस हिसाब से हमारी पार्टी के प्रस्ताव पर

हस्ताक्षरित सदस्यों को चर्चा करने के लिए पहले मौका दिया जाना चाहिए था। उसके बाद अगर किसी अन्य सदस्य ने कोई प्रस्ताव दिया है तो उसको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने तो हमारे द्वारा काम रोको प्रस्ताव देने के 10 दिन बाद संबंधित विषय का प्रस्ताव दिया था। इस मामले में कांग्रेस तो केवल लीपापोती करने का ही काम कर रही है। इनको किसान की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने तो अपने 10 साल के कार्यकाल में किसानों को जमकर लूटा है। यह लोग उस 10 साल के कार्यकाल का जिक्र तक नहीं कर रहे है। वास्तव में उन 10 सालों में इन्होंने जो लूट मचाई है उसका जिक्र तो मैं करूंगा इसलिए मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, आपको अपना स्थगन प्रस्ताव पढ़ने के लिए सबसे पहले मौका दिया गया था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, आपने नेता प्रतिपक्ष को उस प्रस्ताव पढ़ने की इजाजत दी थी न कि उस प्रस्ताव पर चर्चा करने की। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी।(शोर एवं व्यवधान) आपको मुझे काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, कोई भी स्थगन प्रस्ताव जब सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो वे सभी सदस्य जो उस पर हस्ताक्षरी होते हैं उन सभी को उस पर बोलने का हक होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आपको मुझे काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करने का मौका देना चाहिए? (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, कल सदन में कांग्रेस के नेताओं ने जिनमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे, वैल में आकर खड़े हो गए थे और आपकी चेयर के सम्मुख खड़े होकर इन्होंने उनके द्वारा दादूपुर–नलवी नहर परियोजना पर दिए गए काम रोको प्रस्ताव का फेट पूछा तो आपने पूरी अधिकारवाणी के साथ कहा था कि आपने इनके प्रस्ताव को 24 अक्टूबर, 2017 के लिए मंजूर कर लिया है और उस दिन इस पर चर्चा की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने किसी अदृश्य शक्ति को दिखाने के लिए जो काम करना था वह तो

उसी दिन अर्थात 23 अक्टूबर, 2017 को ही कर दिया था and now they are not very much interested in Dadupur Nalvi Issue. अध्यक्ष महोदय, दादूपुर–नलवी नहर परियोजना से अब इनका कोई लेना देना नहीं है। चौधरी अभय सिंह चौटाला का कहना ठीक है कि इनको दादूपुर–नलवी नहर परियोजना से तथा किसानों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को जबरदस्ती खड़ा कर दिया था और उनके लिए बोलना मजबूरी बन गया।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी की हालत भी मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि इनकी हालत साबुन से धोकर व निचौड़कर धूप में सुखाई हुई चूंदड़ी की तरह है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, दूसरी बातों को छोड़कर मुझे काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहले मौका दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ठीक है, अभय जी प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते आप काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा कीजिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे काम रोको प्रस्ताव पर जिसको हमारी पार्टी की तरफ से सदन में लाया गया था, पर बोलने के समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में एक बात अवश्य लाना चाहूंगा । स्पीकर सर, दादूपुर–नलवी नहर हमारे प्रदेश का एक बड़ा अहम इशू है और इस नहर से आपका भी सम्बन्ध है। (विघ्न) आज हरियाणा प्रदेश में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जितने पानी की जरूरत है उतना पानी हमारे प्रदेश को नहीं मिल पाता है और प्रदेश को नहरों के माध्यम से भी बहुत कम पानी मिल पाता है । हरियाणा प्रदेश में पानी की कुल आवश्यकता 36 मिलियन एकड़ फिट है । आज के दिन हमारे प्रदेश को केवल 14 मिलियन एकड़ फिट पानी उपलब्ध हो पाता है जबकि हमें 22 मिलियन एकड़ फिट पानी की जरूरत है । पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को एस.वाई.एल. नहर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर इसका निर्माण करवाया जाना चाहिए था । खेद है कि इस मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव मैंने मूव करना था । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अब इसमें इनको क्या तकलीफ हो गई ? मैं किसान की बात कर रहा हूं । इनको विषय की जानकारी तो है नहीं और हाउस में इंट्रप्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं । अतः आप इन्हें बैठाइये । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, स्थगन प्रस्ताव तो माननीय सदस्य अभय सिंह जी का ही मंजूर हुआ है । आपको तो इसमें शामिल किया गया है । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष जी, इस स्थगन प्रस्ताव को मैंने मूव कर दिया था । I was on my legs. यह व्यवस्था का प्रश्न है । I want your protection.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये सदस्य फिर वैल में आ जाएंगे और आपको फिर से इनको नेम करना पड़ेगा । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि जब स्थगन प्रस्ताव मूव कर दिया गया और मैंने ऑलरेडी बोलना भी शुरू कर दिया था तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने किस रूलिंग के तहत विपक्ष के नेता को बोलने का टाइम दिया है ? I want your protection. आप मुझे बताइये कि आपने किस रूलिंग के तहत अभय सिंह जी को बोलने के लिए अलाऊ किया है । Speaker Sir, I want your protection. Speaker Sir, you are the custodian of the House. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मैंने माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला को ही अपना स्थगन प्रस्ताव पढ़ने के लिए कहा था लेकिन ये बीच में बैठ गये थे, इसलिए अब ये दोबारा से बोलने के लिए खड़े हुए हैं । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह मोशन फर्स्ट टाइम मूव हुआ था तो फिर अधूरा कैसे छोड़ दिया गया ? Speaker Sir, let Mr. Kadian complete first after that Mr. Chautala may speak. (Interruptions).

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप हमें सिर्फ यह बता दीजिए कि आपने किस रूलिंग के तहत माननीय सदस्य को बीच में बैठा दिया ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैंने इस स्थगन प्रस्ताव पर डिस्कशन के लिए माननीय सदस्य अभय सिंह जी को ही परमिशन दी थी । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आपके आदेश से खड़े हुए थे और आप उन्हें बीच में ही बैठा रहे हैं । Speaker Sir, let Mr. Kadian speak first. यह ठीक नहीं है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, चौटाला साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गये थे तब मैंने उनको खड़ा किया था लेकिन फिर अभय सिंह जी ने कहा कि इस विषय पर सबसे पहले डिस्कशन करने का समय मुझे मिलना चाहिए । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्य को बीच में ही क्यों बैठाया आप इसकी रूलिंग दीजिए ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अगर आप सब सदन में ऐसा करोगे तो सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा । इसके अतिरिक्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके लिए विषय अधिक महत्वपूर्ण है या विषय पर बोलने का पहला या दूसरा नंबर ? अगर विषय महत्वपूर्ण है तो मैंने इन्हीं का विषय स्वीकार किया है और आपके प्रस्ताव को इनके साथ प्रस्ताव के क्लब किया है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मोशन को अलग–अगल मूव भी नहीं किया जा सकता । मोशन सिर्फ एक ही बार मूव किया जा सकता है । (विघ्न)

Shri Bhupinder Singh Hooda: Speaker Sir, Dr. Kadian has already started his speach. Let him Speak first.

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आपने कौन से रूल के तहत नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए अलाउ किया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, पहले आप नेता प्रतिपक्ष की बात सुन लें। उसके बाद आपको बोलने का मौका दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, अभय सिंह जी ने भी अपना स्थगन प्रस्ताव पढ़ दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव को मूव नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, मूल प्रस्ताव तो नेता प्रतिपक्ष का है। (शोर एवं व्यवधान) कादियान जी, मुझे लगता है कि आप इस पर डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) फर्क इतना है कि कल आप स्वयं हाउस से बाहर जाना चाहते थे लेकिन आज बाहर जाने के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, हाउस चलाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोग बहस के कारण लगातार 15 मिनट से हाउस का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) यदि आप लोगों का इसमें कोई रूचि होगी तो आप बैठ कर जरूर सुनेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, हाउस ठीक नहीं चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, हाउस ठीक ढंग से चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव दोनों माननीय सदस्यों की तरफ से मूव होगा। तभी चर्चा होगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मूव तो एक ही माननीय सदस्य करेगा और वह अभय सिंह जी ने कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान) किरण जी, स्थगन प्रस्ताव तो मैंने नेता प्रतिपक्ष का स्वीकार किया है। (शोर एवं व्यवधान) दूसरे माननीय सदस्यों का प्रस्ताव तो इसके साथ क्लब किया है। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन डिस्कशन तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से पहले शुरू होगी।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आपने एक दिन कहा था कि मैं पक्ष और विपक्ष सभी को एक आंख से देखूंगा। मेरी सबमिशन यह है कि आप एक आंख की जगह दोनों आंखों से तो देख लो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, नेता प्रतिपक्ष कल कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर डिस्कशन नहीं होने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव को मूव तो होने दीजिए। आप अपनी रूलिंग दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहनी है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष किस आदेश से बोल रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मैंने ही उनको बोलने के लिए अलाउ किया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पहले आप इन्हें सीटों पर बिठाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप अपनी रूलिंग दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इस बात का मैसेज तो यही जा रहा है कि आप की पार्टी के सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की रूचि नहीं है। कल भी उनका इसी तरह का व्यवहार था और आज भी वे इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, आपका सोचना ठीक है क्योंकि अब राजनीति प्रशप्सन की नहीं चलेगी तथ्यों की चलेगी। एक हजार एकड़ के लिए नहर बनाई जानी थी और उस नहर को बनाने के लिए 300 करोड रुपये खर्च कर दिए गए लेकिन उस नहर से 100 एकड़ क्षेत्र के लिए पानी भी नहीं पहुँच पाया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार के समय में ही इस इलाके और इस नहर का सर्वनाश हो गया था। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री रघुवीर सिंह कादियान जी को बताना चाहूंगा कि यह तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी थी, लेकिन माननीय सदस्य यह सुनना नहीं चाहते हैं और अगर ये इस बात को सुने बगैर चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मेरा इनसे आग्रह है कि ये पहले मेरी बात को सुनें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य आज फिर से इस सदन से वाक–आउट करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने एक हजार एकड़ की लम्बी नहर बनवाकर, उससे केवल 100 एकड़ की ही सिंचाई करवाई है और उसके लिए कांग्रेस सरकार ने उस नहर पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को आज इस हाउस में देना चाहिए (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी के पाले में है हमारे पाले में तो इसके बारे में केवल सवाल ही हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी में जवाब देने की क्षमता नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से ये कल

सदन से बाहर चले गए थे, उसी तरह से आज भी जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इन्हें इस सदन में रोक कर रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, पहले मुझे मोशन मूव करने दिया जाए।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपको मोशन मूव करने के लिए नहीं, बल्कि मोशन को पढ़ने के लिए बोला गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने मोशन मूव कर दिया और आपने मुझे प्रस्ताव को पढ़ने के लिए कहा है।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, यह तो मेरी उदारता है कि मैंने आपको बोलने दिया। अब डिस्कशन तो वे हीं करेंगे, जिनका प्रस्ताव मैंने स्वीकार किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपने ही तो इस काम रोको प्रस्ताव को क्लब किया है और आपने दोनों पार्टियों के काम रोको प्रस्ताव को क्लब किया है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस के विधायक हैं, ये बहुत ही बड़े–बड़े लोग हैं। ये हमें उपदेश दे रहे हैं और हमें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं कि स्पीकर महोदय के क्या अधिकार हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान और श्री कुलदीप शर्मा जी दोनों ही पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह हमारे प्रदेश की जनता की मेहबानी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य हमें उपदेश दे रहे हैं जिन्हें इस सदन से वॉक–आउट करना भी नहीं आता है और इनको वाक–आउट की परिभाषा भी पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस दल के माननीय सदस्य बिना किसी काम के कल वाक–आउट कर गए। (शोर एवं व्यवधान) हमारे पत्रकार लोग अपने अखबारों में छाप भी नहीं सके कि आखिर कांग्रेस पार्टी के लोग वेल में क्यों आए थे ?(शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमने कोई वॉक–आउट नहीं किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे इस लाईन को मूव करने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, दूसरा सदस्य एक काम रोको प्रस्ताव को कैसे मूव कर सकता है। मूव तो बस एक ही सदस्य कर सकता है जिसने पहले यह काम रोको प्रस्ताव दिया है और उन्होंने वह मूव कर दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, यह जो महान सदन है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरी हमबल सब्मिशन है कि मुझे अपना काम रोक प्रस्ताव मूव करने दें। (शोर एवं व्यवधान) Let me move my Adjournment Motion. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आज आप कांग्रेस के किसी विधायक को सदन से बाहर न जाने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों को जरा सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जितने भी माननीय विधायक हैं, उनके पास मुख्यमंत्री और स्पीकर का अनुभव वर्षों–वर्षों का है, लेकिन आज वे विपक्ष की भूमिका में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि हम पूरे 60 साल इनके लाठी और डंडे खाते रहे, लेकिन हम कभी भी मर्यादा से बाहर नहीं गए। अध्यक्ष महोदय, इनके नेता अमेरिका जाकर बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जनेवा में गए। (शोर एवं व्यवधान) श्री नरसिम्हा राव को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लखू भाई पाठक के केस में 3 साल की सजा सुना दी और जब वाजपेयी जी से जनेवा में इस बारे में पूछा कि आपके प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है। अध्यक्ष महोदय वाजपेयी जी की महानता देखिए कि उन्होंने उसका उत्तर देते हुए कहा कि it is our domestic matter. अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कल ही सदन को बताना चाहिए था कि ये

वाक–आउट किस मुद्दे पर कर रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान) आज विपक्ष के नेता ने अपना स्थगन प्रस्ताव पढ़ दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब भी देना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर आपने दोनों मोशन को क्लब किया है तो कादियान जी इस काम रोको प्रस्ताव को मूव भी करेंगे। यह सदन की एक औपचारिकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, मैंने चर्चा के लिए कहा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, पहले यह एडजर्नमेंट मोशन दोनों जगह से मूव होगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो एडजर्नमेंट मोशन हमारी पार्टी की तरफ से दी गई है, वह मूव होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने यह कहा था कि स्थगन प्रस्ताव संख्या–3 दिया गया जो कि समान विषय पर है । (शोर एवं व्यवधान) इसको क्लब किया गया है और हस्ताक्षरी सभी विधायक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के रूल 68(i) में क्लीयर लिखा है कि "not more than one such motion shall be made at the same sitting;" उस हिसाब से दोबारा मूव नहीं हो सकता । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने भी सदन चलाया है । यदि कोई प्रस्ताव क्लब होता है तो दोनों मूव करते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी बैठें । (शोर एवं व्यवधान) किरण जी, प्लीज आप बैठें। ऐसा नहीं होता । क्लब होने पर दूसरा सदस्य मूव नहीं कर सकता । (शोर एवं व्यवधान) कादियान जी, आप चर्चा में भाग ले सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान) क्या आप इस पर चर्चा इसलिए नहीं करवाना चाहते हैं कि आपके ध्यान में कोई ऐसी बात आ गई है कि इसमें आपके समय में कोई गड़बड़ी हुई है ? (शोर एवं व्यवधान) इस पर चर्चा के दौरान आप अपनी बात रख लेना । प्लीज, आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Speaker Sir, it is a matter of personal right. Let me move my Adjournment Motion first. अध्यक्ष महोदय, आप मेरा प्रस्ताव मूव हुआ मान लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने इस पर निर्णय ले लिया है । (शोर एवं व्यवधान) सदन में चेयर का निर्णय ही चलता है और मैंने इस पर निर्णय ले लिया है । आप इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान) मैंने निर्णय ले लिया है कि अब इस पर अभय सिंह चौटाला जी बोलेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा प्रस्ताव मूव हुआ मान लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य आपके डिसीजन को ही चैलेंज कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप यह कह दें कि इसको मूव हुआ समझा जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने पहले यह स्थगन प्रस्ताव दिया था इसलिए मूव तो केवल हमारा ही रहेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मूव तो केवल एक बार ही होगा और वह हो चूका है। (शोर एवं व्यवधान) आप इस पर चर्चा में भाग ले सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान) नेता विपक्ष की तरफ से आपसे दस दिन पहले यह स्थगन प्रस्ताव आ चुका था । एक विषय होने के कारण मैंने इसको एक साथ जोड़ दिया है । (शोर एवं व्यवधान) आप मूव करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं ? आप चर्चा में भाग ले सकते हैं और जो जनहित की बातें हैं वे आप इस पर चर्चा में भाग लेते समय कह लेना । (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले यह स्थगन प्रस्ताव अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से आया था और बाद में आपकी तरफ से आया था । मैंने आपका स्थगन प्रस्ताव इसको क्लब कर दिया और स्वीकार कर लिया । (शोर एवं व्यवधान) आप इस पर चर्चा में भाग लेकर जनहित से संबंधित विषय रख लेना । (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के 11 विधायकों की तरफ से यह स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है । आप यह कह दें कि इसको मूव हुआ समझ लिया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप इस पर चर्चा में भाग ले सकते हैं । मूव तो केवल अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से ही रहेगा । (शोर एवं व्यवधान) इस बारे में निर्णय मैं लूंगा या आप लेंगे ?

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, निर्णय तो आप ही लेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने अपना निर्णय ले लिया है । आप इस पर चर्चा में भाग ले सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इनको बैठायें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, आपने निर्णय लेने के बाद ही कादियान साहब को अलाउ किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते । ये आज भी सदन में इस तरह का व्यवहार इसलिए कर रहे हैं कि ये नेम होकर यहां से भागना चाहते हैं । (शोर एवं व्यवधान) आप आज इनको नेम न करें ताकि ये सदन से बाहर न जा सकें । (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी रूलिंग दे दी है और इन प्रिंसीपल डाक्टर साहब जो बात कहना चाहते हैं उसके लिए इनको आपने नाम लेकर बुलवाया लेकिन ये दूसरी तरफ चले गये । चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपना प्रस्ताव मूव कर दिया । डाक्टर साहब, कल आपकी बारी थी और आपका स्थगन प्रस्ताव क्लब हो गया । कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इण्डियन नैशनल लोक दल की तरफ से जो स्थगन प्रस्ताव आया वह सेम विषय का होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने क्लब कर दिया । चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपना प्रस्ताव मूव किया और उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने डाक्टर साहब को अलाउ किया । डाक्टर साहब, आप प्रस्ताव मूव करने के बजाय भाषण देने लग गये ।

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा मोशन पढ़ा हुआ मान लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपकी रूचि चर्चा में भाग लेने पर है या मूव करने में है । (शोर एवं व्यवधान) यदि आप जनहित की बात रखना चाहते हैं तो इस पर चर्चा में भाग लेते समय अपनी बात कह लेना । (शोर एवं व्यवधान) मुझे लगता है आपकी इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में रूचि नहीं लग रही है । आपकी रूचि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में होनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान) आप चर्चा में रूचि नहीं ले रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यदि इस विषय पर चर्चा नहीं होती है और यह नहर नहीं बनती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान आपके एरिया के लोगों को ही होगा । यदि यह नहर नहीं बनती है तो आपके एरिया के लोग आने वाले समय में कोसेंगे । (शोर एवं व्यवधान) आप मेरा मोशन मूव करवा दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, कादियन साहब को प्रस्ताव मूव करने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे लग रहा है आज कांग्रेस पार्टी के सदस्य पहले से ही निर्णय करके आये हैं कि बाहर जाना है । (शोर एवं व्यवधान) यदि आप इसी तरह से व्यवधान डालते रहेंगे तो मुझे सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा । (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक लाईन कहनी है। Hon'ble Speaker Sir, let me move my Adjournment Motion first for the consideration of the House.

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, यदि आप नहर के हक में हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें । (शोर एवं व्यवधान) कादियान साहब, मैं आपको वार्न करता हूं । (शोर एवं व्यवधान) जगबीर जी, प्लीज आप बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक लाईन कहनी है। Let me move my Adjournment Motion first. उसमें आपने गतिरोध पैदा कर दिया । (शोर एवं व्यवधान)

भूतपूर्व सांसद/भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव तथ हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनंदन

श्री मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी अजय सिंह चौटाला, पूर्व मैंबर ऑफ पार्लियामैंट, श्री राम पाल माजरा, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और श्री नरेन्द्र सिंह सांगवान, पूर्व विधायक, हरियाणा विधान सभा सदन की कार्यवाही देखने के लिए वी. आई. पीज. गैलरी में बैठें हैं । मैं पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं ।

दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को डि–नाटिफाई करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 पर चर्चा की स्वीकृति (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के विधायकों की तरफ से जो काम रोको प्रस्ताव दिया गया है उसके माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप से जो पानी की जरूरत है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं । आज की तारीख में पानी की कमी होने के कारण हरियाणा प्रदेश का 60 प्रतिशत एरिया डार्क जोन में है और उसी के साथ–साथ बहुत सा एरिया ऐसा है जो क्रिटिकल जोन में डाल रखा है । यदि पानी की इस कमी की तरफ समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में प्रदेश का 100 प्रतिशत एरिया पानी की समस्या से जूझेगा । आज के दिन प्रदेश के किसानों की जमीन को सिंचाई का पानी देने के लिए 36 मिलियन एकड़ फिट पानी की जरूरत है और उपलब्धता केवल 14 मिलियन एकड़ फिट पानी की ही है । इस तरह से 22 एकड़ मिलियन एकड़ फिट पानी की कमी प्रदेश में चल रही है । आज के दिन हमारे प्रदेश में 40 लाख हैक्टियर जमीन कृषि योग्य है । इसमें 50 प्रतिशत जमीन ऐसी है जिसमें ट्यूबवैल्ज के माध्यम से सिंचाई होती है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज के दिन प्रदेश में 33 प्रतिशत जमीन पर नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है । यह जो 33 प्रतिशत नहरों से सिंचाई हो रही है इसके हालात भी आज संतोषजनक नहीं हैं । किस नहर में कितना पानी चाहिए यह मैं बाद में जानकारी दूंगा । यह जो 33 प्रतिशत भूमि पर नहरी पानी से सिंचाई हो रही है इसमें भी आज पूरा पानी नहीं मिल रहा है । इसके अतिरिक्त 17 प्रतिशत भूमि ऐसी है जहां पर किसान सिंचाई के लिए

परमपिता परमात्मा की कृपा पर निर्भर करते हैं । इस 17 प्रतिशत एरिया में बिजाई तभी होती है जब बरसात हो जाये और फसल पकती भी तभी है जब आगे जाकर फिर से बरसात हो जाये वरना फसल पकने से पहले ही खराब हो जाती है । आज के दिन हमारे प्रदेश में सिंचाई के इस तरह के हालत हैं । अध्यक्ष महोदय, 10 नवम्बर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट का एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए हमारे हक में फैसला आया था । उसके बाद प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि इस इश्यू को लेकर वे प्रधान मंत्री जी से मिलकर एस.वाई.एल. नहर का निर्माण करवाते। सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर हैं उनमें ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा हुआ जिसके कारण एस.वाई.एल. नहर के निर्माण में किसी तरह की रूकावट हो । उन आर्डर्ज में साफ–साफ लिखा हुआ है कि पहले नहर का निर्माण हो उसके बाद पानी का बंटवारा किया जाये । जैसा कि पंजाब बार–बार कहता है कि पंजाब के पास एक बूंद पानी भी फालतू नहीं है । अध्यक्ष महोदय, पहले एस.वाई.एल. नहर बननी चाहिए और नहर बनने के बाद देखो कि कितना पानी हरियाणा को मिल सकता है । एस.वाई.एल. नहर के विषय को लेकर मौजूदा सरकार सीरियश नहीं लग रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्ज को आये हुए आज करीबन एक साल का समय हो गया है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, इनेलो पार्टी की तरफ से जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है उसमें इन्होंने लिखा है कि इनेलो पार्टी मांग करती है कि किसानों व जनता के हित में प्रदेश सरकार अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करे और प्रदेश की अपनी परियोजना दादूपुर नलवी नहर परियोजना को जनहित में तुरन्त पूरा करे। इस एडजर्नमैन्ट मोशन की वास्तविक मांग दादूपुर नलवी नहर की थी जबकि अब ये उससे हट कर एस.वाई.एल. नहर पर आ गये हैं। अगर हम सीमित समय में दादूपुर नलवी नहर पर चर्चा नहीं करेंगे तो इस प्रस्ताव की सार्थकता समाप्त हो जायेगी, उस विषय पर जो विपक्ष कहना चाहता है और जनहित में जो बातें हमें कहनी हैं वे नहीं हो पायेंगी। अब ये दादूपुर नलवी के विषय से हट कर दूसरे विषय पर आ गये हैं। अगर एक साथ कई विषयों पर बात करेंगे तो इस स्थगन प्रस्ताव के लिए निर्धारित 2 घंटे के समय में पूरी चर्चा नहीं हो पायेगी।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं एस.वाई.एल. नहर का विशेष रुप से इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि यह दादूपुर नलवी नहर का मामला भी एक तरह से उससे जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्षः अभय जी, आपका स्थगन प्रस्ताव तो दादूपुर नलवी नहर से संबंधित है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह विषय उससे जुड़ा हुआ है और यही बात मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं । मैंने आपको बताया है कि हमें कितना पानी चाहिए। मैं दादूपुर नलवी नहर का मामला भी सरकार के सामने तथ्यों के साथ रखूंगा कि आज उसकी जरूरत क्यों है लेकिन मैं एस.वाई.एल. नहर के बारे में जो बातें बता रहा हूं वे भी बतानी जरूरी हैं। एस.वाई.एल. नहर के बारे में भी सरकार को गम्भीर होना चाहिए। दादूपुर नलवी नहर का मामला पानी से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके पानी से 3 जिलों में खेती की सिंचाई भी होनी है और उस पानी से जमीन की रिचार्जिंग भी होनी है। आज प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या पानी की है क्योंकि आज प्रदेश का 60 प्रतिशत हिस्सा डार्क जोन में आया हुआ है। इसके अतिरिक्त बहुत सा हिस्सा ऐसा भी है जिसको आपने क्रिटिकल जोन में ले रखा है। उसके बाद जमीन की सिंचाई के लिए किसानों ने जो ट्यूबवैल्स के कनैक्शन्ज लेने के लिए आवेदन किये थे उस पर भी आपने बैन लगा दिया है, आप कनैक्शन नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी समस्या और बढ़ गई है इसीलिए एस.वाई.एल. नहर का पानी भी मिलना चाहिए जिसके लिए सरकार को अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एस. वाई.एल. नहर के लिए जो जमीन एक्वायर की गई थी पंजाब में जब अकाली दल–भाजपा की सरकार थी उस समय सरकार की तरफ से सदन में यह फैसला लिया गया कि हम इस जमीन को डी–नोटिफाई करते हैं और डीनोटिफाई करके वह जमीन किसानों को वापिस दे दी जाये। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और यह कहा गया कि इस मामले में यथास्थिति(स्टेटस्को) बनाये रखी जाये जिसके लिए 3 अधिकारियों की निगरानी समिति भी बनाई गई।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, जो एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा है उस पर सारा सदन एक है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति के सामने इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिल कर फरियाद लेकर पहुंचे थे। एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर इस समय सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में बहुत लास्ट

स्टेज पर गया हुआ है इसलिए हमें एस.वाई.एल. नहर की बजाय दादूपुर नलवी नहर पर चर्चा करनी चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, वह तो कर लेंगे लेकिन एस.वाई.एल. नहर का जो इश्यू है उसका थोड़ा सा जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लम्बित नहीं है। इसमें सॉलिसिटर जनरल ने समय मांगा हुआ है कि हमें टाईम दिया जाये। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कोई पाबंदी नहीं है। इस पर हरियाणा का क्लीयर स्टैंड होना चाहिए। मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि एस.वाई.एल. नहर के मामले में हम कोई नैगोशिएशन नहीं करेंगे।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि पंजाब ने एस. वाई.एल. नहर की जमीन को डी–नोटिफाई कर दिया था जिस पर हम सभी ने और सरकार की तरफ से एक निन्दा प्रस्ताव पंजाब सरकार के खिलाफ लाया गया था। वह निन्दा प्रस्ताव सिर्फ इसीलिए लाया गया था कि पंजाब ने एस.वाई.एल. नहर को डी–नोटिफाई कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने दादूपुर नलवी नहर की जमीन को डी–नोटिफाई किया है मैं उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा कि किन लोगों से करवाया गया और उन लोगों को क्या–क्या लालच दिये गये कि आप इस तरह की रिपोर्ट बना कर लाओ, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन एस.वाई.एल. नहर के बारे में बताना भी इसलिए जरूरी है कि आज की तारीख में भी पंजाब के खेतों में जाने के बजाय, राजस्थान के खेतों में जाने के बजाय तथा हमें मिलने की बजाय वह पानी पाकिस्तान में जा रहा है। आज भी माधोपुर हरिके और हुसैन वाला हैड वर्क से यह पानी पाकिस्तान जाता है । हमारा पानी पाकिस्तान जाए और हमें न मिले इसके लिये सरकार को सीरियस होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपका स्थगन प्रस्ताव दादूपुर नलवी नहर के बारे में है । इसलिए आप अपना विषय दादूपुर नलवी नहर पर ही रखिये। एस.वाई.एल. नहर के विषय पर मत जाईये । आज एस.वाई.एल. नहर पर तो कोई चर्चा ही नहीं है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जिन नहरों के माध्यम से किसान के खेत में पानी जाता है । मैं यह बात इसलिये आपके सामने दोहराता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यह कहा कि हमने 300 टेलों पर पानी पहुंचा दिया है। वह स्वयं एक ऊंट की सवारी करके लोहारू के खेत में जाकर खड़े हो गये । मुझे

तो यह लग रहा था कि यह कहीं राजस्थान न चले जाएं और इस बात का भी ध्यान न रहे कि यह टेल किस की है । जो नहरें है जिनमें पानी जाना चाहिए था आज उन नहरों की ऐसी हालत है कि उनमें जिस क्षमता के साथ पानी चलना चाहिए वह नहीं चल रहा है । आप सरकारी आंकड़ों में तो पता नहीं क्या दिखा दोगे लेकिन एक्च्यूअल में पानी की जो पोजीशन है वह यह है कि आज भी टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है । आज भी हरियाणा प्रदेश का किसान पानी के लिये तरस रहा है । आज तो पानी की वारा बन्दी हो रही है उसमें भी इतनी बड़ी गड़बड़ है कि एक किसान को तो हफ्ते में दो बारी मिल जाती हैं और एक किसान को दो हफ्ते में एक बारी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है । इस किस्म से पानी की वार बन्दी बनाई गई है जिससे किसान के सामने बड़ी कठिनाईयां हैं । जिन नहरों के माध्यम से आपको पानी ले जाना है अगर उन नहरों में पानी नहीं चलेगा अगर उनमें घास–फूंस खड़ा होगा तो किसानों को पानी कैसे मिलेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, यह लगता है कि दादूपुर नलवी नहर के विषय पर आपकी कोई तैयारी नहीं है । इसलिए आपके पास जो पिछला रटा रटाया विषय है उसी पर बोल रहे हैं । इसलिये कोई भी सदस्य दादूपुर नलवी नहर के विषय से बाहर बोले उसको रिकॉर्ड न किया जाए । केवल जो सदस्य दादूपुर नलवी नहर के विषय पर बोलेगा उसी को रिकॉर्ड किया जाए । दादूपुर नलवी नहर के विषय पर तो कोई भी सदस्य कुछ नहीं बोल रहा है । अभय जी, अब तक आप जितना बोले हो उसमें से 75 प्रतिशत तो आप केवल एस.वाई.एल. नहर के विषय पर ही बोले हो जबकि विषय दादूपुर नलवी नहर का है । अगर आपकी इस विषय पर तैयारी नहीं है तो और कोई दूसरा मैंबर इस विषय पर बोल लेगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं दादूपुर नलवी नहर के विषय पर ही बोल रहा हूं और मेरा विषय भी दादूपुर नलवी नहर ही है लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते ।

श्री अध्यक्ष : मैं सुनना चाहता हूं लेकिन केवल दादूपुर नलवी नहर के विषय पर ही सुनना चाहता हूं लेकिन आप नारनौल चले गये ।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, श्री अभय सिंह जी तो नारनौल में घूम रहे हैं उनको कहो कि वह दादूपुर नलवी में आ जाएं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उनका इलाका कौन सा है । मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं । मंत्री जी की तरह मैं किसी पर्टीकुलर इलाके की बात नहीं करता ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप पूरे हरियाणा की चिन्ता करते हैं यह बात सही है लेकिन अभी आप दादूपुर नलवी नहर की चिन्ता कीजिये ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अभय जी, आप एस.वाई.एल. नहर के विषय पर अलग से बहस करें आप उस पर अलग से कालिंग एटेंशन मोशन लेकर आएं सरकार उस पर चर्चा करने के लिये तैयार हैं । टोटल रिसोर्सिज पर भी तैयार हैं, टेल पर भी चर्चा के लिये तैयार हैं, बजट पर भी बात करने को तैयार हैं । लेकिन आज दादूपुर नलवी नहर के विषय पर बात चल रही है इसलिए आप अपने विषय पर आ जाईये ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष महोदय, एक नई–नई शादी हुई और शादी के एक सप्ताह बाद रात को दोनों पति–पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया । आस पड़ोस से आदमी इक्ट्ठे हो गये और पूछने लगे कि आप किस बात पर झगड़ा कर रहे हो । वह कहने लगे कि बच्चे का नाम सोनू रखें या मोनू रखें इस बात पर ही सारी रात लड़ते रहे तो लोग कहने लगे कि बच्चा है कहां वह कहने लगे कि बच्चा तो अभी पैदा होगा। इन दोनों पार्टियों के सदस्यों को दादूपुर नलवी नहर विषय के बारे कोई पता नहीं है यह तो वैसे ही यहां पर लड़ रहे हैं। इनको कुछ पता नहीं है क्योंकि इन्होंने किसी सदस्य ने भी दादूपुर नलवी नहर को देखा ही नहीं है । यह तो वैसे ही लड़ रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह मोदी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू जी, मंत्री जी से इतने नाराज न हो । अगर आप दादूपुर नलवी नहर के विषय पर रहो तो मैं किसी को भी नहीं बोलने दूंगा । आप इधर–उधर बोलते हैं तब यह बोलते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक बार यह कहा था कि ये मोदी जी पता नहीं क्या–क्या करवा कर मरवाएगा । अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री अपने नेता के बारे में ऐसी बात करे, लानत है ऐसे व्यक्ति पर । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि इस काम रोको प्रस्ताव में एस.वाई.एल. नहर का कहीं कोई जिक्र नहीं है । आप पहले जो मेरा स्थगन प्रस्ताव है उसको पढ़कर देख लें उसमें मैंने एस.वाई.एल. नहर का जिक्र किया है । आप पहले उसको अच्छी तरह से पढ़िये कि मैंने उसमें क्या लिखा है ? (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अभय जी, मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव को पढ़ लिया है संदर्भ देने से अर्थ नहीं होता । अर्थ होता है हमारा जो ऑप्रेटिव पार्ट है जिसके ऊपर चर्चा करनी है । जिसकी मांग की गई है और जिसकी मांग की गई है उस पर तो हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं । अगर संदर्भ वाला विषय होता है तो 80 प्रतिशत में से कम से कम 5–10 प्रतिशत तो संदर्भ के विषय पर बोला जाए । लेकिन इन्होंने 10 प्रतिशत की बजाए आधे घण्टे से सिर्फ एस.वाई.एल.नहर के पानी की बात की है, टेलज और इन सारे विषयों पर तो आए ही नहीं और बाद में एक लाईन बोल देंगे कि इसमें दादूपुर नलवी नहर के विषय को भी शामिल किया जाए। दादूपुर नलवी नहर के विषय पर चर्चा कीजिये जहां पर एस.वाई.एल. नहर की बात आएगी तो हम उसको भी सुनेंगे ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है वास्तव में ये तो केवल एक तरह से गाय के प्रस्ताव का ही ज्ञान रखते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, गांय को रोटी कैसे खिलाई जाती है इस बात तक का मंत्री जी को पता नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) वास्तव में मंत्री जी को ही गाय का प्रस्ताव आता है। बात करता है गाय की? गाय को रोटी कैसे खिलाई जाती है क्या इसका पता है? (शोर एवं व्यवधान) गाय को कैसे चारा दिया जाता है, क्या इस बात का पता है? (शोर एवं व्यवधान) गाय को कैसे पाला जाता है क्या इस बात का पता है? (शोर एवं व्यवधान) इसको इस बात तक की जानकारी नहीं है और गायों का ठेकेदार बनता है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, सदन में गायों के बड़े–बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तो गायों के लिए गौशालाएं बनाई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की यह गौशालाएं बना रहे हैं वह जेल की तरह बनाई जा रही हैं जहां पर जाकर गाय बहुत बुरी मौत मरती हैं। (शोर एवं व्यवधान) यह अपने आपको गाय के ठेकेदार कहने वाले लोग, इन्होंने कभी घर में गाय को बांधकर तक नहीं देखा।(शोर एवं व्यवधान) कितनी अजीब बात है जिन लोगों ने घर में गाय बांधकर तक नहीं देखी वह गाय की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, हमने तो गायों के लिए गौशालाएं बनाई हैं परन्तु ये लोग तो केवल बातें करना जानते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री जी अपने आपको गांयों का ठेकेदार कह रहा है। कहता है कि गौशालाएं बनाई हैं।(शोर एवं व्यवधान) गांयों को गौशाला रूपी जेलों में ही भेजोगे? (शोर एवं व्यवधान) नंदीशालाएं तो बना नहीं सकते, गौशाला रूपी जेल ही बनाओगे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं अब फिर अपने विषय पर आता हूँ। जैसाकि कहा जा रहा है कि मैंने एस.वाई.एल. नहर का अपने प्रस्ताव में कोई जिक्र नहीं किया उस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि मैंने बाकायदा तौर पर अपने प्रस्ताव में एस.वाई.एल. नहर का जिक्र किया था केवल मैंने ही नहीं जो दस्तावेज सरकार की तरफ से हमारी टेबल पर आये हैं उनमें भी बाकायदा तौर पर एस.वाई.एल. नहर का जिक्र किया गया है। जब एस.वाई.एल. नहर के ऊपर चर्चा ही नहीं की जानी है तो फिर जो यह टेबल पर सरकार की तरफ से जवाब आया है इसमें एस.वाई.एल. नहर का ही जिक्र क्यों किया गया? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, जो मेन मुद्दा है वह यह है कि जो विषय सदन में अब चल रहा है आप उस विषय पर तो 25 प्रतिशत बोल रहे हैं जबकि दूसरे विषय पर आप 75 प्रतिशत बोले जा रहे हैं तो इस तरह से सदन में जो विषय अब चल रहा है उसका तो एक तरह से आश्य ही समाप्त हो जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं 100 प्रतिशत मुख्य विषय पर ही बात करूंगा लेकिन मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दें?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, आपको दादूपुर–नलवी नहर परियोजना पर बोलना चाहिए। यदि आप मुख्य विषय पर नहीं बोलोगे और दूसरे विषय पर बोलते रहे तो इस तरह से हालत यह हो जायेगी कि सदन के दूसरे सदस्यों को बोलने के लिए समय ही नहीं मिल पायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आपको दादूपुर –नलवी नहर परियोजना पर चर्चा की इसलिए ज्यादा जल्दी है क्योंकि यह आपके एरिया से जुड़ा हुआ मसला है। मैं इस मसले पर भी विस्तार से सारी बात बताउंगा लेकिन उससे पहले यह बताना ज्यादा जरूरी समझता हूँ कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश में पानी के नाम पर राजनीति की गई है। जिन लोगों ने पानी के मसले पर राजनीति की और आज भी कर रहे हैं, उन लोगों के चेहरे भी जनता के सामने उजागर होने चाहिए। जनता को पता लगना चाहिए कि किन लोगों द्वारा पानी के मसले पर भी राजनीति की गई। यह लोग जो पानी के विषय पर राजनीति करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं इनको हरियाणा प्रदेश की जनता को पानी मिले या न मिले इसकी कोई चिंता न अब है न पहले थी। देखने में आ रहा है कि आज सत्ता पक्ष द्वारा भी कुछ इसी प्रकार की राजनीति की जा रही है। हांसी–बुटाना के नाम से एक नहर तो बनाई गई थी लेकिन इसमें कभी एक बूंद भी पानी नहीं चल पाया। इस नहर का लैवल भी कुछ इस तरह से बनाया गया है कि मान लो यदि इसमें पानी चल भी जाये तो भी पानी पूरी तरह से किसान के खेत तक नहीं पहुंच पायेगा। इसको नहर के रूप में नहीं बल्कि एक खड्डे की तरह बनाया गया है। नहरें जमीन के उपर बना करती हैं जबकि यह नहर जमीन के अंदर बनाई गई है। इस नहर को केवल राजनीति करने का माध्यम बनाया गया था। इस नहर के माध्यम से दक्षिण हरियाणा के लोगों को भ्रमित करके अपने साथ जोड़ने के लिए एक तरह से राजनीतिक हथकंडा अपनाया गया था। यह नहर केवल दक्षिण हरियाणा के लोगों के इमोशंज को अपने साथ जोड़ने के लिए बनाई गई थी। इस नहर के निर्माण पर प्रदेश के लगभग 400 करोड़ रूपये खर्च कर दिए गए लेकिन नहर के स्थान पर केवल खड्डा बनाकर तैयार कर दिया गया। यदि इस खड्डानुमा नहर में कोई डंगर भी अगर अंदर चला जायेगा तो वह भूखा प्यासा इस खड्डानुमा नहर में मर तो सकता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकेगा। खड्डा होने की वजह से इससे

बाहर निकलना मुमकिन ही नहीं है। अगर यह नहर जमीन के उपर बनाई जाती तो फिर इस प्रकार के हालात पैदा नहीं होने थे। ज्यादा बारिश होने की अवस्था में इस नहर की वजह से किसानों के खेतों में सेम की समस्या तक पैदा हो जाती है क्योंकि नहर के पानी के डिस्चार्ज करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त यह नहर कई मेन रास्तों के बीच आती है जिसकी वजह से भी लोगों को तकलीफ होती है। इस अवस्था में जो मुख्य प्रश्न उठता है वह यह है कि जिन लोगों ने इस नहर के निर्माण पर प्रदेश का 400 करोड़ रूपया खर्च किया है क्या उनके द्वारा गलत खर्च किए हुए पैसे को वसूलने का काम सरकार द्वारा किया जायेगा? क्या इसके लिए भी कोई इंक्वॉयरी करवाई जायेगी? क्या सरकार इन सभी चीजों का संज्ञान लेगी? (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मिट्टी कहां गई इसको तो ढूंढवा ही लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सरकार से कुछ नहीं ढूंढवाया जायेगा। सरकार को बने हुए तीन साल का समय बीत चुका है आज तक तो कुछ ढूंढ नहीं पाये? अब मैं दादूपुर –नलवी नहर परियोजना पर बात करता हूँ। सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार यह प्रयास किया जा रहा था कि इस विषय पर जल्द से जल्द चर्चा हो जाये। वास्तव में दादूपुर –नलवी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य तीन जिलों अर्थात अम्बाला, यमुनानगर तथा कुरूक्षेत्र में पानी पहुंचाना था। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर आपका इलाका है। यदि यह नहर बनकर तैयार हो जाती तो इस नहर का पानी आपके खेतों को भी मिलता और तब आपको अहसास होता कि नहर के पानी की कीमत क्या होती है? नहर के पानी से किसान को कितनी बड़ी सहूलियत और सुविधा मिलती है। नहर के पानी में सबसे ज्यादा मिनिरल्स होता है जबकि जमीनी पानी में मिनिरल्स की कमी पाई जाती है। हम खेत में अपनी फसल को पकाने के लिए अनेक तरह के खाद और कैमिकल्स डालते हैं, लेकिन जो पानी नहर के माध्यम से खेतों को प्राप्त होता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता है। दादूपुर–नलवी नहर के पानी के साथ जो मिट्टी बहकर आ रही थी, वह मिट्टी ही इतनी उपजाऊ थी कि उसकी वजह से जमीन में खाद डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस नहर को समाप्त करने का सरकार का निर्णय ठीक नहीं है। केवल तीन जिलों को ही फायदा होता, ऐसी बात नहीं है या केवल जमीन की रिचार्जिंग ही होती, ऐसा भी नहीं है बल्कि इससे 23 छोटी नहरें और बनाई जानी

12:00 बजे

थी जिससे 92532 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई भी होनी थी। यानी कि लगभग 1 लाख 14 हजार हैक्टेयर जमीन थी जिसकी इन 23 चैनल्स के माध्यम से सिंचाई होनी थी । आपके इस फैसले से वे किसान उस पानी से अपनी भूमि की सिंचाई करने से वंचित हो गये । इसके अतिरिक्त रेणुका, किशाऊ और लखवार के बांध बनने भी प्रस्तावित हैं । इनमें रेणुका का बांध तो सौ फीसदी बनेगा क्योंकि इसे सैंटर गवर्नमैंट ने अपने अधीन ले लिया है । अगर ये बांध बनते हैं तो फिर दादूपुर–नलवी नहर में साल के 12 महीने पानी चलेगा । यह पानी न केवल उन क्षेत्रों के वाटर रिचार्जिंग बल्कि सिंचाई के भी काम आयेगा । आपने तो सरस्वती नदी में पानी चलाने के लिए दादूपुर–नलवी नहर के माध्यम से 405 क्यूसिक पानी छोड़कर लोगों को यह दिखा दिया कि हमने सरस्वती नदी में पानी चला दिया है । अगर आपने इस नहर को बंद कर दिया तो इसमें पानी नहीं आएगा और फिर आपकी सरस्वती नदी भी सूख जाएगी । अगर आपने इस नहर को ड्रॉप करके इसे डिनोटिफाई कर दिया तो आपको फिर से दिक्कत आएगी । इस नहर को बनाने के लिए सबसे पहले चौधरी देवी लाल जी ने प्रयास किये थे । उन्होंने सन् 1987 में इसके लिए जमीन एक्वायर करने के ऑर्डर किये थे लेकिन केवल जमीन एक्वायर करने से ही नहर नहीं बनाई जा सकती थी । इसका काम केवल तब पूरा हो सकता था जब इसके लिए केन्द्रीय जल आयोग इसकी मंजूरी दे देता । मैं हाँसी–बुटाना नहर की बात भी इसीलिए उठा रहा था कि इसको बनाने से पहले केन्द्रीय जल आयोग से इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी । इसी वजह से इसमें दिक्कत है और आज तक भी हाँसी–बुटाना नहर में पानी नहीं चलाया जा सका । इस नहर के साथ तीन अन्य स्टेट भी जुड़े हुए हैं । इस नहर के माध्यम से तीन अन्य स्टेट्स को भी पानी जाना था और भाखड़ा–नंगल डैम से इस पानी के बंटवारे के लिए इनमें एक एग्रीमैंट हुआ था । अगर उस नहर को बनाने से पहले तीनों स्टेट्स के साथ टेबल पर बैठकर बात कर ली जाती तो आज हमारे सामने यह समस्या न आई होती और साउथ हरियाणा को पर्याप्त पानी मिलता । यह नहर जिस इलाके को पानी देने के लिए बनाई गई थी उस इलाके को आज तक उस नहर से पानी नहीं मिल पाया क्योंकि इस नहर पर सिर्फ राजनीति की गई है । प्रदेश का पैसा खर्च करके नहर तो बना दी गई लेकिन ये जानते थे कि इस नहर में पानी नहीं आ पाएगा । ये लोग इस नहर पर सिर्फ राजनीति करते रहे और कहते रहे कि चौधरी देवी लाल और प्रकाश सिंह बादल का आपस में समझौता और

भाईचारा है तथा ये दोनों नहीं चाहते कि हरियाणा के किसान को पानी मिले । केवल हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस किस्म का प्रचार किया गया । ये इस मामले में बिल्कुल सीरियश नहीं थे । अध्यक्ष जी, ये नहीं चाहते थे कि इस नहर का पानी हरियाणा प्रदेश के किसान को मिले । आज के हालात भी बिल्कुल उसी तरह के हैं । अगर सरकार किसानों के हितों के प्रति सीरियश होती तो एस. वाई.एल. नहर पर अभी तक सौ फीसदी काम शुरू हो चुका होता । एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए केन्द्रीय जल आयोग से परमिशन लेनी थी और वह परमिशन हमारे पास 6 जुलाई, 2004 को आई थी । केन्द्रीय जल आयोग से इसके निर्माण की परमिशन मिलने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 16 नवम्बर, 2004 को गांव अधोया में इस नहर की आधारशिला रखी । इसका निर्माण जल्द से जल्द करवाने के लिए 10 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये । इसके लिए नवम्बर माह में 214 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया और 25 नवम्बर, 2004 को इस नहर के निर्माण की मंजूरी दे दी गई । इसके पश्चात् 31 मार्च, 2005 को इसके निर्माण के लिए टैण्डर फ्लॉट करके 7 ठेकेदारों को टैण्डर अलॉट कर दिया गया और काम शुरू करवा दिया गया । सरकार कल शाहाबाद फीडर के कुछ किसानों को नकली पगड़ियां पहनाकर लेकर आई थी । वह केवल सरकार का एक ड्रामा और दिखावा था । (शोर एवं व्यवधान) यह सरकार किसानों को पहले भी लेकर आई थी । आप मेरी बात सुनिये क्योंकि यह मामला किसान हित से जुड़ा हुआ है । (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, दादूपुर गांव आपके निर्वाचन क्षेत्र जगाधरी का गांव है और नलवी गांव श्री कृष्ण कुमार बेदी जी के शाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र का गांव है। अध्यक्ष महोदय, आपका, श्री कृष्ण कुमार बेदी जी का, श्री कम्बोज जी का और श्री श्याम सिंह राणा जी का चुनाव क्षेत्र दादूपुर नलवी नहर परियोजना के समीप आता है। हम तो राजस्थान स्टेट के बॉर्डर के साथ लगते गांव के हैं और Chautala is the last village of Haryana. अध्यक्ष महोदय, कल एक हजार किसान आए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वे किसान नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे पास उन किसानों का ज्ञापन है और चार सौ किसानों का नाम, गांव का नाम व फोन नम्बर भी है। उन किसानों के फोटो अखबारों में भी छपे हैं और मीडिया में बकायदा उन्होंने अपने इन्टरव्यू भी दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से चार सौ किसान अपनी बात कह के जाने के बाद उनको यह कहा जाए कि नकली किसान हैं तो इससे बड़ा किसानों का अपमान नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उन किसानों को नकली कहा है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी भी विवाद में नहीं जाना चाहता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपने अपनी सारी ताकत नहर के इतिहास बताने में लगा दी है। आप असली मुद्दे पर आएं कि नहर को बंद करने से क्या नुकसान हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप चिंता मत कीजिए मैं उसी मुद्दे पर आ जाऊँगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मुद्दा यह नहीं है कि किसने नहर का उद्घाटन किया या नहीं किया। मुद्दा यह है कि इस परियोजना को बंद करने से क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय दोनों की बातों में काफी अंतर आ गया है। शर्मा जी, तो सदन में खड़े होकर कहते हैं कि हजारों किसान आए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 400 किसानों के नाम व फोन नम्बर के साथ सदन को अवगत करवाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनमें अधिकतर पंचायत के मैम्बर, सरपंच आदि हैं जिन्हें बी.डी.पी.ओ. द्वारा डरा धमका कर नाम व फोन नम्बर लिखवाकर भेजा गया है। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : अध्यक्ष महोदय, डराने व धमकाने का काम तो माननीय सदस्य खुद करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बता रहा था कि इस नहर के लिए 214 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके 31 मार्च, 2005 को टैंडर भी हो चुका था। जिसमें नहर के लिए सात ठेकेदारों को काम भी दे दिया गया था और काम शुरू भी हो गया था। शाहाबाद फीडर पर लगभग 50 किलोमीटर तक नहर बन चुकी है। अध्यक्ष महोदय, 50 किलोमीटर के दायरे में किसानों की बहुत सारी जमीनें आ जाती है। दूसरी नलवी डिस्ट्रीब्यूटरी लगभग 25 किलोमीटर तक बन चुकी है। इस तरह से 75 किलोमीटर की लम्बाई तक नहर बन चुकी है। उसके बाद न जाने कितनी सड़कों का निर्माण हो चुका है और न जाने कितने पुल बनाएं गए हैं। वर्षों से किसानों की जमीन सिंचाई विभाग के पास रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितम्बर, 2017 को एक आर्डर पास किया था। अध्यक्ष महोदय, 27 सितम्बर, 2017 को मंत्रिमंडल की बैठक में इस नहर को बनाने के बजाए इसको डि–नोटिफाई कर दिया गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो 22 सितम्बर, 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला चण्डीगढ़ प्रशासन के कैंववाला गांव की जमीन के बारे में आया था, उस जमीन को चण्डीगढ़ प्रशासन डि–नोटिफाई करना चाहता था, जबकि उस जमीन को अधिग्रहण किए हुए 10 साल से अधिक का समय हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्डर में कहा है कि जिस जमीन को अधिग्रहण किए हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो जाए, उस जमीन को आप डि–नोटिफाई नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह जो जमीन दादूपुर नलवी नहर के लिए एक्वायर की गई थी, उस जमीन को डि–नोटिफाई करना ही गलत था। अध्यक्ष महोदय, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कितनी दफा ऐसे इशूज को लेकर कितने ही फैसले आ चुके हैं कि जो जमीन जिस काम के लिए ले ली जाए, उस जमीन को डि–नोटिफाई नहीं किया जा सकता है और वह जमीन जिस काम के लिए ली गई है, उसे भी बदला नहीं जा सकता है। इसके साथ–साथ यह जो 27 सितम्बर, 2017 को सरकार के द्वारा जिस तरह से यह फैसला लिया गया और उस फैसले में जो कहा गया, वह बहुत ही चौंकाने वाली बात थी और बात यह थी कि सरकार के द्वारा किसानों की जमीन डि–नोटिफाई कर दी गई है, उसके साथ–साथ यह भी कह दिया गया कि सरकार उस जमीन को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ किसानों को वापिस देगी। उस किसान

को उस जमीन की एन्हान्समैंट देने के बजाए उसको डि–नोटिफाई करके उन किसानों को यह कहा गया कि आपसे 15 प्रतिशत और ज्यादा ब्याज लेंगे और जब आप लोगों को इस जमीन को वापस करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि बेचारा किसान जमीन खुद देने नहीं आया था, उसकी जमीन अधिग्रहण की गई थी और उसके बदले उसको पैसा दे दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, बेचारे किसानों ने उस पैसे को कहीं दूसरी चीजों पर खर्च कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में जो किसान की हालत है, जिस तरह से किसान आज ठगा हुआ है, जिस तरह से आज किसान की दयनीय हालत है, उसे हम देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज किसानों को उसकी उपज का पूरा भाव नहीं मिल रहा है और अगर उसकी फसल किसी कारणवश खराब हो जाती है तो उसको पूरा मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार उन किसानों से कहती है कि हम आपसे 15 प्रतिशत ज्यादा ब्याज लेंगे। मुख्यमंत्री जी, 15 प्रतिशत ब्याज ज्यादा लेने के बजाए उस नहर का निर्माण करवाएं ताकि किसान की 1 लाख 14 हजार एकड़ जमीन सिंचित हो जाए और रेणुका डैम बनने के बाद उन किसानों को 12 महीने वहां पानी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, उन्हें उस निर्णय को बदलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, मैं उस कमेटी के बारे में यहां पर जिक्र करना चाहूंगा और मैं जिक्र इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि इस सदन में बैठे हुए हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उस कमेटी के कौन–कौन सदस्य थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह बताना चाहूंगा कि जिन सदस्यों ने इसके लिए रिपोर्ट तैयार करके कैबिनेट को भेजने का काम किया था। यहां पर बहुत से ऐसे साथी हैं, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि इस कमेटी के 3 सदस्य बनाए गए थे, जिनमें श्री ए.के. गुप्ता, इंजीनियर इन चीफ को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया था, जो रिटायर्ड हो गए थे। अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी के रिटायर्ड होने के बाद उन्हें फिर से दोबारा सरकार ने सिंचाई विभाग में सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया और मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि इन्होंने ही सरकार की मनचाही रिपोर्ट बनाई थी। अध्यक्ष महोदय, यह जो पंचकूला में डैम बना हुआ है, जिसको हम कौशल्या डैम कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस डैम की जब विजिलैंस के द्वारा

इन्क्वायरी की गई तो इसी व्यक्ति को इसके अंदर दोषी पाया गया और आपकी सरकार ने इसे चार्जशीट भी किया। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को दोषी पाया गया था, उसी व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आप इस कमेटी के सदस्य बनकर और इस कमेटी के हेड होकर आप हमें बताएं कि यह नहर बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि वह नहर बननी बिल्कुल चाहिए थी और सरकार ने नहर नहीं बनाने के लिए इस कमेटी का गठन कर दिया और इस नहर को दोबारा से डि–नोटिफाई कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं उस कमेटी के जो दूसरे सदस्य थे, उनके बारे में बताना चाहूंगा उनका नाम श्री राजीव बंसल, चीफ–इंजीनियर है, वह भी रिटायर हो चुके हैं। उनके रिटायर्ड होने के बाद सरकार ने यह सोचा कि कैसे उस व्यक्ति को दोबारा से एडजस्ट किया जाए, क्योंकि उसने ही सरकार की मनचाही रिपोर्ट बनाई थी। इसलिए सरकार ने उन्हें दोबारा से 'काडा' में चीफ–इंजीनियर के पद पर लगा दिया। ये जो दो मैम्बर्स थे इनसे सरकार ने किस तरह से सारी की सारी रिपोर्ट तैयार करवाई । इन्होंने जो सरकार को रिपोर्ट दी सरकार ने उस रिपोर्ट के आधार पर किसान से बिना पूछे और आने वाले समय में इसके बुरे परिणामों को ध्यान में रखे बिना कि किसानों को इस नहर के न बनने से कितनी बड़ी परेशानी होगी सिर्फ कैग की रिपोर्ट का जिक्र कर दिया। सरकार द्वारा सिर्फ कैग की रिपोर्ट का बहाना बनाकर इस नहर के लिए अधिगृहीत की गई जमीन को डि–नोटिफाई करने का फैसला कर दिया। सर, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कैग की ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी तक सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कैग की ऐसी कोई एक रिपोर्ट नहीं है जिसके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है बल्कि कैग की ऐसी सैंकड़ों रिपोर्ट्स पैंडिंग हैं जिनके ऊपर अभी कार्यवाही होनी है। मैं आपको इसी प्रकार की कैग की एक रिपोर्ट का उदाहरण देना चाहता हूं। कैग ने सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दी है जो पिछली सरकार के अंदर वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन का एम.डी. था। वेयरहाऊस के ऊपर की जो सीट होती हैं उनको बदलना था। वे सारी की सारी सीट्स एक ब्लैकलिस्टिड कम्पनी से ली गई जो कि अण्डर साईज़ थी जिनको लगवा दिया गया। इस मामले में सरकार की तरफ से एक आदेश जारी हो गया कि इस मामले की सी.बी.आई. से जांच करवाई जाये लेकिन इस मामले की सी.बी.आई. इंक्वॉयरी करवाने के बजाये उस

अधिकारी को बचाने के लिए यह कह दिया गया कि इस मामले में कैग की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाये कि कैग इस मामले में क्या कहता है? कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कह दिया कि यह जो सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इसके अंदर बड़ा घपला हुआ है इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए अर्थात इस मामले की सी.बी.आई. से इंक्वॉयरी करवाई जाये। अब भी उस अधिकारी को बचाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। यह मामला पी. यू.सी. में आया था। मैं भी इस कमेटी का सदस्य हूं। यह कमेटी आपके द्वारा ही बनाई गई है। इस कमेटी की यह जिम्मेदारी लगाई कि आपके पास जो ऑडिट पैरा आता है आप उसके ऊपर फैसला करें। हम तो उस ऑडिट पैरे पर फैसला करना चाहते हैं। यह बड़ी हैरानी की बात है कि एक अधिकारी के पास कमेटी की तरफ से यह नोटिस जाता है कि आप कमेटी के सामने उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना जवाब दें। इस पर वह अधिकारी कमेटी के पास केवल एक लाईन की चिट्ठी लिखकर भेज देता है और कहता है कि उसके पास कमेटी के सामने उपस्थित होने का समय नहीं है क्योंकि उसकी ड्यूटी सरकार द्वारा किसी दूसरी जगह पर लगाई हुई है। इस कारण से मैं कमेटी के सामने उपस्थित नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो यह कमेटी बनाई गई है क्या वह कमेटी केवल मात्र एक फॉरमैलिटी है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जो इस कमेटी के माननीय सदस्य हैं क्या वे उस अधिकारी के आने का इंतज़ार करेंगे कि वह अधिकारी कब आयेगा और कब अपना जवाब देगा? एक–दो बार नहीं बल्कि तीन बार ऐसा हुआ है और तीन बार ऐसा होने के बाद मैंने कमेटी के चेयरमैन को यह रिकवैस्ट की कि वे इस बारे में आपके साथ–साथ चीफ सैक्रेटरी को भी लिखकर भेजें कि किस तरह से एक अधिकारी पहले गलत काम करता है और जब उसको कमेटी में बुलाकर पूछा जाता है तो कमेटी के आदेशों को भी इग्नोर करके बचने का काम करता है। इस पूरे मामले में दोषी अधिकारी को बार–बार बचाने की कोशिश की गई है यह भी जांच का विषय है। अगर कमेटी के माननीय सदस्यों के सामने भी इस प्रकार की समस्या आज की तारीख में है तो फिर आप यह मानकर चलें कि हरियाणा प्रदेश के हर आदमी को कहीं पर भी न्याय नहीं मिल सकता है। स्पीकर सर, जो मैं आपको बता रहा था कि कैग की रिपोर्ट का बहाना बनाकर इस मामले को ठण्ड़े बस्ते में नहीं डाला जा सकता। यह मामला प्रदेश के किसानों के हित से जुडा हुआ है। जहां तक कैग की रिपोर्ट की बात है या तो

सरकार द्वारा कैग के सारे के सारे इश्यूज़ को उठाया जाये और उनके ऊपर फैसला किया जाये। इसके साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाये कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार ही आपकी सरकार चलेगी कि जो कैग की रिपोर्ट में होगा उसी के अनुसार ही सरकार को चलाया जायेगा या फिर जिस प्रकार से कैग की रिपोर्ट का इसमें बहाना लिया गया है इसको भी एक साईड में रखकर किसान की कैसे भलाई हो और किसान को कैसे पानी मिले अर्थात किसान को इस नहर सिंचाई योजना से कैसे पानी मिल सके इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में पुनः विचार करना चाहिए ताकि उस किसान को पानी मिल सके। मैं केवल उस किसान के पानी की चिंता नहीं कर रहा हूं बल्कि इसके साथ ही साथ मैं यह कह रहा हूं कि इस नहर में से जो मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी को कहां और किसके द्वारा बेचा गया इसके लिए भी सरकार को जांच करवानी चाहिए। इसका मतलब तो यह हुआ कि इस नहर की खुदाई का काम हुआ है। आप यह मानते हैं कि यह नहर बन रही थी और उस नहर को आगे भी बनना चाहिए था। जो लोग आज यहां पर आकर यह कहते हैं कि उनको किसानों की बड़ी चिंता है इन्होंने वहां पर जाकर उनके साथ में बैठकर बड़ी फोटोज़ खिंचवाई थी। सभी ने उस समय यह कहा था कि हम किसान के साथ हैं और हम किसान के साथ और किसान के लिए पता नहीं क्या कर देंगे। इनमें से एक ऐसा सदस्य भी है जिसने पंजाब के इलैक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी का जो मैनीफैस्टो आया था जिसमें सबसे ऊपर यह लिखा गया था कि पंजाब का एक बूंद पानी किसी भी दूसरी स्टेट को नहीं दिया जायेगा। कल जब उस माननीय सदस्य ने यहां पर आकर यह बात कही तो उस समय आपको उसको यह बात याद दिलानी चाहिए थी और उस व्यक्ति के खिलाफ यहां पर एक निंदा प्रस्ताव लेकर आना चाहिए था कि इस व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। यहां पर उस व्यक्ति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाकर उस व्यक्ति को प्रदेश का गद्दार घोषित करना चाहिए। ये हमारे प्रदेश के गद्दार है। मैं केवल इस नहर की मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए अब आप वाईंड–अप करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि इस नहर के अलावा भी हमारे प्रदेश में दो

से तीन जगह ऐसी हैं जिनकी मिट्टी की चोरी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री उनकी भी जांच करवायेंगे? इनके अंदर खास करके जो कौशल्या नदी पर बनाया गया बांध है। इसके अंदर भी मिट्टी की चोरी हुई है। ऐसे ही हमारे सिरसा जिले में ओटू–वियर के अंदर से भी पता नहीं कितने हज़ारों ट्रक मिट्टी निकाल कर बेच दी गई है जिसका आज तक कोई अता–पता नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं एक नई चीज़ आपके` संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सरकार ने किस तरह से कौशल्या डैम को केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया क्योंकि इस डैम में सिर्फ इतना ही पानी इक्ट्ठा होता है जिससे पूरे पंचकूला में मुश्किल से पूरे एक वर्ष तक पीने का पानी ही मिल सकता है और आज की मौजूदा सरकार ने इस डैम के ऊपर चार हाईड्रो पॉवर प्रोजैक्ट मंजूर कर दिये हैं। ये सिर्फ सबसिडी खाने के लिए ही मंजूर किये गये हैं। जहां पर पीने के लिए ही पानी नहीं है वहां पर हाईड्रो पॉवर प्रोजैक्ट कैसे कामयाब होंगे। आज तक जिस किसी से भी इसके बारे में पूछा गया है उन्होंने इसको वॉयेबल नहीं बताया है। इस काम के लिए जिन इंजीनियर्स की ड्यूटी लगाई गई थी उन्होंने भी यही कहा है कि यह प्रोजैक्ट वॉयबल नहीं है। उन्होंने भी यही कहा कि यह किसी भी सूरत में नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा पॉसीबल ही नहीं है। इतना सब होने के बावजूद भी इस तरह का एक फैसला ले लिया गया। इसी प्रकार से सरकार के स्तर पर सरस्वती नदी के लिए भी बहुत सारी चर्चाएं की गई। यहां पर बहुत बार यह कहा गया कि इस नदी में हम पानी लेकर के आयेंगे लेकिन आज तक भी उस नदी के बारे में यह भी पता नहीं है कि वह नदी कहां से आई है और कहां पर जायेगी। स्पीकर सर, लास्ट में मैं आपका एक मिनट लेकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आज इस प्रदेश की सरकार की ऐसी हालत है जैसे कि एक गुरू जी ने अपने शिष्य से पूछा कि क्या तेरे को लिखना आता है? इस पर शिष्य ने कहा कि उसको लिखना नहीं आता। इसके बाद गुरूजी ने दूसरा सवाल किया कि क्या तेरे को मिटाना आता है? इस पर शिष्य ने जवाब दिया कि हां, उसे दोनों हाथों से मिटाना आता है। यह सरकार तो लगातार इस प्रदेश को दोनों हाथों से मिटाने में लगी हुई है। आज की सरकार के पास इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर कहता हूं कि वे इस दादूपुर नलवी नहर के ऊपर पुनर्विचार करें और अगर वे विचार नहीं करेंगे तो फिर उनको इसका बहुत

बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। स्पीकर सर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, यह मेरे जिले से सम्बंधित मामला है इसलिए मुझे भी इस विषय पर बोलने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र सिंह जी, आपकी पार्टी के नेता अभी बोल चुके हैं। पहले आप डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी को बोल लेने दें। मैं उसके बाद आपको इस विषय पर बोलने के लिए पर्याप्त समय दे दूंगा इसलिए अभी आप कृपया करके बैठ जायें। डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी, अब आप इस विषय के बारे में अपने विचार रखें। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी बात रखें जिससे दूसरे सदस्यों को भी इस बारे में अपनी विचार रखने के लिए समय मिल सके।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के 11 विधायकों ने एक काम रोको प्रस्ताव दिया था।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, काम रोको प्रस्ताव सदन का एक गम्भीर प्रावधान होता है। कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यों ने यह काम रोको प्रस्ताव रखा है। इस बारे में दोनों पार्टियों के मान्यवर सदस्यों से मेरा इतना ही निवेदन है कि वे इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब सुन कर ही जायें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के 11 विधायकों ने जो काम रोको प्रस्ताव दिया था उसकी प्रति सदन के पटल पर नहीं रखी गई है। जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से रखे गये काम रोको प्रस्ताव की प्रति सदन के पटल पर रखी गई है उसी प्रकार से हमारे स्थगन प्रस्ताव की प्रति भी सदन के पटल पर रखी जाये ताकि सभी को पता चल सके कि हमने क्या मांग रखी है।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, उसको तो स्वीकार किया गया है इसलिए उसकी प्रति सदन के पटल पर रखी गई है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, प्रति तो हमारे स्थगन प्रस्ताव की भी पटल पर रखी जानी चाहिए ताकि पता चल सके कि हमने सरकार से क्या मांग की है।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप अपना विषय रखिये।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है मैं संक्षेप में अपनी बात कह देना चाहता था लेकिन मुझे बीच में टोका–टाकी करके उलझा दिया। जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि क्या कैग के फैसले पर तथा उसके आधार पर ही सरकारें चलती हैं, मैं भी अपने आपको उससे जोड़ता हूं। आपने मुझे भी हरियाणा विधान सभा की पी.यू.सी. समिति का सदस्य बना रखा है। उस समिति में यह बात आई थी कि एक अधिकारी को बचाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त व्यूह रचना रची जा रही है। कभी उस अधिकारी को समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होने दिया जा रहा है और कभी कोई दूसरा बहाना बना दिया जाता है। मेरी आपके माध्यम से यह निवेदन है कि 30 अक्तूबर को वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी जिनको बुला रखा है वे पी.यू.सी. के सामने उपस्थित हों क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लैप्स है। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई)** उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं दादूपुर नलवी नहर के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जब यह मोशन मूव हुआ तो उसमें यह बात आई कि एक प्रोजैक्ट जरूरत के आधार पर कंसीव हुआ। जरूरत यह आन पड़ी थी कि हजारों किसान, तकरीबन 200–225 गांवों के किसान और लगभग 2 लाख हैक्टेयर जमीन के लिए पानी नहीं था। पीने के लिए पानी नहीं था और न ही फसलों के लिए पानी था। ट्यूबवैल 300–400 फीट पर लगता है। किसानों की जमीन की सिंचाई और रिचार्जिंग के लिए, किसानों की समस्या के मद्देनजर सिंचाई विभाग ने इसका नोटिस लिया कि यह बहुत गम्भीर मामला है अगर यह प्लान एग्जिक्यूट नहीं हुआ तो प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उपाध्यक्ष महोदया, आपको तो पता ही है कि आज न तो किसानों को बिजली मिलती है, न पानी मिलता है और न ही उनको उनकी फसलों का उचित भाव मिलता है। आपके इलाके में बाजरा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और आज के दिन आप देख ही रही हैं कि आज मंडियों में किसान की मेहनत से उगाई गई बाजरे की फसल का क्या हाल हो रहा है। आज किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : उपाध्यक्ष महोदया, डॉ. कादियान दादूपुर नलवी नहर के बारे में ही बोलें। मैं सदन के सामने 19 जुलाई, 2007 के दैनिक ट्रिब्यून की खबर दिखाना चाहता हूं उस समय ये सत्ता में थे और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, जिसमें लिखा हुआ है कि "दादूपुर नलवी नहर पर किसानों ने उठाई अंगुली" । उस समय ये सत्ता में थे तो इनको किसानों की बात सुननी चाहिए थी, आज ये किसानों की बात करते हैं। न इन्होंने दादूपुर देखा न नलवी देखी और न कलसाना देखा न कलसानी देखी। आज ये दादूपुर नलवी नहर की बात करते हैं। ये 4 गांवों में घूम कर देखें इनको हकीकत का पता चल जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः बेदी जी, आप बैठिये।

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Deputy Speaker Madam, kindly bring the House in order.

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : कादियान साहब, हमने वह जनरल प्रस्ताव न पढ़ने के लिये श्री अभय सिंह जी को भी निवेदन किया था कि आप जनरल प्रस्ताव न पढ़ें । आप केवल दादूपुर नलवी नहर की बात करें । उनकी तरह आप भी उस जनरल प्रस्ताव को पढ़ रहे थे । आप इतने पढ़े लिखे व समझदार आदमी होकर भी जनरल प्रस्ताव पढ़ रहे हैं । आप इस जनरल प्रस्ताव को पढ़ना छोड़ दो क्योंकि अब बहुत हो गया यह जनरल प्रस्ताव । आप फैक्ट पर आईये ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : उपाध्यक्ष महोदया, डॉ0 कादियान जी से पूछिये कि जो बलवान सिंह ठेकेदार रोहतक वाले ने वहां के किसानों के खेतों से मिट्टी उठवा ली थी उसका इनको कुछ अता पता है कि नहीं । वहां के सारे किसान रो रहे थे ।

उपाध्यक्ष महोदयाः कादियान साहब, कोई नया विषय हो तो आप उस पर बोलिये ।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : मैडम डिप्टी स्पीकर, सारा ही नया विषय है । आपने मुझे बोलने का समय दिया है । (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर महोदया, आप पता नहीं किन कारणों से मुझ पर शंका जाहिर कर रही हैं । जैसे माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि आप इतने पढ़े लिखे आदमी है तो मैं कहता हूं कि मंत्री जी से ज्यादा इंटेलीजैंट कोई नहीं है । आप तो मोटा झोटा कर दो, पतला झोटा कर

दो, बड़ा झोटा कर दो, झोटा रैली कर दो, जमावड़ा कर दो । जमावड़ा किसी चीज का कोई है नहीं । बस वैसे ही मामले उठाए फिर रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : डॉ0 साहब, आप उन जमावड़ों से क्यों दुःखी हो रहे हो।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : डिप्टी स्पीकर महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम रोको प्रस्ताव आया है । इसमें एक तो हम आपका और स्पीकर साहब का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस काम रोको प्रस्ताव को मंजूर किया और इस पर आपने डिस्कशन करवाई । इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की बड़ी भारी दुरगति हो रही है और खास कर उस इलाके में जो स्पीकर साहब का इलाका है । वहां जगाधरी में किसान 65 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं । आप ये बताईये कि इस तरह से 65 दिन तक कौन धरने पर बैठता है । लोग मारे–मारे फिर रहे है लोग अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर बैठे हैं । इसमें मेरा सबमिशन यह है कि ... . (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि श्रीमती किरण चौधरी जी परसों शाहबाद में जहां पर किसान धरने पर बैठे थे वहां पर गई थी उनसे एक घण्टा पहले श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वहां पर गये थे । चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यमुनानगर में धरना दिया । श्री अशोक तंवर जी ने भी यमुनानगर के अन्दर धरना दिया इनकी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन पूरे हरियाणा के अन्दर टिकटार्थी सहित 300 आदमी भी इक्ट्ठे नहीं हुए और माननीय सदस्य बात किसान की कर रहे हैं । मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां पर कोई भी किसान धरने पर नहीं बैठा हुआ है । किसान तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करके कल लड्डू बांट कर गये हैं ।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : डिप्टी स्पीकर महोदया, माननीय मंत्री जी धरने पर बैठे लोगों की बात करते हैं उस संबंध में मैं एक छोटी सी बात सदन को बताना चाहता हूं कि एक आदमी ने कर्जा लेना था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : डिप्टी स्पीकर महोदया, कांग्रेस पार्टी के शासन काल के समय में वहां का किसान 10 साल तक रो रहा था आज माननीय सदस्य बहाने बाजी बना रहे हैं । यह सदन का समय वेस्ट कर रहे हैं जिसको पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा मीडिया देख रहा है । यह गैर जिम्मेवार लोग हैं । इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है । यह कल भी सदन से वॉक आउट करके गये थे आज फिर ये

वॉक आउट करके जाएंगे । दादूपुर नलवी नहर का तलसाना, तंगोर–तंगोरी, मामू माजरा, झड़ोली गांव कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देखा हो तो मैं भी आज राजनीति से संयास ले लूंगा । चाहे एक आदमी मेरे साथ मोटर साईकिल पर बैठकर तंगोर चला जाए । ये गैर जिम्मेवार लोग हैं । ये दादूपुर नलवी नहर के बारे में कोई कुछ जानते ही नहीं । ये सिर्फ किसानों के खेतों की मिट्टी बेचकर खा गये । ये अब अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : प्लीज, आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी बार–बार गैर जिम्मेवार लोग कह रहे हैं । हम इनसे ज्यादा बार जीत कर आए हुए हैं और इनसे ज्यादा वोटों से जीत कर आए हुए हैं । आने वाले समय में भी मुकाबला करके देख लेना यह गांव में घुसकर देख लें । हम सभी लोग जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं और लोकतंत्र में हर चुने हुए व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है । (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, ये जो नकली मंत्री बार–बार जो भी कुछ बोल रहे हैं उसके लिये ये पूरे सदन से माफी मांगे । हम सभी लोग चुन कर आए हैं । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : मैडम, आपका समय खराब हो रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : उपाध्यक्ष महोदया, माफी तो इन लोगों ने मांगनी चाहिए । इन्होंने किसानों की जो हालत की है और जिन हालात के ऊपर इन्होंने किसानों को छोड़ दिया है जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : उपाध्यक्ष महोदया, माफी तो इन कांग्रेस के लोगों को हरियाणा के किसानों से मांगनी चाहिए। जो हालत इन कांग्रेस के लोगों ने किसानों की, की है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। इन्होंने किसानों को असहाय बनाकर छोड़ दिया था। उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी। उन्हें मंडियों में जाकर अनाज लाना पड़ गया था। (शोर एवं व्यवधान) इन लोगों ने जो हालत किसानों की थी उसके लिए इन्हें किसानों से माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, हम तीन–तीन बार जनता द्वारा चुनकर इस सदन में भेजे गए हैं जो इस बात को सिद्ध करता है कि जनता हमारे पक्ष में

है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, इन लोगों ने लोगों के घरों को जलवाने का काम किया है, किसान को मरवाने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) अगर कोई आवाज उठाता है तो उस आवाज को दबाने का काम यह सरकार कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से गीता जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रदेश की जनता इनसे खुश है तो फिर रोहतक में इनके सीनियर लीडर पर जूता क्यों फेंका गया? (शोर एवं व्यवधान) अगर जनता इन लोगों से खुश है तो झज्जर में इन लोगों को देखकर लोगों ने दरवाजे क्यों बंद कर लिए? (शोर एवं व्यवधान) लोगों के घर किसने जलवाये? (शोर एवं व्यवधान) झज्जर में तो लोगों ने हाथ जोड़े थे कि हुड्डा साहब आप चले जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: गीता जी, काम रोको प्रस्ताव दादूपुर–नलवी नहर परियोजना के उपर दिया गया है अतः आप इस विषय पर चर्चा करें।(शोर एवं व्यवधान) गीता जी प्लीज आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: गीता जी, आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: उपाध्यक्ष महोदय, हमें हमारी बात कहने का मौका तो मिलना चाहिए?(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: गीता जी, प्लीज आप बैठिए।(शोर एवं व्यवधान) हां जी, कादियान जी क्या आपकी बात पूरी हो गई है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो बात शुरू ही नहीं कर पाया हूं। आपके सामने कभी भी कोई भी सदस्य इधर से बोलने लग जाता है तो कभी उधर से बोलने लग जाता है तो ऐसी हालत में मैं बात कैसे पूरी कर सकता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: कादियान जी, आप दादूपुर–नलवी नहर के विषय पर तो बात नहीं कर रहे हैं और दूसरे विषय पर बात करने लग जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, आप कमाल की बात कर रही है। आप तो हमारी पुरानी साथी हैं व हमारी बहन हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपको पुरानी बातें भी याद रखनी चाहिए और मुझे बोलने के लिए समय देना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर): उपाध्यक्ष महोदया, गीता भुक्कल जी कह रही हैं कि सरकार ने लोगों के घरों को जलाया तो उस संदर्भ में मैं इस महान सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि करौथा में रामपाल के आश्रम में इनकी सरकार ने बहुत बुरी तरह से आर्य समाजियों को पिटवाया था। (शोर एवं व्यवधान) संत समाज के सचेतक आचार्य बलदेव जी को भी इन लोगों ने पिटवाया था। (शोर एवं व्यवधान) आज यह हमारे उपर आरोप लगा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने (डॉ. रघुवीर सिंह कादियान की ओर इशारा करते हुए) इनका पूरे हरियाणा प्रदेश को जलाने में सबसे बड़ा योगदान है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, सरकार के मंत्री सदन में खड़े होकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग सत्ता पक्ष के मंत्री द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मंत्री हैं लेकिन गलत बयानबाजी करे, ऐसा इनको कोई अधिकार नहीं है?(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः गीता जी, आप प्लीज बैठिए और कादियान जी आप अपनी बात पूरी करें?(शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): उपाध्यक्ष महोदया, प्रदेश को जलाने का काम इन्हीं लोगों ने किया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, सरकार के मंत्रियों को गलत बयानबाजी के लिए माफी मांगनी चाहिए?(शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी बार–बार उठकर बोल रहे हैं यह शायद इसलिए हो रहा है कि क्योंकि यह घरवाली का रंगीन कुर्ता पहनकर आये हैं। (हंसी) (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः कादियान जी, अब आप अपनी बात रखिए।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, अपनी बात रखने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक बार एक किसान मजबूरी में था और वह कर्जा लेने के लिए बैंक में गया और साथ में नम्बरदार को भी ले गया। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः कादियान जी, आपको दादूपुर–नलवी नहर के उपर बात करनी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात एक बार पूरी हो लेने दो उसके बाद में इसी विषय पर आउंगा। (शोर एवं व्यवधान) तो बैंक का मैनेजर नम्बरदार से कहने लगा कि नम्बदार बता कि क्या इस किसान को लोन की जरूरत है। नम्बरदार बोला कि सर इसको लोन की क्या जरूरत इसके घर तो मारूती गाड़ी खड़ी है। (शोर एवं व्यवधान) किसान ने गांव में जाकर नम्बरदार की खूब सेवा पानी की और अगले महीने वह किसान एक बार फिर से नम्बरदार को लेकर बैंक में गया और मैनेजर ने फिर वही प्रश्न किया तो उसके उत्तर में नम्बरदार ने उसको लोन लेने के काबिल बताया तो मैनेजर ने पूछा कि भाई पिछले महीने तो आप कुछ और बता रहे थे और इस महीने कुछ अलग बयान कर रहे हो तो नम्बरदार बोला कि साहब जितना एक महीने में इस किसान का नाश होता देखा है उतना मैंने किसी का नहीं देखा। (शोर एवं व्यवधान) उसी प्रकार जितना नाश इस सरकार का हमने पिछले तीन साल में होते हुए देखा है इतना कभी नहीं देखा। (शोर एवं व्यवधान) सारी दुनिया इस सरकार को कोस रही है।(शोर एवं व्यवधान) व्यापारी, कर्मचारी, किसान तथा मजदूर हर वर्ग इस सरकार से दुखी हो चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): उपाध्यक्ष महोदया, कादियान जी को दादूपुर–नलवी नहर विषय पर भी बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) यह इस विषय पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान) इन लोगों की वजह से किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ। (शोर एवं व्यवधान) वास्तव में हमको सत्ता में देखकर कांग्रेसी बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हैं।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, मैं धनखड़ साहब को इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूँ और मैं इनके ही हल्के से चुनाव लड़कर दिखाउंगा। अगर धनखड़ साहब मेरे बराबर अपनी जमानत बचा लेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: उपाध्यक्ष महोदया, इन लोगों का राज हुआ करता था और मैं इन लोगों के सामने ही जीतकर आया था। (शोर एवं व्यवधान) यह क्या जमानत बचाने की बात करते हैं, अगर अब मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आओ, मैं तैयार हूँ। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, इन लोगों के राज में सब कुछ इनके हाथ में था मैं तो उस समय चुनाव जीतकर आया था। (शोर एवं व्यवधान) यह रघुवीर कादियान उस समय मौजूद था जब मैं चुनाव जीतकर आया था। (शोर एवं व्यवधान) जब चुनाव हुए थे तब मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ सकता था तब कहां गया था। (शोर एवं व्यवधान) अगर अब चुनाव लड़ना चाहता है तो अब भी मैं तैयार हूँ। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, दादूपुर–नलवी नहर के विषय पर चर्चा हो रही है इनको दादूपुर–नलवी नहर परियोजना पर बात करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी): उपाध्यक्ष महोदया, यह बड़ी अजीब बात लगती है कि कादियान साहब किसान हित की बात कर रहे हैं?(शोर एवं व्यवधान)

डॉ रघुवीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदया, इन लोगों ने तो प्रदेश को जला कर रख दिया था।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवर: उपाध्यक्ष महोदया, प्रदेश को किसने जलाया यह सबको पता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक प्रदेश को जलाने की बात है इन्होंने जलाया है(डॉ. रघुवीर सिंह कादियान की ओर इशारे करते हुए)। सबको पता है, इसने रोहतक को जलाया है। इसने ही झज्जर जलाई है। कैप्टन अभिमन्यु और श्रीमती गीता भुक्कल भी जानती है कि उनका घर किसने जलाया है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, गीता भुक्कल के साथ ही उसके घर जलाने वाले बैठे हैं। (शोर एवं व्यवधान) हर कोई इस बात को जानता है। (शोर एवं व्यवधान) गीता भुक्कल को भी पता है कि इसका घर किसने जलाया है। गीता जी के सीट के सामने बैठे हुए इस आदमी ने ही गीता जी का घर जलाया है (डॉ. रघुवीर सिंह कादियान की ओर इशारे करते हुए)। एक एक आदमी को पता है। सबको पता है किसने जलाया है। (डॉ. रघुवीर सिंह कादियान की ओर इशारे करते हुए) जलाने वाली बात तो तुम्हारे ही खाते में है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं अलग विषय पर आ रहा हूँ। यह लोग किसान हितैषी बता रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः अब जो भी बोला जा रहा है यह रिकॉर्ड न किया जाये।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया,* * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया,* * * * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया,* * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : उपाध्यक्ष महोदया, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य अपने आपको किसान–हितैषी बता रहे हैं जबकि इन्होंने सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति की है । इन्होंने भूना कॉआपरेटिव शुगर मिल लगाई लेकिन उसे बेच दिया और ये अपने आपको किसान–हितैषी कहते हैं । इन्होंने पन्नीवाला–मोटा शुगर मिल लगाई और उसे भी बेच दिया । इसके बावजूद ये अपने आपको किसानों का मसीहा कहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जब ये शुगर मिल्स लगा दी गई तो फिर इन्हें बंद क्यों किया गया ? आज इस प्रश्न का उत्तर हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद के लोग इनसे जानना चाहते हैं । इन्होंने ऐसा करके वहां के किसानों के साथ एक मजाक किया था ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, दादूपुर–नलवी नहर उत्तर हरियाणा के लिए जीवन–रेखा है और यह नहर वंहा के किसानों के लिए जिन्दगी और मौत का सवाल है । (विघ्न) यह नहर उस इलाके की लाइफलाइन है और उनके लिए जीवन–मरण का प्रश्न है लेकिन इस सरकार ने उसको डिनोटिफाई कर दिया । जब माननीय मुख्य मंत्री जी अपना जवाब दें तो हमें बतायें कि क्या आजादी के बाद 70 साल के हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में कोई एक भी उदाहरण है जिसमें किसानों से किसी प्रोजैक्ट के लिए जमीन ली गई हो और जब वह प्रोजैक्ट

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

अपने कम्पलीशन की तरफ बढ़ रहा हो तो उसको डिनोटिफाई कर दिया गया हो । (विघ्न)

श्री श्याम सिंह राणा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य डॉ. कादियान साहब से पूछना चाहता कि क्या पूरे हिन्दुस्तान में एक भी ऐसा उदाहरण है जिसमें कोई नहर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ खोदी गई हो । यहां पर इस समय माननीय सदस्य हुड्डा साहब भी बैठे हुए हैं । (विघ्न)

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Deputy Speaker Madam, kindly bring the House in order.

उपाध्यक्ष महोदया : कादियान साहब, आपको जिस विषय पर बोलने के लिए समय दिया गया है आप उस पर बोलना ही नहीं चाहते । आप अपनी बात 2 मिनट में कन्कलूड कीजिए ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात को कन्कलूड कर रहा हूं । मैं यही कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने जवाब में बतायें कि 32 साल से एक किसान हितैषी प्रोजैक्ट अपने कम्पलीशन की तरफ जा रहा था, उसके लिए किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका था लेकिन सरकार ने उसको डिनोटिफाई कर दिया । अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को जमीन का और अधिक मुआवजा देने का ऑर्डर कर दिया था तो सरकार को किसानों के साथ नैगोसियेशन करनी चाहिए थी । सरकार तर्क दे सकती थी कि उस जमीन की मार्केट वैल्यू इतनी है और उसे बीच का रास्ता निकालने के लिए किसानों के साथ नैगोसियेशन करनी चाहिए थी । इस प्रोजैक्ट से जिन किसानों को फायदा होने वाला था और जिनकी लैण्ड की एक्विजीशन की गई थी उनके लिए खुशी का रास्ता निकाला जाना चाहिए था लेकिन सरकार के नहर के डिनोटिफाई करने के फैसले ने उनको बर्बाद कर दिया । वे किसान सरकार के इस फैसले से उजड़ गये हैं । अब उन किसानों के पास रोजी–रोटी और रोजगार का कोई साधन नहीं है । उपाध्यक्ष महोदया, आप भी किसान की बेटी हैं, आप भी सूखाग्रस्त इलाके से आती हैं, आपने भी पानी की प्रोबलम फेस की है,..... (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मेरी सबमिशन यह है कि इसमें कोई हठधर्मिता की बात नहीं है और न ही कोई दूसरी बात है कि सरकार ने जो फैसला कर लिया है उसको दोबारा से विचार करके पलटा न जा सके बल्कि यह उन किसानों की लाइफलाइन है, इसलिए उनकी बहबूदी का रास्ता और उनकी खुशहाली का रास्ता

तलाशा जा सकता है । उपाध्यक्ष महोदया, मेरी सबमिशन आपके माध्यम से यह है कि जो इस नहर को डिनोटिफाई करने का ऑर्डर है उसको वापिस लिया जाये।

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, दादूपुर नलवी नहर परियोजना के बारे में नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भी अपनी–अपनी बातें सदन में रखी हैं। इस नहर को बनाने में सभी पार्टियों का हिस्सा रहा है। वर्ष 1987 में स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। शाहाबाद से हरनाम सिंह जी कामरेड सी.पी.आई. पार्टी से विधायक हुआ करते थे, उनकी मांग थी कि वॉटर लेवल काफी नीचे चला गया है। उस वॉटर लेवल को उपर उठाने के लिए चौधरी बंसी लाल जी ने अगैमेंटेशन कैनाल बनाई जो यमुनानगर से लेकर के मधुबन के साथ–साथ मुनक तक गई थी। जिससे वॉटर लेवल उपर आ गया था। इस तरह की नहर समय–समय पर बनती है और बंद होती है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 1996 में हरियाणा विकास पार्टी व भाजपा की सरकार थी और चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे। उस समय भी चौधरी बंसी लाल जी ने यह बात कही थी कि यह नहर बननी चाहिए। वर्ष 1997 में रादौर के किसानों ने प्रदर्शन किया था कि अगैमेंटेशन कैनाल के उपर जो टयूबवैल लगे हुए हैं वे बंद होने चाहिए। आज हमें इस बात में नहीं जाना चाहिए कि नहर किसने बनाई और किसने नहर के काम को बिगाड़ा। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे दो सुझाव हैं एक तो वहां की जमीन का जो वॉटर लेवल नीचे जायेगा उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी सरकार ने फैसला किया है कि बिना ब्याज किसानों को जमीन वापिस करेंगे लेकिन जो सड़कें बनी हैं, पुल बनें हैं और वॉटर कैनाल के लिए चैनल का निर्माण हो चुका है उनके लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? यह भी सदन को बताने की कृपा करें। जिन लोगों को पानी दिया गया है और जो चैनल उपर से क्रॉस हुई हैं उनके लिए पानी की क्या व्यवस्था करेंगे ? तीनों पार्टियों के सदस्य अपनी–अपनी पार्टियों का गुणगान कर रहे हैं लेकिन मैं साधारण किसान का बेटा अकेला ही किसान और प्रदेश के हित के लिए लड़ रहा हूँ। (विघ्न) तीन पार्टियां सत्ता में रही लेकिन किसी भी पार्टी ने इस इशू को नहीं उठाया। (विघ्न) मैं किसी भी सरकार में नहीं था। (विघ्न) जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने नहर बनवाई। (विघ्न) मैं भी तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों को हराकर विधान सभा में पहुँचा हूँ। इसका यह मतलब नहीं

है कि केवल वोट की राजनीति के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मैं अपने दम पर विधान सभा का चुनाव जीत कर आया हूँ। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूँ। (विघ्न) मैंने तो हविपा, इनैलो और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दी तो कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी थी। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे साथ पब्लिक है और जिसके साथ पब्लिक होती है उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदयाः जयप्रकाश जी, आप अपनी बात को कन्टिन्यू करें।

श्री जय प्रकाशः उपाध्यक्ष महोदया, मैं ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया था (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, अगर हरियाणा प्रदेश का मतदाता जय प्रकाश के साथ है तो हमारे माननीय सदस्यों को क्यों तकलीफ हो रही है ? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : मैं आप सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग शांत हो जाएं और इस सदन में भी शांति बनाए रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन में एक बात कहना चाहती हूं। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदयाः जय प्रकाश जी, आप अपनी बात को कन्टिन्यू करें।

श्री जय प्रकाशः कविता जी, कृपया आप बैठ जाएं। उपाध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही अहम मुद्दा है और इसे हंसी–मजाक में न लिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान) आज हरियाणा विधान सभा में महिलाओं का अपमान किया गया है। हमारे माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने महिलाओं का अपमान किया है, इसलिए इन्हें हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को बताना चाहूंगा कि ये बार–बार खड़ी हो जाती हैं और मुझे अपनी बात मुख्यमंत्री जी को बताने नहीं दे रही हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी को बताना चाहूंगा कि हमारे हल्के में ट्यूबवैलज फिर से खराब हो गये हैं, ये इस पर जवाब दें। (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदया : जय प्रकाश जी, आप अपनी बात 2 मिनट में कंक्लूड करें।

श्री जय प्रकाशः उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन में यह कहना चाहूंगा कि इसे राजनीतिक मुदद्ा न बनाया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो किसान इस नहर को बंद कराना चाहते हैं, ये उनकी लिस्ट इस सदन में रखें, जिससे हमें भी पता चल सके कि वे कौन–से लोग हैं जो इस नहर को बंद कराना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आज लोगों को धरने पर बैठे हुए 65 दिन हो गए हैं, उपाध्यक्ष महोदया बिना किसी आवश्यकता के कोई व्यक्ति धरने पर नहीं बैठता है। उपाध्यक्ष महोदया, यह हमारे मुख्यमंत्री जी कि जिम्मेवारी थी कि वे उन लोगों को समझाते कि आखिर उन्होंने यह नहर क्यों बंद की है और आखिर कौन–सी आवश्यकता उन लोगों को पड़ गई थी कि उन्हें इस नहर को बंद करना पड़ा। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, किसान किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 पवन सैनीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि वे सारे किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं, वे सारे–के–सारे सैटिंग से बैठे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी बातों को सुना जाए और उनको ऊपर उठाने के लिए एक व्यवस्था की जाए और उन्हें समझाने के लिए कोई तरीका अपनाया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि अगर इनकी कैबिनेट का फैसला सही है तो इनके कैबिनेट मिनिस्टर या दूसरे सदस्य धरने पर बैठे हुए किसानों को समझाए और वे किसान समझ जाते हैं तो हम इनके साथ हैं और अगर वे आंदोलन करेंगे तब हम किसान का साथ देंगे।

उपाध्यक्ष महोदयाः किरण चौधरी जी, आप शुरू करें।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, हमने आज दादूपुर नलवी नहर के ऊपर जो काम रोको प्रस्ताव यहां सदन में दिया है, यहां पर उसके ऊपर बहुत सारी बातों की चर्चा हुई। उपाध्यक्ष महोदया, मैं लम्बी बात करना नहीं चाहती हूं, लेकिन एक बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि यह जो 304 करोड़ रुपया इस नहर के ऊपर लगा है, जोकि पब्लिक मनी है, इस तरह से यह पूरा–का–पूरा पैसा वेस्ट हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इसकी

13:00 बजे

भरपाई कैसे होगी ? दूसरी बात मैं यह बताना चाहती हूं कि जब सरकार ने 1985–1986 में इस स्कीम के बारे में सोचा था तो केवल इसलिए सोचा था कि इस एरिया का नीचे का जल स्तर रिचार्ज होगा और इस नहर के जरिए जो तीन जिले हैं– यमुनानगर, अम्बाला और कुरूक्षेत्र इनको सिंचित किया जाएगा और सरप्लस पानी को वहां से दूसरी जगह भेजा जाएगा। आज केवल और केवल इसलिए की कैग ने रिपोर्ट दी है और कैग से ज्यादा मैं समझती हूं कि जो कोर्ट ने फैसला दिया कि वहां की जमीन के रेट बढ़ाये हैं और बढ़े हुए रेट के हिसाब से सरकार को किसानों को और पैसे देने पड़ रहे हैं उसके कारण सरकार इस नहर को डि–नोटिफाई कर रही है, यह सरकार का अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत पैसे से, बहुत ओवर पीरियड लॉन्ग टाईम से यह नहर बनाई गई है और उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह बताना चाहूंगी कि सरकार आती हैं और सरकार जाती हैं लेकिन जो भी सरकार मौजूदा होती है वह कोशिश करती है कि जो भी जनहित के इस तरह के कल्याण के काम होते हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। मंत्री जी कह रहे थे कि मैं शाहबाद गई थी जहां पर किसान धरने पर बैठे हुए थे और ये मानें या न मानें पर धरने पर बैठे किसानों ने यह कहा था कि उनका पूरा एरिया डार्क जोन में आ गया है और डार्क जोन में आने के कारण उन्हें ट्यूबवैल खोदने की इजाजत भी नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) मैं डार्क जोन की बात कर रही हूं और मैं वह बात यहां बोल रही हूं जो किसान कह रहे थे । किसानों ने जो बात कही है वह बात मैं यहां रखूंगी या नहीं रखूंगी । (विघ्न)सत्तापक्ष के साथी कमाल कर रहे हैं । वह ऐसा एरिया है जहां पर इस नहर के जरिये सरप्लस पानी निकाला जा सकता था और दूसरी डिस्ट्रीब्यूट्रीज के साथ जोड़कर उस एरिया का वाटर टेबल उपर लाया जा सकता था । आज उस नहर को खत्म किया जा रहा है और ओवर ए पीरियड आफ टाईम जो कार्य नहर पर हुए हैं वे सारे के सारे कार्य बर्बाद जायेंगे । 1985–86 में यह बात आई थी कि उस एरिया के वाटर टेबल को रिचार्ज करना है और उस नहर को बनाने का निर्णय लिया गया था । आज जैसा जय प्रकाश जी ने कहा कि सरकार ने ऐसे कौन से प्रोग्राम बनाये हैं जिनके जरिये इस नहर को खत्म करने के बाद उस एरिया का वाटर टेबल रिचार्ज किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदया, कल मैं टी.वी. पर देख रही थी जो किसान मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने आये थे उनमें से एक किसान से टी.वी. पत्रकार ने पूछा तो उसने बताया कि यह नहर बाढ़ के पानी को नियंत्रण करने का काम करती थी ।

यदि वहां पर बाढ़ का पानी रह जायेगा तो वहां सेम की समस्या पैदा हो जायेगी जिससे आने वाले समय में किसानों को बहुत दिक्कतें होंगी । बाढ़ के पानी से किसानों की फसल बर्बाद होंगी । (विघ्न) वह एरिया डार्क जोन के अंदर आ गया है और इस नहर को खत्म किया जा रहा है । इस नहर को खत्म करने से पहले वहां पर वाटर लैवल उपर लाने के लिए सरकार को कोई नये प्रोग्राम बनाने चाहिए थे । उपाध्यक्ष महोदया, इसी के साथ–साथ मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगी कि वहां पर नहर के लिए जमीन एक्वायर किए हुए 6 साल से ज्यादा समय हो गया है और 6 साल के बाद डि–नोटिफिकेशन करनी है तो सैक्शन 101 कहता है कि उसके लिए राष्ट्रपति जी से स्वीकृति लेनी होती है । क्या सरकार ने डि–नोटिफिकेशन करने से पहले राष्ट्रपति जी से स्वीकृति ली है ? इसी के साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह जो शाहबाद फीडर से 590 क्यूसिक सरप्लस वाटर यमुनानगर से लोकल रीवर में रैगूलेट करना था वह भी नहीं किया गया । यदि आज पानी उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए भी कोई दूसरी योजना बनानी चाहिए थी । उपाध्यक्ष महोदया, मैं सरकार को चेताना चाहूंगी कि नहर बड़ी मुश्किल से बनती है । मुख्यमंत्री जी लोहारू हल्के में गये थे और लोगों की मांग पर इन्होंने वहां पर नहरों की सफाई करवाकर अंतिम छोर तक एक महीने तक पानी पहुंचवाया । मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि वे नहरें 50 साल पहले चौधरी बंसी लाल जी ने बनवाई थी । वह पानी अंतिम छोर तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि वहां पर नहर बनी हुई थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, बहन किरण चौधरी जी यह कहना चाहती हैं कि क्या लोहारू हल्के की नहरों में सरकार पानी नहीं डलवाये ?

उपाध्यक्ष महोदया : किरण जी, वहां पर नहरे खुदी हुई थी । हमारे एरिया में भी अंतिम छोर तक पानी पहुंचा है और गांव के जोहड़ो में पहली बार पानी पहुंचा है।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, ये मेरी बात तो सुन नहीं रहे हैं । इनको बोलना चाहिए कि एस.वाई.एल. नहर का निर्माण होना चाहिए । उसके न बनने से हमारी धरती पीसाई मर रही है । लेकिन ये कुछ बोलते ही नहीं हैं । मेरा कहने का मतलब यह है कि चौधरी बंसी लाल जी ने नहर बनवाई हुई थी उसी के जरिये सरकार पानी पहुंचाने में कामयाब रही । (विघ्न)

श्री अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदया, जे.एल.एन. फीडर भी चौधरी बंसी लाल जी ने ही बनवाया था लेकिन पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में जे.एल. एन. फीडर का मर्डर करके दस जगह काटकर आउट लेट दे दिये गये। इतिहास में पहले कभी किसी फीडर को काटकर ऐसे आउटलेट नहीं दिए गए । किरण चौधरी जी उस समय मंत्री थी लेकिन इन्होंने कोई आब्जैक्शन नहीं किया।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, हमेशा समय के अनुसार कार्यवाही होती है । उस समय जो काम था उसी के मुताबिक कार्यवाही हुई है । (विघ्न) यह इनकी गलत बात है । उपाध्यक्ष महोदया, मेरे कहने का मकसद केवल यही है कि जो बनी बनाई नहर है उस पर सरकार आगे कोई नई योजना बनाती जिससे वहां के जो 200–250 गांव हैं उनके किसानों को फायदा पहुंचता । यह नहर बहुत पुराने समय से बन रही थी और इस पर करीबन 304 करोड़ रुपये का खर्चा आया था । अब सरकार ने इसमें अधिग्रहण की हुई जमीन का केवल और केवल इसलिए डिनोटिफिकेशन कर दिया कि जमीन की इनहांस्ड कोस्ट देनी होगी । क्या सरकार ने डिनोटिफिकेशन करने से पहले राष्ट्रपति जी से स्वीकृति ली है ? इस बारे में सरकार अपना जवाब दे । (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, एस.वाई.एल. नहर न बनने के कारण पानी के जिस तरह के हालात दक्षिणी हरियाणा में हैं इसी तरह के हालात आने वाले समय में दादूपुर नलवी नहर के एरिया में भी हो जायेंगे । पानी न मिलने के कारण इस एरिया के किसानों की आंखों में भी आंसू निकलेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री श्याम सिंह राणा : उपाध्यक्ष महोदया, दादूपुर नलवी नहर के बारे में पूरी जानकारी हमारे एरिया के लोगों और नेताओं को है । जिस समय यह नहर बननी थी उस समय भी शाहबाद में एजीटेशन हुए थे । उस समय कुछ लोग इस नहर को बनवाने के लिए एजीटेशन कर रहे थे और कुछ लोग न बनवाने के लिए एजीटेशन कर रहे थे । उस समय कई दिनों तक इस नहर को बनने और न बनने देने के लिए एजीटेशन चलते रहे । आज भी उसी तरह से दोनों बातें हैं । दस साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में रही लेकिन 10 मीटर काम भी इस नहर पर नहीं हुआ । इन्होंने अपने समय में एक इंच नहर भी नहीं बनवाई । (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने इस पर अपने दस साल के कार्यकाल में कोई पैसा नहीं लगवाया । कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि वाटर रिचार्ज करने के लिए यह नहर खोदी गई । वहां पर वाटर रिचार्ज के लिए चेतांग नाला और साक्षी आदि नदियां

हैं। इनमें आने वाले पानी से जमीन रिचार्ज होती है । ऐसा नहीं है कि वहां पर रिचार्ज के दूसरे साधन नहीं हैं । जिस समय यह नहर खोदनी थी उस समय भी लोग दो मत थे और एजीटेशन हुए । अब जब इसको रूकवाने की बात है तब भी लोग दो मत हैं । जिस समय यह नहर बननी थी उस समय इसको रूकवाने की बात इसलिए चली क्योंकि जहां से यह नहर निकलनी थी वहां नेताओं के खेत आ रहे थे इसलिए इसका नक्शा बदल दिया गया ।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, क्या माननीय सदस्य राणा जी स्थगन प्रस्ताव पर ही बोल रहे हैं ?

श्री श्याम सिंह राणा : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों को इस नहर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है मैं वही दे रहा हूं ।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): उपाध्यक्ष महोदया, मेरे अन्दर अहंकार नहीं है इसलिए मैं यहां पर आ गया तथा इस अहंकार ने कुछ लोगों को उधर पहुंचा दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, धनखड़ साहब में तो अहंकार बहुत ज्यादा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय साथी जगबीर सिंह मलिक को कहना चाहता हूं कि अहंकार ने ही आपको वहां पर पहुंचा दिया है और लोकतंत्र में जनता अहंकार ही खत्म करती है और ज्यादा अहंकार करके ये कहां पर जायेंगे? हमारे अन्दर अहंकार नहीं है अगर जनता आर्शीवाद देगी तो फिर आ जायेंगे, हमारे अन्दर कोई अहंकार नहीं है। इनको अहंकार नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, आपकी पार्टी के विधायक आपके सामने ही बैठे–बैठे हमारी पार्टी के नेता के खिलाफ रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं आप इसको रोकिये। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः गीता जी, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय रखा गया था अभी मुख्यमंत्री जी को जवाब भी देना है इसलिए आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव में हम अन्य विधायक भी हस्ताक्षरी हैं और हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। हमें भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः संधू जी, आपकी पार्टी के नेता श्री अभय सिंह चौटाला इस प्रस्ताव पर 1 घंटा 24 मिनट बोल लिये हैं इसलिए अब आपको और समय देना सम्भव नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः उपाध्यक्ष महोदया, वे तो नेता प्रतिपक्ष के नाते बोले हैं। हस्ताक्षरी होने के नाते हमें भी बोलने का मौका दिया जाये। हम भी बताना चाहते हैं कि हरियाणा में डार्क जोन क्यों बने तथा सरकार को इसके लिए क्या–क्या करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि भले ही आप 2–2 मिनट का समय दें लेकिन हमें बोलने के लिए समय अवश्य दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, इस स्थगन प्रस्ताव में हम भी हस्ताक्षरी हैं इसलिए हमें भी बोलने का समय दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः इस समय मेरे पास बोलने वालों की लिस्ट में 3 नाम हैं। एक तो करण सिंह दलाल और दूसरे सरदार जसविन्द्र सिंह संधू और श्री परमिन्द्र सिंह ढुल। आप सभी 2–2 मिनट में अपनी बात सदन के सामने रखें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, हम एस.वाई.एल. नहर की बात नहीं करेंगे । हम दादूपुर नलवी नहर की बात करेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः आप दादूपुर नलवी नहर के बारे में जो मुख्य–मुख्य प्वायंट हैं उनके बारे में अपनी बात रखें ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, हमें बोलने का समय तो दे दीजिये । हमारी भी मुख्य बात है हमें यह तो बताना पड़ेगा कि हमारा एरिया डार्कजोन क्यों हुआ और इसे करने वाले कौन लोग थे और उसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : आपको समय दे दिया है लेकिन पहले मंत्री जी खड़े हुए हैं वह अपनी बात रखेंगे ।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आज जिस विषय पर चर्चा सदन में की गई है और उसके जितने पक्षों ने अपनी बात रखी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, क्या जवाब मंत्री जी दे रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान) Madam, Shri Om Prakash Dhankar is speaking on the Adjournment Motion. (Interruption) If Shri Om Prakash Dhankar wants to speak on the Adjournment Motion then he should resign from the Ministry and sit on the opposition benches.

उपाध्यक्ष महोदया: नहीं, मंत्री जी तो सरकार की तरफ से बोल रहे हैं जवाब तो मुख्यमंत्री जी ही देंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आज माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सवाल खड़े किये हैं और उसमें से एक पूरा चित्र सदन के सामने आया है । उस चित्र का एक पक्ष यह है कि इस प्रोजैक्ट पर 300 करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च हुआ है । (शोर एवं व्यवधान) मैं जवाब नहीं दे रहा हूं । एक छोटी सी बात बता रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी जवाब नहीं दे सकते । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : जवाब तो मुख्यमंत्री जी ही देंगे । मंत्री जी को तो एक–दो प्वायंट पर बोलना है इसलिये खड़े हुए हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : दलाल साहब, मैं तो जो भी बोलूंगा वह जवाब तो होगा ही होगा । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : मंत्री जी एडजोर्नमैंट मोशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं । यह तो अपनी बात कर रहे हैं । यह तो सरकार की तरफ से एक–दो बात कह रहे हैं । जवाब तो मुख्यमंत्री महोदय ही देंगे ।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः नहीं–नहीं मंत्री जी डिस्कशन नहीं करेंगे । वह तो सरकार की तरफ से दो प्वायंट रख रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, यह जो मसला है इसमें तीन सरकारों की भूमिका रही है । बल्कि उससे पुरानी बात भी है । इसमें मेरे सामने जो बैंचों पर इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य बैठे हैं वह भी शामिल थे । दस साल तक कांग्रेस के सदस्य भी इस मसले में शामिल थे और तीन साल की हिस्सेदारी हमारी सरकार की भी है । यह सवाल अभी खड़ा हो गया है ऐसा नहीं है । इसलिये मैंने अपनी बात यहां से शुरू की थी कि सवाल केवल इस तरफ ही नहीं है सवाल उस तरफ भी है । इसलिये ही मैं अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ था । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी की हिस्सेदारी वर्ष 1996 से वर्ष 1999 तक और वर्ष 2000 से 2011 तक की हिस्सेदारी है । (शोर एवं व्यवधान) He is misleading the House. (Interruption)

उपाध्यक्ष महोदया : करण जी, आपको भी बुलाएंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मैंने सवाल खड़ा करने के लिये ही आंकड़ा दिया था कि इस प्रोजैक्ट पर 303 करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च हुआ है । इसके लिये 1019 एकड़ जमीन एकवायर हुई और 32 साल में इस नहर से मैक्सीमम 357 एकड़ जमीन की सिंचाई की है । यह प्रोजैक्ट एक अच्छी कल्पना के साथ बनाया था और उस समय से काफी बातें सोची गई थी जिसमें रिचार्जिंग का मुद्दा भी जायज था । इसमें अच्छी बातें सोची गई थी । जब एस.वाई.एल. नहर का पानी मिलेगा तो यमुना नदी का अतिरिक्त पानी उस समय हम यहां से ले जाएंगे । यह बात भी सोची गई थी लेकिन हुआ क्या जो झण्डा लेकर चले थे वह झण्डा कांग्रेस की सरकार के समय में उड़ा दिया गया । वह जो 22 डिस्ट्रीव्यूटरी माईनर बननी थी जब वह झण्डा उड़ गया तो वह डंडा–डंडा हाथ में रह गया और वह डंडा भी भारी होता चला गया और अब वह एनवायेबल हो गया था । इसलिये हम इस रास्ते पर आगे बढ़े कि वह झण्डा उड़ाने का और वह 22 डिस्ट्रीव्यूटरी माईनर नहीं बनाने का पाप किसने किया ? उस समय के जो फैसले हुए और जिस रास्ते पर यह चले वह थे आते–आते यानि एक हजार एकड़ से ज्यादा की बजाए 357 एकड़ जमीन की ही सिंचाई कर पाए। उपाध्यक्ष महोदया, कितनी अजीब बात

है कि जिस दादूपुर–नलवी नहर परियोजना के लिए 190.67 एकड़ भूमि एक्वॉयर की गई हो और 303.54 करोड़ रूपया खर्च किया गया हुआ हो और उस परियोजना से 32 साल की अवधि में महज 357 एकड़ जमीन ही सिंचित हो? यह परियोजना जो फेल हुई है इसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है जो सदन में बार–बार उठकर बड़ी–बड़ी बातें कर रहे हैं। वास्तव में यह सवाल कि यह दादूपुर–नलवी नहर परियोजना क्यों फेल हुई इसके बारे में इन हमदर्दों से ही पूछा जाना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, सवाल वहां पूछा जाता है जहां से जवाब आने की संभावना होती है? (शोर एवं व्यवधान) यह लोग हमसे दादूपुर–नलवी नहर परियोजना के बारे में सवाल पूछ रहे हैं जबकि वास्तव में इसका असली जवाब तो इन्हीं लोगों के पास है।(शोर एवं व्यवधान) एक बार इन लोगों को अपने अंदर झांककर देखना चाहिए कि इन लोगों ने इस प्रोजैक्ट का क्या हाल किया था? (शोर एवं व्यवधान) इस प्रोजैक्ट में रिचार्जिंग करने संबंधी कई अच्छी बातें भी थी लेकिन इस प्रोजैक्ट को अनवॉयबल बनाने का जो श्रेय जाता है वह केवल और केवल इन्हीं लोगों (कांग्रेस) को जाता है। (शोर एवं व्यवधान) इस परियोजना को अव्यवहारिक करने तथा वर्तमान में जो स्थिति आकर खड़ी हुई है, इसके लिए केवल और केवल यही लोग जिम्मेदार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः करण सिंह दलाल जी, अब आप अपनी बात रखिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, हमारी पार्टी काम रोको प्रस्ताव लेकर आई है और हम उसमें प्रथम हस्ताक्षरी भी हैं। आपने कांग्रेस के दो सदस्यों को इस विषय पर पहले से ही बुलवा दिया है। रूल के हिसाब से प्रथम हस्ताक्षरी होने की वजह से चेयर की तरफ से सबसे पहले हमारी पार्टी के हस्ताक्षरियों को चर्चा करने के लिए समय दिया जाना चाहिए था। मैं यह नहीं कहता कि ज्यादा लंबा समय दिया जाये। चाहे एक–एक सदस्य को दो मिनट का ही समय क्यों न दिया जाये लेकिन बोलने का समय सबसे पहले हमारी पार्टी के हस्ताक्षरियों को ही दिया जाना चाहिए। यह लोग (कांग्रेस) तो केवल लीपापोती करने आये हैं इसलिए आपसे आग्रह है कि आप करण सिंह दलाल को बिठाये और पहले हमारी पार्टी के हस्ताक्षरियों को बोलने का मौका दें। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः अभय जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि अब तक काम रोको प्रस्ताव पर लगभग दो घंटे चर्चा हो चुकी है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन में जो बात कह रहा हूँ वह रूल के हिसाब से ही कह रहा हूँ। आपको रूल के हिसाब से हमारी पार्टी द्वारा दिए गए काम रोको प्रस्ताव पर दर्ज हस्ताक्षरियों को बोलने का समय सबसे पहले देना चाहिए था और उसके बाद यदि किसी अन्य ने भी समान विषय पर कोई प्रस्ताव दिया हो, उनको बोलने का मौका देना था। अगर यह संभव नहीं था तो हमारे प्रस्ताव के संदर्भ में सरकार की तरफ से हमें सीधे तौर पर कोई जवाब प्राप्त हो जाना चाहिए था? (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह भी क्लीयर कर देना चाहूंगा कि जब चेयर की तरफ से संबंधित काम रोको प्रस्ताव को प्राप्त होने तथा स्वीकारने संबधी घोषणा हुई थी तो उस समय बाकायदा तौर पर हमारी पार्टी के सदस्यों के नाम सबसे पहले पढ़े गए थे जो इस बात की तसदीक करते हैं कि काम रोको प्रस्ताव सबसे पहले हमारी पार्टी द्वारा दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। अतः मुझे बोलने का मौका दिया जाये।(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः अभय जी, आप एक बार करण सिंह दलाल जी को अपनी बात रख लेने दे, उसके बाद आपको तथा आपकी पार्टी के सदस्यों को बोलने का मौका दिया जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ तो क्या आप हमारी पार्टी के सभी सदस्यों को बोलने का मौका देंगी? (शोर एवं व्यवधान) जिन लोगों की अभी सदन में पूरी संख्या भी नहीं है, उनके तीन सदस्यों को बुलवाया दिया गया। (शोर एवं व्यवधान) इन लोगों ने तो हमारे द्वारा दिए गए काम रोको प्रस्ताव के दस दिन बाद जाकर संबंधित विषय पर अपना प्रस्ताव लिखकर दिया था? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः अभय जी, अगर कांग्रेस पार्टी के तीन सदस्यों को बोलने का समय दिया गया है तो आपकी पार्टी के चार सदस्यों को बोलने का मौका दिया जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, आप हमारे सभी सदस्यों से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा करवाने की बात करो? (शोर एवं व्यवधान) इनके पल्ले धांस नही हैं और आप इनको बराबर बोलने का मौका दिए जा रही हो? (शोर एवं व्यवधान) इनको दादूपुर–नलवी नहर परियोजना के बारे में तो कुछ ज्ञान है नहीं और यह लोग तो कल सदन को छोड़कर भी भाग गए थे बावजूद इसके आप इनको बोलने की परमिशन दिए जा रही हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मेरी पार्टी के कुछ सदस्य पहली बार चुनकर इस महान सदन में आए हैं, अतः इनको बोलने का पहले मौका दिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) इनको कभी कभी तो बोलने का समय मिलता है और वह समय भी आप नहीं दे रही हो?(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः देखिये, काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए दो घंटे का समय निश्चित किया गया था जिसमें 1 घंटा 24 मिनट तो अभय सिंह जी आप अकेले बोले हैं?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, अगर मैं इतने लंबे समय तक बोल रहा था तो आपको मुझे बैठा देना चाहिए था? आपने मुझे क्यों बोलने दिया? (शोर एवं व्यवधान) आप हमारी पार्टी के सभी सदस्यों को बोलने का मौका दें?(शोर एवं व्यवधान) आप कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को बिठायें और हमारी पार्टी के जिन सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, उन सभी को बोलने का मौका दें? (शोर एवं व्यवधान) कांग्रेस के कितने ही सदस्य बोल चुके हैं। ऐसा लगता है कि आपने इनको खुली छूट दे रखी है? (शोर एवं व्यवधान) यह लोग वैल में आकर शोर मचाते हैं क्या केवल इसीलिए इनको बोलने का समय दिया जा रहा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः अभय जी, आप बैठिये। आपकी पार्टी के सदस्यों को बोलने का पूरा मौका दिया जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं किसी बात को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे है अतः उनके समक्ष यह जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हिन्दू आस्था में विश्वास करने वाली पार्टी है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः करण जी, विषय कुछ और चल रहा है तो ऐसे समय में आपने हिन्दू आस्था की बात करनी कैसे शुरू कर दी है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं विषय पर ही आ रहा हूँ। नहर के पाटने व कुंए को पाटने को हिन्दू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से बिल्कुल गलत बात माना गया है। इस तरह के कार्य को हिन्दू धर्म में एक तरह से गुनाह और पाप की संज्ञा दी जाती है। अब इस बात के साथ मैं दादूपुर–नलवी नहर परियोजना के विषय पर आता हूँ। मेरे पास एक एक्ट की कॉपी है जिसका शीर्षक है The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. मैं अब इस एक्ट के आधार पर दादूपुर–नलवी नहर परियोजना के विषय पर बात करूंगा और मेरा निवेदन है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना जवाब देंगे तो इस एक्ट के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे दें। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार की तरफ से दादूपुर–नलवी नहर परियोजना की जमीन को डिनोटिफाई करने का जो गैरकानूनी फैसला लिया गया है, यह फैसला मेरे द्वारा बताये गए एक्ट के कौन से सैक्शन में आता है। इसके अतिरिक्त जिस इलाके के लिए दादूपुर–नलवी नहर परियोजना का निमार्ण हुआ था, उसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में खुद कहा है कि जब यह स्कीम कंसीव की गई थी तो उस समय इसका मुख्य उद्देश्य बारिस के समय में यमुना नदी में आने वाले बेइंतहा पानी को दादूपुर–नलवी नहर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरिज के माध्यम से जमीन की रिचार्जिंग करने का मेन कंसैप्ट था जोकि एक बहुत ही अच्छा कंसैप्ट था। नासा ने हमारे देश को वार्निंग दी है कि उत्तर भारत में आने वाले 10–20 सालों में धरती के नीचे का पानी खत्म हो जाएगा। अगर यह सरकार वाटर रिचार्जिंग के लिए कोई स्कीम लाये तो उसमें तो कोई बात है । आज भाई अभय सिंह भी एक बात कह रहे थे कि इन्होंने लोगों को दिखाने के लिए सरस्वती नदी तैयार की और न जाने उस पर कितने पैसे खराब किये । उस समय हमें भी अच्छा लगा कि हरियाणा में नदियां खोदी जा रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदया, सरस्वती नदी को तो छोड़ो इस सरकार ने तो दादूपुर–नलवी नहर को ही डिनोटिफाई कर दिया । (विघ्न) यह नहर उस क्षेत्र के निवासियों को खुशी दे सकती थी लेकिन इसको बंद कर दिया गया । यह कोई अच्छी स्कीम नहीं है । अब मैं उन एक्ट्स पर आता हूं जिनके तहत किसी नहर को डिनोटिफाई किया जा सकता है । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : करण सिंह जी, आप अपने प्वायंट्स को जल्दी खत्म कीजिए ।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपने प्वायंट्स को जल्दी ही खत्म कर दूंगा । मैं अब ज्यादा लम्बी बात नहीं कर रहा हूं । Return of unutilised land के बारे में Section 101 में लिखा है कि

> "101. When any land acquired under this Act remains unutilised for a period of five years from the date of taking over the possession, the same shall be returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank of the appropriate Government by reversion in the manner as may be prescribed by the apprporiate Government."

उपाध्यक्ष महोदया, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार यह बात कैसे साबित कर पाएगी कि यह जमीन अनयुटिलाइज्ड है ? इस जमीन पर पुल बने हुए हैं, इस जमीन पर सड़कें बनी हुई हैं । इस प्रकार इस जमीन का इस्तेमाल हो चुका है । मेरा कहना है कि यह जमीन सैक्शन 101 के अंडर फॉल नहीं करेगी क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा है कि इस सैक्शन के तहत केवल वही जमीन डिनोटिफाई की जा सकती है जो अनयुटिलाइज्ड हो । यह जमीन युटिलाइज्ड है । इस बात को सरकार ने खुद माना है कि इस जमीन पर काम हो चुका है और काफी पैसा लग चुका है । इसके अतिरिक्त इस सैक्शन के तहत यह जमीन इसके ओरिजनल ऑनर को वापस लौटाई जा सकती है । उपाध्यक्ष महोदया, यह बात ध्यान देने योग्य है कि अब इस जमीन के ओरिजनल ऑनर किसान नहीं बल्कि हमारा इरिगेशन डिपार्टमैंट है क्योंकि किसान इस जमीन का मुआवजा ले चुके हैं । यह बात ठीक है उस जमीन का ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किसानों को ज्यादा मुआवजा देने के लिए कहा था परंतु जब सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने

सरकार को डायरैक्शन देकर कहा था आप हाई कोर्ट में ही दोबारा से रिव्यू पेटिशन डालिये । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने हाई कोर्ट में रिव्यू पेटिशन डाली ? उपाध्यक्ष महोदया, सरकार ने हाई कोर्ट में रिव्यू पेटिशन नहीं डाली । इसके अतिरिक्त इस नहर को डिनोटिफाई करने संबंधी सरकार ने तर्क दिया कि इस पर कैग का ओब्जैक्शन लगा हुआ है । कैग के ऑब्जैक्शन पर हमारे देश का कानून कहता है कि यह मामला पी.ए.सी. के सामने जाएगा और यही इसका फैसला करेगी । उपाध्यक्ष महोदया, अगर सरकार इस जमीन को डिनोटिफाई करना भी चाहती है तो अंडर सैक्शन 109 सरकार को इसकी पोलिसी तय करनी पड़ेगी । मैं आपकी मार्फत माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब वे अपना जवाब दें तो बताये कि क्या उन्होंने इस जमीन को डिनोटिफाई करने के लिए कोई पोलिसी बनाने का फैसला किया है । इसके साथ–साथ अगर सरकार इस तरह का कोई कदम उठाना चाहती है तो उसके लिए रूल्ज फ्रेम करने पड़ते हैं । मेरे विचार से सरकार ने इसके लिए कोई रूल्ज भी फ्रेम नहीं किये हैं । हमारे देश में सरकारें संविधान के मार्फत चलती हैं । कल यहां पर कुछ किसान आये थे जिनका सरकार ने हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमैंट के कर्मचारियों द्वारा खान–पान का प्रबंध कराया, सरकार का पैसा इस तरह से खर्च करने के लिए नहीं होता लेकिन यह सरकार की अपनी मर्जी है । हमें इस बात पर आपत्ति सिर्फ इतनी है कि जब सारा विपक्ष नहर को डिनोटिफाई करने का विरोध कर रहा है तो सरकार ऐसे काम क्यों कर रही है । इसमें हमारी सबमिशन यह है कि इस मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी कोई जल्दबाजी न करें बल्कि इस सदन की सभी पार्टियों के सदस्यों की एक कमेटी बनाकर उसे वहां भेजें जहां पर नहर का काम पैंडिंग पड़ा हुआ है और वहां के किसानों की तथा एक्सर्ट की राय लें । इसके साथ–साथ लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग दे चुका है । मैं कहता हूं कि रूलिंग की बात तो बाद में आयेगी सबसे पहले तो हमारे देश का कानून ही सरकार को इस नहर को डिनोटिफाई करने की इजाजत नहीं देता । मेरे पास नहर को डिनोटिफाई करने से संबंधित रूल्ज के बारे में एक बुक अवेलेबल है । आप चाहे तो मैं इसे माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज देता हूं । इस जमीन को जिन हालात में एक्वायर किया गया और आज जिस हालत में यह जमीन पड़ी हुई

है उसके मुताबिक इसको डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता । मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि वे यह गुनाह न करें और इस नहर को कायम रहने दें। इसके अतिरिक्त जब बारिश के मौसम में वर्षा होती है तो यमुना नदी का लाखों क्युसिक पानी समुद्र में चला जाता है और वह पानी किसी काम नहीं आ पाता तो क्यों नहीं उस पानी को हरियाण की प्यासी धरती पर पहुँचा जाए। मैडम, मेरा आपसे यही निवेदन है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, हमने दादूपुर नलवी नहर परियोजना पर काम रोको प्रस्ताव दिया है क्योंकि सरकार ने इस परियोजना को डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया है। इस बारे में सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों ने सदन में अपने–अपने विचार रखे हैं। लेकिन किसानों का जो मुख्य मुद्दा मुआवजे का है उसे न देने के लिए सरकार तरह–तरह के बहाने बनाकर भाग रही है। इसमें चाहे वह कैग का बहाना बना लें। यह सरकार की पूरी तरह से नीयत पर निर्भर करता है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारा जो एरिया डार्क जोन हो चुका है, वह डार्क जोन न रहे और वहाँ पर पानी का लेवल उपर आए। इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है, यह बात भी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, मैं डार्क जोन के बारे में बताना चाहूँगा कि यह आखिर में डार्क जोन क्यों हुआ ? आज श्रीमती किरण चौधरी ने चौधरी बंसी लाल जी का नाम लिया है लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ । वर्ष 1972 में चौधरी बंसी लाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हमारे एरिया से जो नहर निकलती है उसे भाखड़ा ब्रांच कहते हैं लेकिन उसका असली नाम नरवाना ब्रांच है। चौधरी बंसी लाल जी उस नरवाना ब्रांच के दोनों तरफ बड़े–बड़े साईज के गहरे टयूबवैल लगवाकर और वहां का पानी को लिफ्ट करके नहर में डलवाकर अपने इलाके में ले गए। कुरूक्षेत्र और अम्बाला के किसान चौधरी बंसी लाल जी को आकर मिले और कहा कि यह हमारे इलाके के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, कृपया करके इन टयूबवैलस को न लगाया जाये। इस पर चौधरी बंसी लाल जी का कथन था कि हमें सदियां हो गई है बाजरा खाते हुए यदि आप लोग भी खा लोगे तो इसमें क्या दिक्कत है। उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 1991 के बाद जब–जब भी मैं हरियाणा विधान सभा का सदस्य बना, मैंने चौधरी बंसी लाल जी की सरकार में सदा इसका विरोध किया था। इनैलो पार्टी की सरकार के दौरान जब भी कोई टयूबवैल खराब हो जाता था तो उसको कभी दोबारा लगने नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदया, आज

चिंता इस बात की है कि जो नहर बनकर तैयार हो गई है और जिस पर सारा खर्चा हो चुका है तो किसानों को मुआवजा देने में क्या दिक्कत है ? इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार किसान विरोधी है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक–दो बातें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूँ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गुमराह किया जाता है। एन.एच.–65 के साथ किसानों की जमीन एक्वायर हुई थी तो कैथल के किसानों ने आंदोलन किया और उनकी मांगें मानकर ज्यादा मुआवजा दिया गया। पिहोवा के किसानों को कम मुआवजा दिया गया लेकिन अम्बाला के किसानों को ज्यादा मुआवजा दिया गया। इस तरह से किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय, यह अच्छी बात है कि सरकार ने पानी की बचत के लिए और बाढ़ से बचने के लिए प्रयास किया है। पिहोवा के गुमथला गढ़ी में जब सुक्ष्म सिंचाई परियोजना का उदघाटन करने आए तो उसमें जो पानी आता है वह संधौला माईनर से आता है। लेकिन मैं वहां का स्थानीय विधायक होने के नाते मुझे निमन्त्रण नहीं दिया गया। यदि मुझे वहां पर बुलाते तो शायद मैं वह काम नहीं होने देता । क्योंकि जिस सिंधौला माईनर से पानी को आना था वह सरस्वती कैनाल से ईंजनों के माध्यम से पानी को लिफ्ट करके उस परियोजना में डालकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उद्घाटन करवा दिया। जिसकी फोटो वगैरह अखबारों में भी आई थी। उपाध्यक्ष महोदया, अब यह टोटली बंद है। सबसे पहली बात तो यह है कि उस जगह को क्यों चुना गया। उपाध्यक्ष महोदया, वह जगह करण चट्ठा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिश्तेदार और कांग्रेस पार्टी के नेता की है। सरकार ने वहां पर करोड़ों रूपये फिजूलखर्ची में खर्च कर दिए जिससे किसी को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे वहां के बारे में पता करवाएं कि वहां के किसानों ने अपने खेतों में कितनी बार सिंचाई की है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : संधू जी, आप दादूपुर नलवी नहर के बारे में ही अपनी बात कहें।

सरदार जसविंद्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि सरकार चाहती है कि कुरूक्षेत्र का डार्क–जोन खत्म हो तो अभी जैसा कि मैडम बता रही थी, उसे क्लीयर करता हूं अगर वहां पर कुएं खोदने की बात करें तो आज कुएं खोदने की जरूरत नहीं है वहां पर सबमरसिब्ल बोरिंग लगाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदया, हमारे लिए इतनी दिक्कत आ गई है कि वहां पर ट्यूबवैल लगाने की इजाजत ही नहीं दी जा रही है और दूसरी ओर सरकार की तरफ से वहां पर नहर का पम्प बंद किया जा रहा है, इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस बारे में सरकार पुनर्विचार करें। दादूपुर नलवी नहर जो बनी हुई है, इसे बंद न करें। इस नहर से कुरूक्षेत्र और यमुनानगर जिले की धरती रिचार्ज होगी और उसका वाटर–लेवल ऊपर आयेगा, इसलिए उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करें और इस नहर को बंद न किया जाए और वहां के किसानों को पूरा–का–पूरा मुआवजा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयाः श्री परमिंदर सिंह ढूल जी, आप बोलें।

सरदार बख्शीश सिंह विर्कः उपाध्यक्ष महोदया, सरदार जसविंद्र सिंह संधू ने जो करण चट्ठा के बारे में जो जिक्र किया है वह मेरा भतीजा है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और श्री बख्शीश सिंह जी का दामाद भी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सरदार जसविंद्र सिंह संधू जी भी मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन सदन में रिश्तेदारियों के बारे में किसी भी माननीय सदस्य को बात नहीं करना चाहिए।

सरदार जसविंद्र सिंह संधू : बख्शीश जी, मैंने झूठ नहीं बोला है।

सरदार बख्शीश सिंह विर्कः उपाध्यक्ष महोदया, जहां पर ये प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, वे वहां पर लगे हुए हैं जहां पर ज्यादा जमीन वाले किसान हैं। जिन्होंने अपनी जमीन इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए फ्री में दी थी। ये प्रोजेक्ट हमारे जैसे किसानों के लिए तो नहीं लगे हैं। यह तो आपको पता ही है।

उपाध्यक्ष महोदयाः परमिंदर सिंह ढूल जी, आप कन्टिन्यू करें।

श्री परमेद्र सिंह ढूलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जो हरियाणा सरकार ने इस नहर को बंद करने का फैसला लिया है। इस नहर को बंद करने के फैसले से एक बात साबित हो चुकी है कि आज की जो वर्तमान सरकार है, वह किसान विरोधी सरकार है। उपाध्यक्ष महोदया, पीने का पानी देने के लिए और खेतों को पानी देने के लिए नहरें खोदी जाती हैं, खाले बनाए जाते हैं। यह नहर बरसात के पानी के लिए बनाई गई थी, जिस पर रेणुका डैम

बना हुआ है। रेणुका डैम बनने के बाद जो चैनल आज मौजूद है उनके माध्यम से इस पानी को कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदया, यह जो असंवैधानिक फैसला लिया गया है और जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि इस नहर को सैंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा 6 जुलाई, 2004 को मंजूरी मिल चुकी थी, उससे पहले सैंट्रल वाटर कमीशन उस नहर की मंजूरी नहीं दे रहा था। हरियाणा के अंदर पहले भी एक हांसी–बुटाना नहर बनी थी उसको भी कमीशन ने मंजूरी नहीं दी, थी उसका पैसा भी इसी तरह से वेस्ट हो गया था। इस नहर की मंजूरी देकर इस नहर का सदुपयोग किया जाना इस सारे इलाके के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन केवल इसलिए कि यह मुआवजा न देना पड़े सरकार ने यह एक किसान विरोधी फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री जी जब अपना जवाब दें तो वे हमें यह जरूर बताएं कि वे किस प्रकार अपने इस फैसले को संवैधानिक कैसे ठहराएंगे? माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई–कोर्ट का एक फैसला है जिसमें सिविल रिट नम्बर 2730 ऑफ 1980, पैटिशनर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इसी प्रकार दूसरी रिट नम्बर 6002 ऑफ 1976, जिसका फैसला दिनांक 05.05.1997 को हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का इसी प्रकार का एक और निर्णय है जिसकी सिविल रिट पैटिशन नम्बर 1418 ऑफ 1986 है और एस.एल.पी. का नम्बर 15971 ऑफ 1995, जिस पर दिनांक 27.02.1996 को फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट की इसी प्रकार रिट नम्बर 3628 ऑफ 1997 जिसका फैसला दिनांक 05.05.1997 को हुआ है। इन सभी फैसलों में यह कहा गया है कि जिस जमीन की 10 साल पहले फिजिकल पजैशन ले ली थी, उस जमीन को आप डि–नोटिफाई कर ही नहीं सकते। हरियाणा मंत्रिमंडल ने इस प्रकार का असंवैधानिक फैसला करके कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करके एक नई लिटीगेशन को भी इन्वाइट किया है और लॉ ऑफ लैंड का उल्लंघन भी किया है। मुख्यमंत्री जी, इस बारे में अपना जवाब जरूर दें कि आप इस प्रकार से बैठे–बिठाए जो वर्तमान कानून बने हैं, उनका आप उल्लंघन कैसे कर पा रहे हैं? इस नहर की लम्बाई लगभग 75 किलोमीटर की बन चुकी है, इसे बनने में कितने ही वर्ष लगे हैं। आप किसानों के मनसूबों के ऊपर पानी फेर रहे हैं। आप इसको कैसे साबित कर पाएंगे कि आप इस नहर को बंद करके एक अच्छा निर्णय कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का असंवैधानिक निर्णय है। अगर यह मामला कोर्ट में जाता है तो सरकार को अपने फैसले के बारे में अपना पक्ष साबित करना पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप दोबारा से विचार करके इस नहर को वर्तमान स्वरूप में

चालू करके हरियाणा के ऊपर कृपा करें। अपने इस फैसले से आपने जो किसान विरोधी होने का संकेत दिया है, उसे खत्म करें और उस नहर को दोबारा से बनवाएं।

श्री जाकिर हुसैन : मैडम डिप्टी स्पीकर, यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। मैं इस बारे में कही गई बातों को नहीं दोहराऊंगा बल्कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारा प्रजातंत्र है अर्थात हम वैलफेयर स्टेट हैं। इसमें पब्लिक की भलाई की सारी की सारी जिम्मेदारी राज्य और केन्द्र सरकार की होती है। जैसा कि यहां पर बार–बार जिक्र हुआ पिछले 25 साल से सभी पार्टियां चाहती थी कि यह दादूपुर–नलवी नहर बने। सभी पार्टियां इसको अच्छा मानती थी लेकिन आज एकदम से यह इतना बढ़िया प्रोजैक्ट जो पहले अमृत था आज विष क्यों हो गया है कि जिसे सरकार ने इसे उगल दिया? इसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए एनहांसमैंट के फैसले को लागू करने से बचने के लिए घुमा–फिराकर बैक–डोर से इस प्रोजैक्ट के लिए अधिगृहीत की गई जमीन को डि–नोटिफाई कर दिया। अगर यह बुरा प्रोजैक्ट होता तो भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी और हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल इसको बनाने की बात नहीं करती। इसको बनाने के लिए संघर्ष न करती और उसी समय इसको बुरा बता दिया गया होता। आज क्योंकि एनहांसमैंट की बात आई है जिस कारण इस प्रोजैक्ट को कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया गया। यह पहला किस्सा नहीं है। कुल मिलाकर कोई भी प्रोजैक्ट कैग की रिपोर्ट से प्रभावित नहीं होता है। कैग की रिपोर्ट को इस मामले में एक बहाना मात्र बनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको यह देता हूं कि हमारे मेवात में नूंह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वॉर्टर पर हुडा सैक्टर डिवैल्प करने के लिए जमीन नोटिफाई कर दी और उसका मुआवज़ा भी दे दिया। कम से कम 10–15 साल पहले किसानों से यह जमीन ले ली थी और अब उसमें भी एनहांसमैंट आ गई। जैसे ढुल साहब ने बताया वैसे ही मैं भी इस प्रकार की 50 जजमैंट्स बता सकता हूं जो कि हमारे नूंह के बारे में जजमैंट्स हैं। इसी प्रकार की और भी जजमैंट्स हैं। उन सभी में माननीय हाई कोर्ट ने एनहांसमैंट के ऑर्डर किये। जब सरकार दोबारा से माननीय हाई कोर्ट में गई तो माननीय हाई कोर्ट ने सरकार को वापिस भेज दिया कि जमीन वापिस नहीं होगी आपको मुआवज़ देना ही पड़ेगा। यह तो आज किसानों के हित

से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिस वजह से मुआवज़े की बात नहीं हो रही है और दादूपुर नलवी नहर की जमीन को इसीलिए डि–नोटिफाई किया गया है ताकि किसानों को एनहांसमैंट न देनी पड़े। सरकार यह बतायें कि अगर इस प्रकार से चलेगा तो न तो कहीं स्कूल बनेंगे, न हॉस्पिटल्ज़ बनेंगे और न ही कहीं नहरें बन पायेंगी। अगर ऐसा होता है तो फिर वैलफेयर स्टेट होने का क्या मतलब होगा? अगर ऐसा होता है तो फिर गवर्नमैंट के पास करने के लिए रह ही क्या जायेगा? उसके पास पुराने प्रोजैक्ट्स की मैंटीनैंस का ही काम रह जायेगा क्योंकि नया प्रोजैक्ट्स को तो शुरू किया ही नहीं जायेगा। अगर हम इस प्रकार के मामलों में भी पैसे का हिसाब–किताब लगाकर चलेंगे तो वह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि कोई नये प्रोजैक्ट तो चलेगा नहीं। जहां तक एनहांसमैंट का सम्बन्ध है सरकार को इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था जिस प्रकार से नूंह में किया। नूंह में सी.ए.जी. की रिपोर्ट कोई नहीं है इसलिए सी.ए.जी. की रिपोर्ट तो बहाना मात्र ही है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विषय किसानों से सम्बंधित है इसलिए इस मामले में एक्वॉयर की गई जमीन को डि–नोटिफाई किया जाता है जबकि यह मामला रिचार्जिंग से जुड़ा हुआ है। शहरों में कोठियों के जो भी नक्शे पास हो रहे हैं उनमें रिचार्जिंग का भी प्रॉविजन रखा गया है। कोठियों के मामले में तब कम्पलीशन सर्टीफिकेट इश्यू होता है जब कोठी के मालिक द्वारा रिचार्जिंग के लिए बोर लगवा लिया जाता है। यह किसानों के हित से जुड़ा हुआ मामला है। इससे पूरे प्रदेश के किसानों में बड़ी भारी बेचैनी है क्योंकि लगभग 10 से 12 दिन पहले गुरूग्राम में उद्योगपतियों की एक बैठक हुई थी वहां भी लगातार एनहांसमैंट्स आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी वहां पर उद्योगपतियों की समस्यायें सुनने गये थे और उस समय उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी एनहांसमैंट की बात रखी थी। जो मुझे सूचना मिली है मैं उसके अनुसार बता रहा हूं कि वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्योगपतियों को यह आश्वासन दिया गया कि आप एनहांसमैंट की चिंता न करें आपके ऊपर जो एनहांसमैंट का वज़न पड़ रहा है उसको हरियाणा सरकार वहन करेगी। उपाध्यक्ष महोदया, इस प्रकार देखें ये दो प्रकार के मामले हैं। अगर हम प्रदेश के किसान के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार करेंगे और अण्डर ग्राऊण्ड वॉटर की रिचार्जिंग नहीं होगी तो यह किसी के भी हित में नहीं होगा। इसलिए इस मामले में मेरी यह अपील है कि इस बात को देखते हुए दादूपुर–नलवी नहर के लिए एक्वॉयर की गई जमीन को डि–नोटिफाई

न किया जाये बल्कि इस नहर को जल्दी से जल्दी बनाकर कम्पलीट किया जाये क्योंकि हमें बनाना है बिगाड़ना नहीं है। इसी प्रकार से मैं यह रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारी मेवात फीडर कैनाल है उसमें तो जमीन की एक्वीजिशन का मामला भी नहीं है बल्कि वह तो के.एम.पी. के साथ–साथ बनेगी। मुख्यमंत्री जी ने इसकी पूरी तजवीज कर रखी है और वे कल इस बारे में कुछ कहना भी चाह रहे थे। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा कि मेवात फीडर कैनाल को भी जल्दी से जल्दी बनवाया जाये ताकि मेवात, सोहना और पलवल पानी के नाम पर जहर पीने से मुक्त हों। इस प्रोजैक्ट के लिए जमीन भी एक्वॉयर नहीं होनी है इसलिए इस प्रोजैक्ट को जल्दी से जल्दी कम्पलीट करने में कोई भी समस्या नहीं है। अतः इस प्रोजैक्ट को जल्दी से जल्दी कम्पलीट किया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया जी, इस विषय के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है और तकरीबन सारी की सारी बातें आ चुकी हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जमीन डि–नोटिफाई हो चुकी है। अगर यह जमीन डि–नोटिफाई हुई तो किस सैक्शन के अंतर्गत हुई है और इसको किस कानून के अंतर्गत डि–नोटिफाई किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हो ही नहीं सकता और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? इसमें क्यों अड़चन पड़ रही है? क्योंकि मैं यह मानता हूं कि कानूनी तौर पर यह सम्भव नहीं है। अगर एक नहर खुदी हुई है उसको पाटना कोई अच्छी बात नहीं है और कोई अच्छा काम भी नहीं है। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि कल सम्बंधित किसान मुख्यमंत्री का धन्यवाद करके गये हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि कल भारतीय किसान यूनियन वाले सारे लोग मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे यह कहा कि वे चाहते हैं कि दादूपुर–नलवी नहर की खुदाई की जाये। यहां पर 300–400 आदमियों की बात की जा रही है हमें एक तारीख दी जाये तो हम इसके समर्थन में हज़ारों आदमियों को इक्ट्ठा करने का सामर्थ्य रखते हैं। सरकार द्वारा एक तारीख फिक्स कर दी जाये तो हम सभी को वहां पर ले आयेंगे। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग चाहते हैं कि इस नहर का निर्माण हो। इस नहर के निर्माण का कहीं कोई विरोध नहीं है अगर विरोध होता तो जब इसकी खुदाई हो रही थी तो उस समय लोग

विरोध करते और जब इस नहर के लिए जमीन की एक्वीजिशन हो रही थी उस समय करते। जब खुदाई हो गई तो फिर इस नहर के निर्माण के विरोध का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि इस नहर को बंद किया जा रहा है वह है किसान को मिलने वाला कम्पनसैशन। इस प्रकार का यह पहना इंसटांस नहीं है। इसी प्रकार से बावल में भी अवॉर्ड सुनाने के बाद 3600 एकड़ जमीन को डि–नोटिफाई कर दिया गया क्योंकि किसान को एक करोड़ रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार मुआवजा देना नहीं चाहती थी। इसी प्रकार से इस मामले में भी किसानों को सरकार पैसा नहीं देना चाहती है। इस प्रकार से यह बात सच साबित हो गई है कि मौजूदा हरियाणा सरकार किसान विरोधी सरकार है लेकिन फिर भी सरकार को मैं सलाह देना चाहता हूं कि इस सरकार को जन विरोधी काम नहीं करने चाहिएं। यह जनहित का काम है। वॉयबिलिटी का सवाल नहीं है। जनकल्याणकारी सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं होता है। जनकल्याणकारी सरकार को हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। आज अण्डर ग्राऊंड वॉटर लैवल 300–400 फुट नीचे चला गया है। अगर अण्डर ग्राऊंड वॉटर लैवल इसी प्रकार से नीचे जाता रहा तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब थोड़े दिन के लिए यह नहर को ट्रॉयल के लिए चलाई गई थी तो उस समय 30–30 फुट अण्डर ग्राऊंड वॉटर लैवल ऊपर आया था। सरकार केवल मुनाफे के लिए नहीं होती अपितु सरकार का काम जनकल्याणकारी नीतियां बनाकर उनको ईमानदारीपूर्वक लागू करने का होता है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता इतना ही कहते हुए मेरी उपाध्यक्ष महोदया के माध्यम से मुख्यमंत्री से यह दरख्वास्त है कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाये और मुख्यमंत्री जी की तरफ से आज ही यहां पर यह आश्वासन दिया जाये कि हम यह नहर बनायेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा करते हैं तो हम सभी उनका धन्यवाद करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे मेरी बात मानकर इसका श्रेय ले लें नहीं तो साल–डेढ़ साल के बाद कांग्रेस की जनप्रिय सरकार बनेगी और यह सरकार बनेगी और बनकर रहेगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जानकारी में यह एक बात और लाना चाहूंगा कि उनकी सरकार के तीन वर्ष के शासनकाल के दौरान उन्होंने इस नहर को नहीं बनाया और इस नहर

के लिए एक्वॉयर की गई जमीन को डि–नोटिफाई किया गया। इसके लिए आज वे और उनकी सरकार जिम्मेदार है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार से भी बड़ा जिम्मेदार कोई इस प्रदेश में है तो वह कांग्रेस की 10 साल की सरकार है। जिस व्यक्ति ने अभी यह कहा कि यह किसान के साथ धोखा है। इन लोगों ने तो इसकी मिट्टी भी बेचकर खा ली थी। इसकी इंक्वॉयरी हो और इसके लिए इनको सदन में माफी भी मांगनी चाहिए कि इन्होंने लगातार 10 साल किसान को लूटा और किसान के साथ धोखा किया। (शोर एवं व्यवधान) यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने अपने 10 साल के शासनकाल के दौरान कभी भी प्रदेश के किसान की चिंता नहीं की । हरियाणा प्रदेश में जहां–जहां पर भी किसानों की बेशकीमती जमीन थी उसके इन्होंने सैक्शन–4 और 6 के नोटिस निकाल दिये थे। (शोर एवं व्यवधान) मैं एक और बात आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 10 साल तक यहां पर इसी सदन में बैठी थी तब इन्होंने यह नहर क्यों नहीं खुदवाई यह भी इनसे पूछा जाये। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदया, यह जो विषय है इस पर लगभग पौने 4 घंटे से चर्चा चल रही है। इसमें काफी विषय आये हैं और अपने–अपने तरीके से हर किसी ने उस विषय को गम्भीर बनाने की कोशिश की है। आरोप–प्रत्यारोप भी लगे हैं और इसमें मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष की ओर से अंगुलियां कम उठाई गई हैं विपक्ष ने आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ अंगुलियां उठाई हैं और मेरा उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा मत इतना जरूर बना है कि अगर कोई भी प्रदेश के हित का विषय है, नेशनल इम्पोर्टेंस का विषय है तो उसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाय इसकी बजाय उसके बीच में राजनीति ज्यादा की जाती है यह अच्छी बात नहीं है। जहां तक इस प्रोजैक्ट की बात है तो 1980 में इस प्रोजैक्ट पर विचार करना शुरू किया गया तथा 1984–85 में 167–68 एकड़ या जितनी भी थी, जमीन भी एक्वायर की गई। जिस भावना के साथ इस प्रोजैक्ट को कंसीव किया गया वह अच्छी भावना के साथ कंसीव किया गया था। उसके कंसीव करने के पीछे भावना यह थी कि दक्षिण हरियाणा को भी इसके माध्यम से पानी मिल सके। दक्षिण हरियाणा में इस समय जो पानी पहुंचाया जाता है वह मुख्यतः यमुना का पानी डब्ल्यू.जे.सी. तथा जे.एल. एन. कैनाल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसी तरीके से एस.वाई.एल. नहर बनते

ही इस पानी का उपयोग उधर भी बढ़ सके इसलिए उसके कैरियर के लिए एक बीच का रास्ता, वाया मीडिया निकाला गया। जिसके लिए कहा गया कि दादूपुर नलवी नहर में 590 क्यूसिक पानी आयेगा। इसमें 22 डिस्ट्रीब्यूट्रीज थी जिसके ऑफ टेकिंग चैनल भी बनाये जाने थे। मुख्य रुप से शाहबाद फीडर, जिसमें से शाहबाद डिस्ट्रीब्यूट्री और नलवी डिस्ट्रीब्यूट्री के माध्यम से यमुना का पानी ले लिया जाये और फिर एस.वाई.एल. नहर का जो पानी है उसको इधर से ले जा कर मुनक पर 590 क्यूसिक पानी और दे दिया जाये ताकि उधर पानी की कमी न हो और यहां इस इलाके को भी पानी मिल जाये। अब यह बात बहुत अच्छी सोची गई थी, विचार की गई थी अगर यह प्रोजैक्ट उस समय उसी हिसाब से कम्पलीट हो जाता तो बहुत अच्छा होता लेकिन इसमें कुछ सैट–बैक भी लगते चले गये। पहला सैट–बैक 2004–05 में लगा जब यह तय कर दिया गया कि इसमें जो यमुना का पानी आयेगा वह साल भर नहीं आयेगा बल्कि केवल वर्षा के दिनों में ही आयेगा। अगर वर्षा के दिनों में ही उस नहर में पानी आयेगा तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, वह नहर नहीं रहती है वह बरसाती नाला या बरसाती नदी बन जाती है। वह केवल बरसात के लिए ही रह जाती है। इसके लिए दूसरा सैटबैक उस समय लगा जब इसके 23 चैनल्स जिनका नक्शा हमने निकलवाया है । ये जो 23 चैनल्स थे जिनमें एक मेन फीडर और 2 डिस्ट्रीब्यूट्री जिनमें से आगे 22 चैनल्स निकलने थे जिनका उस इलाके में पूरा जाल बना हुआ है। उस जाल के लिए मुख्य नहर के लिए तो 1000 एकड़ जमीन जो अब ली गई है वह है जिसमें शाहबाद फीडर और 2 डिस्ट्रीब्यूट्रीज आती हैं। इनमें से आगे जो दूसरे चैनल्स बनने थे उनके लिए 1200 एकड़ जमीन और एक्वायर करनी थी लेकिन 2008 में यह फैसला ले लिया गया चूंकि वहां के किसान जमीन देना नहीं चाहते थे और नहीं देना चाहते थे तो बिना किसानों की मर्जी के वह जमीन हम नहीं लेंगे। इसलिए वह 1200 एकड़ जमीन लेने का फैसला बदल दिया गया। अगर सही मायने में इस नहर की उपयोगिता को खत्म करने का निर्णय था तो वह यही 2008 का निर्णय था। उसमें जब 2008 से पहले यह कहा जा रहा है कि इसमें 590 क्यूसिक पानी आयेगा, अगर वह पानी आयेगा तो जायेगा कहां, वह पानी केवल इन 3 डिस्ट्रीब्यूट्रीज में भरने के लिए तो नहीं था। उसके आगे और जो डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं उनमें पानी ले जाने के लिये उसकी योजना बनाई गई थी कि शाहबाद फीडर में

590 क्यूसिक पानी आएगा जो दो जगह बंटकर के शाहबाद डिस्ट्रीब्यूट्री में 317 क्यूसिक और नलवी में 172 क्यूसिक पानी जाएगा ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, आप जो बात बता रहे हैं अगर यही बात थी तो आप हाई कोर्ट में कम्पनसेशन का मुकद्मा क्यों लड़े ? उसी समय इसका समाधान कर देते । आपने इस पर जो पुल बना उसका उद्घाटन क्यों किया ? उस पर जो सड़क बनी है उसका उद्घाटन क्यों किया ?

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, आपको मैं सारी बातें बताऊंगा । जब मैं सारी बातें बता लूं उसके बाद आपने अपनी कोई बात पूछनी है तो पूछ लेना । आप मुझे एक बार भूमिका बता लेने दो। अब जब ये सारी चीजें बनी रही यानि जो 22 डिस्ट्रीब्यूट्री हैं उसमें कांग्रेस सरकार के समय का वर्ष 2008 का फैसला है । उस फैसले की जो प्रति है उसमें उस समय के वाटर वर्कस मंत्री, एफ.सी. इरीगेशन आर.एन. पराशर के हस्ताक्षर भी हैं । इसमें लिखते हैं कि – Those minors shall be constructed where a request is made by the farmers concerned and no substantial objections are received. As per decision we shall not make this minor. यानि एक माईनर के बारे में विरोध किया तो उस समय उसको कैंसिल किया गया और बाद में यह भी कहा कि जहां–जहां से रिक्वेस्ट नहीं आएगी वहां–वहां हम नहीं बनाएंगे । जनता की रिक्वेस्ट को मानकर के हमने कोई प्रोजैक्ट बनाया है और अगर उसमें कोई विरोध होता है तो उस विरोध के आधार पर भी हमने फैसले करने पड़ते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया हुआ है । आज भी उसकी वस्तु स्थिति क्या है? उस नहर में पानी कितना है ? आखिर वह नहर बन गई उस नहर के बनने के बाद उसमें जितना पानी हम दे रहे हैं उसके बारे में मैं बताता हूं कि वर्ष 2011 में 100 क्यूसिक पानी दिया गया और अब वर्ष 2017 में ज्यादा से ज्यादा 400 क्यूसिक पानी दिया गया लेकिन वह इसलिये दिया गया कि सरस्वती नदी का जो रास्ता ब्लॉक था उसकी खुदाई करवाकर हमने उसको खुलवाया है । उसके बाद 250 क्यूसिक पानी सरस्वती नदी में डाला तब जाकर वह नहर 450 क्यूसिक पानी ले सकी । अगर हम इस नहर में आज भी वह 590 क्यूसिक पानी डालना चाहें तो डाल नहीं सकते । अगर हम वह पानी डालेंगे तो वह पानी फैलता है और पानी के फैलने से कितनी बार उस नदी में बाढ़ आई है । उस नदी में हमने वर्ष 2010 में बाढ़ देखी है । अभी इस बार भी उस नदी में बाढ़ आई है । बहुत सा ऐसा इलाका है जिस इलाके के लोग यह कहते हैं कि जब

तक आप इस नदी को बन्द नहीं करोगे तो हमारे इलाके में उन दो महीनों में बाढ़ की स्थिति ही बनी रहेगी क्योंकि उन दो महीनों में पहले ही बारिश का पानी बहुत आता है । शिवालिक एरिया से जितना पानी उतरता है चाहे वह राक्षी नदी से उतरता है, चाहे चोतांग नदी से उतरता है, चाहे सरस्वती नदी से आता है, चाहे सढ़ौरा नदी से आता है, चाहे शाहबाद मारकंडा नदी से आता है यह जितना भी पानी आता है वह सारा पानी उस एरिया में आता है और उस एरिया में आने के बाद उसकी रिचार्जिंग उन दो–तीन महीनों में खूब होती है । उन्हीं दो–तीन महीनों में और पानी डालने का मतलब उस इलाके को बाढ़ग्रस्त करना है । इसलिये हमें उस इलाके के किसानों की बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसका क्या करना है? अब विषय आया कि इस नहर के बारे में क्या फैसला किया गया? इसमें कुछ बातें तो टैक्निकल हैं जो मैंने आपको बताई हैं। टैक्निकल्टीज में हम इस नदी के अन्दर न तो पूरा पानी दे पा रहे हैं, न उससे सिंचाई करा पा रहे हैं । जहां तक सिंचाई का विषय है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, आपने 70 प्रतिशत काम होने की बात कही है लेकिन अभी तो 30 प्रतिशत काम बाकी पड़ा है उसको कौन करवाएगा ? उस बचे हुए काम को भी पूरा करवाओ ।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, आपने तो वर्ष 2008 में उसके लिये जमीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव ही रद्द कर दिया था । वह प्रस्ताव हमने रद्द नहीं किया आपने किया था । उसमें किसानों की कोई मर्जी नहीं है । किसानों की मर्जी जब होगी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : मुख्यमंत्री जी, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने तो उसको बन्द कर दिया । उनकी तो नीयत में खोट था ही था इसलिये तो वह 10 वर्ष तक नहीं बनी । लेकिन अब आप उस नहर को बनाओगे या नहीं । दूसरा आप जो पानी की उपलब्धता की बात करते हो उस संबंध में बिल्कुल साफ–साफ लिखा हुआ है कि जब रेणुका डैम बन जाएगा उससे 3200 क्यूसिक पानी वेस्टर्न यमुना में आना है और जब उसमें 3200 क्यूसिक पानी आ जाएगा तो उसको बन्द करने की बजाए उसको 12 महीने चलाने की बात क्यों नहीं करते कि यह नदी 12 महीने चलेगी । आप इस नदी को बनाने वाली बात पर आओ इसको बन्द करने की बात पर मत आओ ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से निवेदन है कि उनको एक बार शांति से मेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिए। अगर उनकी तरफ से कोई बात रह जाती है तो भी उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज भी सदन का काफी समय बचा हुआ है और इसके अतिरिक्त सदन का कल का भी दिन अभी बाकी है। अगर इसके बावजूद भी कोई बात रह जाती है तो भी हम कहीं गए नहीं है, बाद में भी बात हो सकती है। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदया, अभी तो हमें 10 साल और बैठना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शर्मा जी, अभी तो हमें 10 साल और बैठना है। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदया, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा बार–बार अपनी सीट से उठकर बात कर रहे हैं, अतः ऐसी अवस्था में मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ:–

रात का ना जिक्र कर–रात तो गुजर गई,
है सुबह, तो यह बता– दस साल रोशनी किधर गई ?

(इस समय सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदया, कल मंत्री जी ने सदन में बताया था कि दादूपुर–नलवी नहर परियोजना के संबंध में 1000 आदमी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए आए थे जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी बयान कर रहे हैं कि उनसे मिलने 400 आदमी आए थे। अतः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सच कौन बोल रहा है? (शोर एवं व्यवधान) एपीलिऐशन

श्री राम बिलास शर्मा: उपाध्यक्ष महोदया, 1000 आदमी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे जिनमें से 400 आदमी बाकायदा तौर पर दस्तखत करके गए हैं।

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि मेरे पास यह एक लिखित प्रमाण है जिस पर 400 आदमी अपने–अपने दस्तखत करके गए हैं। यह जरूरी नहीं कि हर आदमी अपने दस्तखत करे। मैंने जो 400

आदमियों का नाम गिनाया है वह तो एप्लीकेशन में दर्ज दस्तखत को गिनकर बताया है। मैंने चलते सदन में बाकायदा तौर पर गिनकर नाम बताये हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण के बावजूद भी यह लोग नहीं मान रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान) यदि इनको यह लिखित प्रमाण चाहिए तो मैं इनको दे सकता हूँ? (शोर एवं व्यवधान) मैं इन दस्तखत करके गए आदमियों के नाम, नम्बर, गांव यहां तक की उनके टेलिफोन नम्बर तक भी दे सकता हूँ और यह स्वयं पता कर सकते हैं कि यह आदमी कौन–कौन थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मूल चंद शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, यह जो आदमी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने आये थे, इनमें से कई आदमी तो बिना साईन किए हुए कागजात भी देकर गए हैं, अगर यह कागजात भी हुड्डा साहब देखना चाहे तो अपनी तसल्ली के लिए देख सकते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदया, सदन में एक ही विषय पर भिन्न भिन्न प्रकार की बातें की जा रही है जोकि ठीक नहीं है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं चौधरी भपूेन्द्र सिंह हुड्डा तथा श्री अभय सिंह चौटाला जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जिस इलाके में दादूपुर–नलवी नहर परियाजना आती है, उस इलाके का मुझे गहन अध्ययन है। इनको कदापि यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इस एरिया का कम ज्ञान है। मैंने अपने जीवन के छह वर्ष जिला यमुनानगर तथा अम्बाला में बिताये हैं और इस एरिया के गांव–गांव में जाकर काम किया है। अतः इस एरिया के बारे में मेरे ज्ञान को कमतर न आंका जाये। मुझे अच्छी तरह से पता है कि कौन सा पानी कहां से आता है और कहां जाता है। (विघ्न)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बुरी तरह से उपेक्षित किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मेरे विपक्ष के साथियों को मेरी बात कम समझ में आ रही है लेकिन यह भी सच है कि किसी बात को समझाने के लिए बात को बयान तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अब यदि मैं दादूपुर–नलवी नहर परियोजना के विषय पर कुछ बात सदन में रख रहा हूँ तो विपक्ष के लोगों को उसे ध्यान से सुनना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, इन लोगों ने तो किसान को किसान से भिड़ाने तक का काम किया है और उनमें दरार पैदा कर दी है। जिसकी वजह से एक ग्रुप

यह कहता है कि दादूपुर–नलवी नहर नहीं बननी चाहिए तो दूसरा ग्रुप भी यह नहीं कहता है कि नहर बननी चाहिए। दादूपुर–नलवी नहर परियोजना के संबंध मे एक विषय किसानों को एनहांसमैंट देने का भी आया है। हम एनहांसमैंट देने के विरोध में नहीं है। आखिर यह कोर्ट का फैसला है और कोर्ट का जो फैसला होता है वह सबको मानना ही पड़ता है। वैसे कोर्ट के फैसले के बाद भी हमारे सामने कईं रास्ते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद उसकी अपील भी हो सकती है। जब भूमि मालिकों ने एनहांसमैंट के संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की तो माननीय न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में मुआवजे के भुगतान की घोषणा की और इस घोषण के मद्देनज़र मुआवजे के जल्द निष्पादन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें उच्च न्यायालय में रिव्यु पैटीशन डालने के लिए कहा। अब हाई कोर्ट इसका फैसला करेगा। माननीय हाई कोर्ट के बाद फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। कहने का भाव यही है कि हम इस मामले में हर चीज को ध्यान में रखकर विचार करेंगे। केवल मात्र 2–4, 10–20, 100–200 या 500 लोगों के हित को ही सोचकर विचार नहीं किया जायेगा बल्कि पूरे प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखकर इस मामले में विचार किया जायेगा। दादूपुर–नलवी नहर परियोजना पर 300 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है लेकिन इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद भी यदि माइनर तक न बन सकें तो इस स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है? प्रारम्भ में दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को इस आधार पर तैयार किया गया था कि इससे 46000 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जायेगा लेकिन इससे एक साल में अधिकतम 357 एकड़ क्षेत्र की सिंचित हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी को दादूपुर–नलवी नहर परियोजना से वाटर लैवल में आए हुए फर्क को भी बताना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इनकी सरकार के एक डिपार्टमैंट ने खुद माना है कि दादुपुर–नलवी नहर परियोजना से 92532 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होनी थी।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा दादूपुर–नलवी नहर के कुछ चैनल्ज बनाए जाने थे जिनसे 92532 हैक्टेयर सिंचाई की जानी थी लेकिन चूंकि किसानों ने इन चैनल्ज के निर्माण में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई थी तो फिर दादुपुर–नलवी नहर परियोजना के माध्यम से 46000 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का प्रस्ताव रखा गया था।

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की यह जानकारी भी दुरूस्त कर देना चाहूंगा कि दादुपुर–नलवी नहर के निकट के किसान अपने खेतों को सिंचने के लिए पानी उठाने वाले इंजनों का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा खर्च वहन करना पड़ता है। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको यदि ध्यान से सुना जाये तो सब कुछ क्लीयर हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदया, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि प्रारम्भ में दादुपुर–नलवी नहर परियोजना से 46000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का प्रावधान रखा गया था लेकिन इससे एक साल में अधिकतम 357 एकड़ क्षेत्र की भूमि ही सिंचित की जा सकी। आप इस बात को समझने की कोशिश करो।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मुद्दा यह नहीं है कि 357 एकड़ भूमि सिंचित हुई या नहीं हुई बल्कि वास्तव में मुख्य मुद्दा यह है कि आज की तारीख में भी दादुपुर–नलवी नहर परियोजना के निकट के एक लाख एकड़ से ज्यादा जमीन की सिंचाई को किसान आज भी अपने निजी साधनों का प्रयोग करके, सिंचाई करने को मजबूर हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, इतना बड़ा एरिया तो इस परियोजना के निकट ही नहीं लगता? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैंने सरकार के ही एक डिपार्टमैंट के आंकड़े के आधार पर अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, डिपार्टमैंट ने यह आंकड़ा दिया है कि दादुपुर–नलवी नहर परियोजना से किस किस गांव में कितनी–कितनी सिंचाई की गई है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, सरकारी आंकड़ों में यह साफ तौर से लिखा हुआ है कि दादुपुर–नलवी नहर परियोजना से 92532 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई व रिर्चाजिंग होनी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अभय जी, होनी थी का मतलब यह है कि जबकि माइनर बनते? उपाध्यक्ष महोदया, माइनर बनने के बाद यह सब काम होना था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, यदि यह सब माइनर बनने के बाद होना है तो सरकार को माइनर बनाने चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदया, इसका कारण यह रहा कि पिछली सरकारों में इनको कैंसिल कर दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला:उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उन्हें ना–नुकर करने की बजाय माइनर बनानी चाहिए और कोई चिंता नहीं करनी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी माइनर बनाने की बजाय दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को बंद करने का ही काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें किसानों को पैसा देने में क्या हर्ज है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदया, सरकार को माइनर बनाने चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

14:00 बजे

श्री मनोहर लाल: देखिये बीच में व्यवधान डालना ठीक नहीं होता है। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। एक बार मुझे पूरी बात कह तो लेने दो। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, सदन में माननीय सदस्यों का यह व्यवहार उचित नहीं है । मैंने सभी सदस्यों की लगभग पौने चार घंटे तक बैठकर सारी बातें सुनी हैं और मैं बीच में एक बार भी नहीं बोला । (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदया : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को डि–नाटिफाई करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 पर चर्चा की स्वीकृति (पुनरारम्भ)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य हर 3 मिनट बाद बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं । This is not the Question Hour. (Interruptions)

श्री मनोहर लाल : आप लोग मुझे बोलने दोगे तभी तो मैं कुछ बता पाऊंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, आपने हर माननीय सदस्य को बोलने के लिए पूरा समय दिया है । अब माननीय मुख्य मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं, इसलिए अब इन्हें शांति से सुना जाना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों के प्वायंट्स को एक–एक करके ही क्लीयर कर पाऊंगा । अभी मेरा पूरा रिप्लाई समाप्त नहीं हुआ है । अगर इसके बाद कोई प्रश्न रह जाए तो फिर मुझसे दोबारा पूछ लेना । इसमें नहर को डिनोटिफाई करने का एक कारण कैग का ऑब्जैक्शन है । मेरा कहना है कि कैग रिपोर्ट तो सिर्फ एक सपोर्टिंग फैक्टर है, इसलिए मुझे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है । कैग ने इस नहर से संबंधित "Unfruitful expenditure on Dadupur-Nalvi Irrigation Project" पैरा बनाया है । ऐसा नहीं है कि यह प्रोजैक्ट केवल उस समय अनफ्रूटफुल था बल्कि यह प्रोजैक्ट आज के दिन भी अनफ्रूटफुल है । अगर हम इस नहर में आज के दिन 360 क्युसिक पानी डालना चाहें तो वह उसे ले नहीं सकती । हमने उस नहर में जब 400 क्युसिक पानी डालकर देखा तो हमें उसमें से 200 क्युसिक पानी सरस्वती नदी के लिए निकालना पड़ा तब कहीं जाकर उस नहर में 200 क्युसिक पानी खड़ा रह पाया । इस नहर के कमांडिंग एरिया का अंतिम गांव नलवी है और जब हमने नहर में पानी छोड़ा तो उस गांव के काफी एरिया में पानी फैल गया । उस गांव के लोगों ने हमसे कहा कि नहर में छोड़े गये अधिक पानी की वजह से न तो हम फसल का बीज बो सके और न ही खड़ी फसल का पूरा लाभ ले सके । इससे उनको काफी नुकसान हुआ और उन्होंने हमसे कहा कि हो सके तो इस नहर को बंद कर दिया जाए और भविष्य में इतना पानी न छोड़ा जाए कि पानी हमारी तरफ भागता हुए आ जाए । इस नहर की एक

दिक्कत इसकी दिशा है । इस नहर को इस तरीके से बनाया गया है कि पानी छोड़ने पर इसका पानी एक स्थान पर जाकर रूक–सा जाता है क्योंकि वहां पर थोड़ी–सी ऊंचाई है । इसके बाद फिर ढ़लान आती है । इस नहर का मार्ग जिगजैग है और इसमें 6 जगहों पर 90 डिग्री के मोड़ आते हैं । अब ये इतने सारे मोड़ इसमें किसलिए डाले गये, ये किसको बचाने के लिए और किसको परेशान करने के लिए डाले गये इसका केवल इन्कवायरी से पता चल सकता है । कई किसान तो चिल्ला रहे हैं कि हमारे खेतों के बीच से नहर निकाल दी गई । मान लीजिए किसी किसान का खेत 10 एकड़ का है और उसके खेत के बीच से नहर निकाल दी गई तो उसका खेत दो हिस्सों में बंट गया । इससे उसकी 4 एकड़ जमीन नहर के एक तरफ रह गई, 4 एकड़ जमीन नहर के दूसरी तरफ चली गई और 2 एकड़ जमीन नहर में चली गई । यह बात ठीक है कि उस नहर पर पुल भी बनाये गये हैं । नहर पर किसानों के लिए जो व्यवधान थे उनको ठीक किया गया है । किसानों को सुविधा देने के लिए वे व्यवधान ठीक किये जाने ही थे । हमने इस नहर को डिनोटिफाई करने का जो फैसला किया है वह आज की स्थिति को देखते हुए किया है । भविष्य में जो होगा वह एस.वाई.एल. नहर, रेणुका डैम और लखवार डैम पर निर्भर करता है लेकिन आज के दिन हम इस नहर को केवल एक खरीफ चैनल मानते हैं । हम इस नहर में रबी के सीजन में पानी नहीं डाल सकते क्योंकि उस समय यमुना नदी में पानी नहीं होता है । इस नहर में केवल बरसात के मौसम में पानी डाला जा सकता है । मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि इस नहर को डिनोटिफाई करने के रास्ते में कई कानूनी अड़चनें हैं । इसके बावजूद हमने वहां के किसानों को ऑफर दिया कि यदि आप अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं । अगर कोई किसान अपनी जमीन वापस नहीं लेना चाहता तो उसको जमीन वापस नहीं की जाएगी । हमने यह बात किसानों को क्लीयरली बता दी है कि किसान अपनी जमीन की उस समय की मुआवजा राशि वापस देकर अपनी जमीन वापस ले सकता है । जहां तक किसान से मुआवजा राशि का ब्याज लेने की बात है तो हमने उस ब्याज को माफ कर दिया है । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस नहर को किस सैक्शन के तहत डिनोटिफाई करने का फैसला किया है ?

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, हमने यह फैसला किसानों की सहमति से किया है और आपसी सहमति का कोई सैक्शन नहीं होता । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, इस तरह से हमने जो सारे सवाल और विचार सदन में रखें हैं वे सब बेकार हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन सवालों का जवाब देने के बजाय एक फैसला और एक मन बना लिया है कि माननीय कोर्ट का जो आदेश होगा उसकी अनदेखी करेंगे और अवेहलना करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने इस तरह की कोई भी बात सदन में नहीं कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने स्वयं यह कहा कि जब मियां बीबी राजी इसका मतलब यह हुआ कि जब आपकी कैबिनेट राजी है और कैबिनेट ने जो फैसला ले लिया वह सर्वमान्य होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अभय जी, आप बात को घुमा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा मतलब किसान से है। यदि किसान राजी है तो सभी राजी हैं। जो किसान जमीन लेना चाहता है उसे देंगे और जो किसान जमीन नहीं लेना चाहता है उसे नहीं देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दादूपुर नलवी नहर परियोजना पर जवाब देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : दलाल जी, यदि आपकी कोई बात रह गई हो तो बाद में डिस्कशन कर लेना पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना जवाब कम्पलीट करने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की भलाई का फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 प्रतिशत ब्याज किसानों के माफ कर दिए हैं। एक बहुत बड़ी राहत किसानों को दे दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : मुख्यमंत्री महोदय को किसानों से कोई लेना–देना नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : अभय जी, कृपया करके आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दादूपुर नलवी नहर परियोजना के बारे में बताएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, यह सरकार किसान विरोधी है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : अभय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना जवाब कम्पलीट करने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) उसके बाद आप अपने विचार रख सकते हैं।

(इस समय इनैलो पार्टी के सदस्यगण अपनी–अपनी सीटों पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी।)

श्री अभय सिंह चौटाला : माननीय मुख्यमंत्री महोदय, के जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : अभय जी, आप लोग अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक–आउट

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, हम मुख्यमंत्री महोदय के स्थगन प्रस्ताव पर दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है इसलिए हम वॉक–आउट कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्यगण दादूपुर नलवी नहर परियोजना की जमीन को डिनोटिफाई करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट न होने के कारण सदन से वॉक–आउट कर गए)

.....

दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को डि–नाटिफाई करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 पर चर्चा की स्वीकृति (पुनरारम्भ)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही कहा था कि इनैलो पार्टी के सदस्यगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जवाब नहीं सुनेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किस कानून के तहत इस परियोजना को डिनोटिफाई किया है? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : कुलदीप शर्मा जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन को बता रहा हूँ। बशर्ते माननीय सदस्य सुनने को तैयार तो रहें। उपाध्यक्ष महोदया, जहाँ तक जमीन की बात है (विघ्न) जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं वह जमीन वापिस लेंगे और जो किसान विरोध नहीं कर रहे हैं वह जमीन वापिस नहीं लेंगे। जिन किसानों का लैंड एक्वीजिशन का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, उस संबंध में माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आयेगा उसकी हम पालना करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो किसान जमीन वापिस लेना चाहते हैं तो हम उन्हें जमीन वापिस दे देंगे, उन्हें जमीन वापिस देने से ऐसा नहीं होगा कि वह नहर बंद हो जाएगी और हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक दूसरा रास्ता यह है कि जितने एरिया में वह जमीन वापिस जाती है और जो बाकी बची हुई जमीन है, उसमें आज जितनी पानी की जरूरत है, उसमें हम उससे ज्यादा पानी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वह जो नहर बनी हुई है वह 1 या 1.5 सौ क्यूसिक पानी की नहर बनी हुई है, हम उसमें 1 या 1.5 सौ क्यूसिक से ज्यादा पानी ले ही नहीं सकते। हम अगर उससे ज्यादा पानी लेंगे तो सरस्वती नहर से लेंगे। सरस्वती नहर का प्रबंधन हम अलग से कर रहे हैं। जहां तक सरस्वती नहर के प्रबंधन का विषय है (विघ्न) मैं आप लोगों को सारी बात बताता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस मुद्दे पर ये दोबारा से अच्छी तरह विचार कर लें। (शोर एवं व्यवधान)

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): उपाध्यक्ष महोदया, ये लोग मुख्यमंत्री जी का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं माननीय सदस्यों को सारी बात विस्तार से बताऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, आप सभी लोग अपनी–अपनी सीट पर बैठ जाएं, मुख्यमंत्री जी आप लोगों को सारी बात बताएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं अभी व्यावहारिकता की बात कर रहा हूं, कानून की बात मैं बाद में बताऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि ये एक के बाद एक कौन सा तरीका अपना रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : किरण जी, गीता जी, कृपया आप सभी बैठ जाएं, मैं सारी बात विस्तार से बताऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः गीता जी, बैठ जाएं। आपकी पार्टी की सरकार भी 10 साल रही है। विधान सभा की भी कोई महत्ता होती है। सदन के नेता बोल रहे हैं और आप सभी लोग बीच में खड़े होकर बोलने लग रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सरस्वती नहर के पानी का प्रबंध कर रहे हैं। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : गीता जी, आप बैठिए। मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी लोग बैठिए। सदन के नेता खड़े हुए हैं, जवाब दे रहे हैं और आप सभी लोग बीच में बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, सबसे पहले इन लोगों को सदन के नेता का सम्मान करना सिखाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि क्या इन लोगों को सदन की मर्यादा का ध्यान नहीं है ? क्या श्रीमती गीता भुक्कल जी को मर्यादा का ध्यान नहीं है ? (शोर एवं व्यवधान) मैं आप लोगों की बातों का जवाब दे रहा हूं, क्या आपको इतना भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः आप सभी लोग बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदयाः मुख्यमंत्री जी, जवाब दे रहे हैं। आप सभी लोग बैठिए और उनकी बातों को सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि ये लोग 4.5 घंटे बोले हैं और मैं जब 10 मिनट बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठिए।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले रिचार्जिंग की बात करता हूं। जितना पानी यह नहर ले सकती है, वह 1.5 सौ से 2 सौ क्यूसिक से ज्यादा नहीं ले सकती है, अगर कोई किसान जमीन वापस ले भी लेगा तो हमें अगर उसमें अंडर–लाईन पाइप बिछाकर पानी लाना भी पड़ेगा, तब भी हम लाएंगे। (मेंज थपथपाई गई) उसमें हमें किसान की जमीन की आवश्यकता नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान) यह प्रयोग बहुत जगहों पर सफल भी रहा है और उससे किसान की समस्या दूर भी हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि अगर ये अंडर–लाईन पाईप से पानी लेकर आएंगे तो रिचार्जिंग कैसे होगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमें जितनी जमीन मिलेगी, उतनी ही रिचार्जिंग होगी। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः आप सभी लोग बैठिए।

श्री कुलदीप शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से बताना चाहूंगा कि इन्हें विभाग की तरफ से गुमराह किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से बताना चाहूंगी कि उस जमीन की रिचार्जिंग पाईप दबाने से नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः आप सभी लोग बैठिए, मुख्यमंत्री जी को जवाब देने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जो नदियां उन इलाकों में बहती हैं चाहे वह राक्षी नदी है, बरसाती चोतांग नदी है, सरस्वती नदी है और भी नदियां हैं। इन नदियों में हरियाणा का जो पार्ट है, उस पार्ट में हमने डैम बनाने का सर्वे कराया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कुष्ण कुमार बेदी) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से बताना चाहूंगा कि उन नदियों में मारकंडा नदी भी है ?

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के कालाअम्ब से निकलती है, इसलिए हम शायद उस नदी पर डैम नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी की नदियों में हरियाणा का जो पार्ट है, उस पार्ट में हमने डैम बनाने का सर्वे कराया है और उसमें हमें जो वैपकोस से हमें डैम बनाने की फिजीब्लिटी मिल गई है, उसके तहत आदिबद्री में एक डैम बनेगा, डारपुर में डैम बनेगा, नगली में डैम बनेगा, चिकड में डैम बनेगा, कांसली में डैम बनेगा, खिलावारा डैम बनेगा और इसके साथ ही अम्बावली डैम बनेगा। ये 7 डैम ऐसे हैं जहां पर अभी केवल बरसात में ही पानी आता है। हम यह चाहते हैं कि उन 7 डैमों में 2 महीने के बजाए 5 या 6 महीने पानी आए।

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदयाः यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये।

आवाजेंः ठीक है जी।

उपाध्यक्ष महोदयाः बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

दादूपुर–नलवी नहर परियोजना को डि–नाटिफाई करने से संबंधित स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 पर चर्चा की स्वीकृति (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जिन डैमों को पानी देने के लिए जो पहले से रास्ते बने हुए हैं हम उन रास्तों से ही उन डैमों को पानी देंगे और जहां तक जमीन की रिचार्जिंग का सवाल है तो मैं बताना चाहूंगा कि उन डेमों में 2 महीने के बजाए 5 महीने पानी आएगा और हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है कि उससे जमीन की रिचार्जिंग पहले की अपेक्षा ज्यादा होगी।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि अगर ये पानी को पाईप से लेकर जाएंगे और पानी को बीच–बीच में किसानों को दे दिया जाएगा तो इससे रिचार्जिंग कैसे होगी ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि वह अलग इश्यू है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो 7 डैम हैं, वह इनके पीछे रहेंगे। (शोर एवं व्यवधान) किरण जी, मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि मैं उस इलाके से अच्छी तरह से परिचित हूं। इस तरह से हम रिचार्जिंग की व्यवस्था करेंगे। जहां तक बात है कि यह किस कानून के अंतर्गत की गई है तो मैं बताना चाहूंगा कि (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इनको इस बारे में विभाग द्वारा मिस–गाईड किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदयाः कुलदीप शर्मा जी, आप बैठिए।

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मिस–गाईड तो ये हो गए हैं। They are misguided only. (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः कुलदीप जी, आप बैठिए। आप चीफ–मिनिस्टर को कह रहे हैं कि इन्हें मिस–गाईड कर दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिन चीजों को इनकी सरकार में बंद कर देना चाहिए था, उन चीजों को बंद करने के निर्णय हमें लेने पड़ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2008 में किसानों से डरते हुए निर्णय नहीं लिए थे, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने तो किसानों को बांट दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : प्लीज आप सभी बैठें । मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहें है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक डिनोटिफिकेशन का निर्णय किस कानून के तहत लिया है इस बारे में मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि

इसके लिए हमने अपना कानून बनाया है । पिछले विधान सभा सत्र में हमने एक्वीजिशन वाली जमीन वापिस करने का कानून बनाया है और उस कानून को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा हुआ है । (शोर एवं व्यवधान) राष्ट्रपति जी की मोहर लगते ही यह कानून लागू हो जायेगा और उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, आज के दिन तो यह कानून लागू नहीं है फिर किस आधार पर इस नहर डिनोटिफिकेशन की जा रही है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, आज के दिन जो किसान अपनी मर्जी से जमीन वापिस लेना चाहेगा उसी को देंगे । हम किसान के हित में काम करने वाले हैं । हम इनकी तरह किसानों को कानूनी पचड़े में नहीं डालना चाहते । (शोर एवं व्यवधान) बहुत–बहुत धन्यवाद ।

वाक–आउट

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, हम इस स्थगन प्रस्ताव पर सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, हम स्थगन प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं है इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण दादूपुर नलवी नहर परियोजना की जमीन नोडिनोटाफाई करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट न होने के कारण सदन से वाक आउट कर गए।)

वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती प्रेमलता, चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) के लिए प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

Chairperson, Committee on Estimates (Smt. Prem Lata) : Deputy Speaker Madam, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates for the year 2017-18 (Ist Instalment).

वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुदान (पहली किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमाण्ड्स (02 से 05, 07 से 11, 13 से 15, 17 से 22, 24, 26, 28, 31 से 33, 36 से 43 तथा 45) एक साथ पढ़ी गई और मूव की गई समझी जायेंगी। माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमाण्ड पर चर्चा हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 201 के तहत ही कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमाण्ड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

> कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **10,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।
>
> कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **10,79,53,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 3–सामान्य प्रशासन्** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।
>
> कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **120,29,85,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 4–राजस्व** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **16,50,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 5–आबकारी एवं कराधान** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **48,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 7–आयोजना एवं सांख्यिकी** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **36,25,00,000** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **272,31,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 8–भवन तथा सड़कें** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **95,87,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 9–शिक्षा** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 10–तकनीकी शिक्षा** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **70,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 11–खेलकूद तथा युवा कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **108,81,00,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **68,05,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 13–स्वास्थ्य** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **90,00,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **5,00,00,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 14–नगर विकास** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **12,58,44,04,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 15–स्थानीय शासन** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,56,10,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 17–रोजगार के संबंध में** 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **68,21,01,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 18–ओद्योगिक प्रशिक्षण के संबंध में** 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **43,97,15,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 19–अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण के संबंध में** 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **272,65,02,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 20–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के संबंध में** 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **4,91,70,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 21–महिला एवं बाल विकास् के संबंध में** 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,00,01,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 22–भूतपूर्व सैनिकों** का कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान

के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **60,65,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 24–सिंचाई** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि राजस्व खर्च के लिए **13,09,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि, राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 26–खान एवं भू–विज्ञान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015–2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **24,50,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 28–पशुपालन तथा डेयरी विकास** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **23,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 31–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **387,20,75,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 32–ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **103,50,00,000** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **206,87,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 33–सहकारिता** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **252,77,39,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **53,00,00,000** से अधिक न हो, **मांग सं. 36–गृह** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **22,43,50,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 37–निर्वाचन** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **2000 रूपये** से अधिक न हो **मांग सं. 38–लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **50,00,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **10,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 39–सूचना एवं प्रचार** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **320,64,00,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **3902,71,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 40–उर्जा तथा विद्युत** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **50,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रोद्यौगिकी** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **123,26,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 42–न्याय प्रशासन** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **24,50,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 43–कारागार** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **269,79,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(कोई भी सदस्य डिमाण्ड्ज़ पर बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ।)

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमाण्ड्ज़ को सदन में मतदान के लिए रखा जायेगा।

प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **10,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **10,79,53,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 3–सामान्य प्रशासन्** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **120,29,85,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 4–राजस्व** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **16,50,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 5–आबकारी एवं कराधान** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **48,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 7–आयोजना एवं सांख्यिकी** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **36,25,00,000** रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए **272,31,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 8–भवन तथा सड़कें** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **95,87,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 9–शिक्षा** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 10–तकनीकी शिक्षा** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **70,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 11–खेलकूद तथा युवा कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **108,81,00,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **68,05,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 13–स्वास्थ्य** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **90,00,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **5,00,00,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 14–नगर विकास** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **12,58,44,04,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 15–स्थानीय शासन** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के

भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,56,10,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 17–रोजगार के संबंध में** 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **68,21,01,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 18–ओद्योगिक प्रशिक्षण के संबंध में** 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **43,97,15,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 19–अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण के संबंध में** 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **272,65,02,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 20–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के संबंध में** 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **4,91,70,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 21–महिला एवं बाल विकास् के संबंध में** 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,00,01,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 22–भूतपूर्व सैनिकों** का कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **60,65,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 24–सिंचाई** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

प्रश्न है –

कि राजस्व खर्च के लिए **13,09,00,000 रूपये** से अनधिक धनराशि, राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 26–खान एवं भू–विज्ञान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015–2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

(प्रस्ताव पास हुआ)

प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **24,50,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 28–पशुपालन तथा डेयरी विकास** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **23,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 31–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **387,20,75,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 32–ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **103,50,00,000** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **206,87,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 33–सहकारिता** के संबंध में

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **252,77,39,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **53,00,00,000** से अधिक न हो, **मांग सं. 36–गृह** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **22,43,50,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 37–निर्वाचन** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **2000 रूपये** से अधिक न हो **मांग सं. 38–लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **50,00,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **10,00,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 39–सूचना एवं प्रचार** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **320,64,00,000 रूपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **3902,71,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 40–उर्जा तथा विद्युत** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **50,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रोद्यौगिकी** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **123,26,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 42–न्याय प्रशासन** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **24,50,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 43–कारागार** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

प्रश्न है –

प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **269,79,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

प्रस्ताव पास हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, आज सदन की दूसरी बैठक अपराह्न 03.00 बजे पुनः शुरू होनी थी लेकिन बीच में लंच का भी प्रावधान किया गया है इसलिए यदि सहमति हो तो सदन की दूसरी बैठक अपराह्न 03.30 बजे शुरू कर ली जाये।

आवाजें : ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब सदन आज मंगलवार, दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 अपराह्न 03.30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*02.20 बजे

(तत्पश्चात् सदन मंगलवार, दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 अपराह्न 03.30 बजे तक के लिए *स्थगित हो गया।)